भोजन का अधिकार

बलराम • विष्णु राजगढ़िया

भोजन का अधिकार
(खाद्य सुरक्षा)

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013

मूल एवं सरल रूप में

अदालत के महत्वपूर्ण आदेश

केन्द्र व राज्य की योजनाएं

संपादक

बलराम

विष्णु राजगढ़िया

संकलन

अमित झा

प्रस्तुति

झारखंड फाउंडेशन

भोजन का अधिकार (खाद्य सुरक्षा)

संपादक
बलराम
विष्णु राजगढ़िया

संकलन
अमित झा

प्रथम संस्करण - 2016

प्रस्तुति
झारखंड फाउंडेशन

ISBN - 978-81-909745-7-8

प्रकाशक
गुलमोहर पब्लिकेशन,
202, परमसुख अपार्टमेंट
पहाड़ी मंदिर लेन, रातू रोड
रांची - 834001 (M- 9308057070)

मुद्रक
कैलाश पेपर कन्वर्शन प्रा.लि., राँची

कॉपीराइट : इस संकलन की सामग्री का कोई भी उपयोग कर सकता है।

मूल्य - 125/-

आवरण फोटो : केरल की एक आंगनबाड़ी में पोषित बच्चे

(**वैधानिक सूचना** : पुस्तक में संकलित तथ्य सामान्य जागरूकता हेतु प्रस्तुत किये गये हैं तथा किसी भी आधिकारिक अथवा वैधानिक उपयोग हेतु अधिनियम एवं अदालत के आदेशों इत्यादि की मूल प्रति का ही उपयोग किया जाना चाहिए। इस संकलन से ली गयी किसी भी सामग्री के कारण किसी विसंगति के लिए संपादक, मुद्रक अथवा प्रकाशक का कोई दायित्व नहीं होगा।)

अनुक्रम

संपादकीय 5

भूख के आंकड़े 6

खाद्य सुरक्षा की पृष्ठभूमि 7

कैसे आया खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 13

झारखंड में खाद्य सुरक्षा 15

पीयूसीएल की याचिका 23

भोजन के अधिकार संबंधी योजनाएं 26

उच्चतम न्यायालय के महत्वपूर्ण आदेश 53

सुप्रीम कोर्ट कमिश्नर के सलाहकार 55

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून : प्रमुख प्रावधान 57

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 69

सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख आदेश 103

संपादकीय

भुखमरी की समस्या पूरी दुनिया के लिए लंबे समय से गहरी चिंता का विषय रही है। भारत के लिए यह चिंता कुछ ज्यादा ही मारक है। लगातार बढ़ती असमानता तथा संसाधनों पर सत्ता प्रतिष्ठान और मुट्ठीभर निजी घरानों की लगातार बढ़ते आधिपत्य से स्थिति भयावह होती जा रही है। इसका अंतिम समाधान किसी समानता पर आधारित ऐसी मानवीय सामाजिक–आर्थिक व्यवस्था में ही संभव है, जिसमें मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण की संभावना नगण्य हो तथा प्राकृतिक संसाधनों और उत्पादन के साधनों पर व्यक्तियों का नहीं बल्कि समाज का नियंत्रण हो। ऐसी व्यवस्था कब आएगी, और आएगी भी या नहीं, इस पर चर्चा इस पुस्तक का विषय नहीं है।

यह पुस्तक भारतीय संसद द्वारा बनाए गए 'खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013' के विभिन्न प्रावधानों, केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की सामान्य जानकारी प्रदान करने के लिए प्रस्तुत है। इसमें पीयूसीएल द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर जनहित याचिका के संदर्भ में पारित विभिन्न ऐतिहासिक फैसलों का भी संकलन किया गया है।

इस पुस्तक की सामग्री देश और झारखंड में भोजन का अधिकार के लिए आंदोलनरत विभिन्न संगठनों एवं बुद्धिजीवियों की पुस्तकों एवं संकलनों से ली गयी है तथा यह कोई मौलिक कार्य नहीं है। इस पुस्तक में संकलित किसी भी सामग्री का किसी भी व्यक्ति या संगठन द्वारा जनहित में कोई भी इस्तेमाल किया जा सकता है।

यह पुस्तक देशभर में भूख और असमानता के खिलाफ संघर्षरत सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा भूख से असमय मौत का शिकार हुए बच्चों और व्यक्तियों को समर्पित है।

भूख के आंकड़े

वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा संकलित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य :

1. दुनिया की लगभग 79.5 करोड़ आबादी के पास एक स्वस्थ और सक्रिय जीवन जीने के लायक भोजन उपलब्ध नहीं है।
2. दुनिया में भुखमरी के शिकार लोगों की बड़ी आबादी विकसित देशों में रहती है, जहां आबादी का 12.9 प्रतिशत हिस्से को समुचित पोषण नहीं मिल रहा है।
3. एशिया महादेश में सबसे ज्यादा भूख से ग्रसित आबादी रहती है। दुनियाभर में भुखग्रसित लोगों का दो–तिहाई हिस्सा एशिया महादेश में रहता है।
4. अफ्रीका–सहारा क्षेत्र में भुखमरी के शिकार लोगों का प्रतिशत सर्वाधिक है। वहां एक–चौथाई लोग कुपोषित हैं।
5. पांच साल तक के बच्चों की मौत में लगभग 45 प्रतिशत बच्चों की मौत कुपोषण के कारण होती है। कुपोषण के कारण हर साल दुनिया में लगभग तीस लाख से भी ज्यादा बच्चों की मौत हो रही है।
6. दुनिया में लगभग 10 करोड़ बच्चे अल्प–वजन का शिकार हैं।
7. दुनिया में लगभग एक चौथाई बच्चों का ठिगना कद है। विकसित देशों में यह संख्या एक तिहाई है।
8. अगर कृषक महिलाओं को पुरुषों के समान संसाधन उपलब्ध कराए जाएं तो दुनिया में कुपोषितों की संख्या पंद्रह करोड़ तक कम की जा सकती है।
9. दुनिया में 6.60 करोड़ स्कूली बच्चे भूख का शिकार हैं जिनमें 2.3 करोड़ बच्चे अफ्रीका के हैं।

खाद्य सुरक्षा की पृष्ठभूमि

आज दुनिया भर में सामाजिक शक्तियों के लिए खाद्य सुरक्षा एक महत्वपूर्ण कार्यभार बन चुका है। भूख की समस्या मानव सभ्यता की शुरूआत से ही है। आज 21वीं सदी में भी इसके खिलाफ संघर्ष का दौर जारी है। इसके बावजूद दुनिया के व्यापक हिस्से में बढ़ती भुखमरी और कुपोषण से पता चलता है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस दिशा में प्रगति काफी असंतोषजनक है। तकनीकी युग में दुनिया का दायरा अब सीमित हो गया है। लेकिन इसका लाभ भूख से पीड़ितों को नहीं मिल सका। यही कारण है कि भुखमरी की समस्या अब भी दुनिया के सामने एक प्रमुख चिंता का विषय बनी हुई है।

एक अनुमान के अनुसार 20वीं सदी के दौरान लगभग सात करोड़ लोग दुनिया भर में अकाल की वजह से असमय जान गंवा बैठे थे। वर्ष 1958–61 के अकाल के दौरान सिर्फ चीन में लगभग तीन करोड़ लोगों की मौत का अनुमान है। इस सदी में दुनिया के कई हिस्सों में अकाल पड़े थे। सबसे उल्लेखनीय अकालों में बंगाल में 1942–1945 की आपदा, चीन में 1928 और 1942 में अकाल, सोवियत संघ में अकालों की एक श्रृंखला के साथ–साथ 1932–1933 का सोवियत का अकाल शामिल है। इसके अलावा 1970 के दशक में कंबोडिया, 1984–85 में इथियोपिया और 1990 के दशक का उत्तर कोरिया का अकाल भीषण माना जाता है।

अफ्रीकी महादेश भी अकाल से अभिशप्त रहा है। नाइजीरिया में 2005–06 के दौरान जबर्दस्त खाद्य सुरक्षा संकट पैदा हुआ था। यूरोपियन कमीशन के सहायता समूह की एक रिपोर्ट के अनुसार 2010 के सहेल के अकाल ने नाइजर में लाखों लोगों को प्रभावित किया था। सहारा मरुस्थल के दक्षिण में सहेल क्षेत्र के देशों में सुखाड़ के कारण खेती को नुकसान पहुंचा था। इसके बाद पश्चिम अफ्रीका को खाद्य सामग्रियों की कमी का सामना करना पड़ा। 22वीं सदी ई.पू. के मध्य में मिस्र में कई दशकों तक सूखा पड़ता रहा।

भारत में भी अकाल का प्रकोप देखा गया। देश में 11वीं से 17वीं सदी के बीच कुल 14 अकाल पड़े थे। 1770 में बंगाल का प्रथम अकाल हुआ। उसमें अनुमानतः लगभग 10 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी। यह उस समय के बंगाल

की आबादी का एक–तिहाई था। इसके अलावा 1876–78 का अकाल भयावह रहा। इसमें लगभग 10 लाख लोगों की मौत होने की बात कही जाती है। समूचे देश में 1899–1900 का अकाल भी चर्चा में रहा जिसमें 1.25 से 10 मिलियन व्यक्तियों की मौत हुई थी। बंगाल में 1943–44 के दौरान भी अकाल आया।

अकाल और भुखमरी का सामना करने को देश–दुनिया में नीतियां बनती रही हैं। परंतु कभी इस दिशा में सामूहिक तौर पर पहल नहीं हुई। 20वीं सदी में खाद्य सुरक्षा की समस्या से निबटने के लिए वैकल्पिक पहल करने का बीड़ा उठाने की पहल हुई। इसका एक उदाहरण कृषि विकास के लिए समुदाय क्षेत्र के आधार पर विकास का दृष्टिकोण (सीएबीडीए) है। यह अफ्रीका में खाद्य सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रदान करने के उद्देश्य से चलाया गया एक एनजीओ कार्यक्रम है। सीएबीडीए विशिष्ट क्षेत्रों में सूखा–प्रतिरोधी फसलों की शुरुआत और खाद्यान्न उत्पादन की नयी विधियों पर अपना काम करता है। 1990 के दशक में इथोपिया में प्रायोगिक रूप से संचालित इस विधि का प्रसार मलावी, युगांडा, इरिट्रिया और केन्या तक हो गया है। इस कार्यक्रम के ओवरसीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के एक विश्लेषण में सीएबीडीए द्वारा व्यक्तिगत और सामुदायिक क्षमता–विकास पर ध्यान केंद्रित किये जाने को रेखांकित किया गया है। यह समुदाय द्वारा संचालित संस्थानों के माध्यम से अपनी योजनाओं को प्रयोग में लाता है। किसानों को खुद की जरूरतों के अनुरूप योजना निर्माण और उसके क्रियान्वयन में सक्षम बनाता है। इससे उनके घरों और क्षेत्र के लिए खाद्य सुरक्षा की स्थिति तैयार होती है।

दुनिया भर में प्रत्येक साल 16 अक्तूबर को 'विश्व खाद्य दिवस' मनाया जाता है। इसी दिन संयुक्त राष्ट्रसंघ के खाद्य एवं कृषि संगठन (एफ.ए.ओ) की स्थापना हुई थी। विश्व में भुखमरी के खिलाफ राष्ट्रीय, क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लड़ाई के लिए संगठित प्रयास करना इसका लक्ष्य है। एफएओ द्वारा आयोजित होने वाले विश्व खाद्य सम्मेलनों में विश्व के चेहरे से हमेशा के लिए भूख का खात्मा करने की वचनबद्धता दोहरायी जाती रही है। यह माना जाता है कि इसमें कामयाबी तभी संभव है, जब राज्य, सामाजिक संगठन तथा निजी क्षेत्र सभी स्तरों पर मिलकर लड़ें। इससे भूख, अत्यधिक गरीबी एवं कुपोषण को परास्त करना आसान होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र के संगठन

एफएओ, विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लूएफपी) और अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष (आईएफएडी) और अन्य एजेंसियां मिलकर समूची दुनिया से अत्यधिक गरीबी और भूख का उन्मूलन करने के वैश्विक प्रयासों में महत्वपूर्ण रणनीतिक भूमिका निभाने में जुटी हैं। इस दिशा में संयुक्त राष्ट्र प्रणाली और विश्व खाद्य सुरक्षा की एफएओ की समितियों से जुड़े लोग एक साथ आने का प्रयास कर रहे हैं।

भारत में खाद्य सुरक्षा की दिशा में पीयूसीएल, राजस्थान द्वारा वर्ष 2001 में सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका का महत्वपूर्ण स्थान है। यह याचिका देश के अभावग्रस्त लोगों तक गुणवत्तापूर्ण भोजन की पहुंच के लिए सरकार की जवाबदेही तय करने के संबंध में थी। पिछले 15 सालों में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में क्रमबद्ध तरीके से कई ऐतिहासिक अन्तरिम आदेश दिये हैं। इसने लाखों ऐसे लोगों को प्रभावित किया है जो गरीबी और भूख से पीड़ित रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 28 नवंबर 2001 को कुपोषण से संबंधित आदेश जारी किया। इसमें जन खाद्य वितरण योजना के लक्ष्य, अंत्योदय अन्न योजना, मध्याह्न पोषाहार योजना, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेन्शन योजना, अन्नपूर्णा समग्र बाल विकास योजना, राष्ट्रीय जननी लाभान्वित योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभान्वित योजना सम्मिलित थी।

संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट

- संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में सबसे ज्यादा गरीब रहते हैं।
- दुनिया के 17 फीसदी गरीब लोग अकेले भारत में रहते हैं।
- भारत में करीब 36 करोड़ 30 लाख लोग गरीब हैं। इनमें से 52 फीसदी गरीब आबादी पांच राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ में रहती है।
- बिहार के लोग सबसे ज्यादा गरीब हैं। वहां गरीब लोगों की संख्या करीब तीन करोड़ 58 लाख है।
- योजना आयोग के मुताबिक भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में हर महीने 816 रुपये कमाने वाला व्यक्ति गरीब नहीं है, जबकि छोटे से अफ्रीकी देश रवांडा में ये पैमाना 892 रुपये है।
- दुनिया में भुखमरी के शिकार लोगों में से 33 फीसदी भारत में रहते हैं।

- भारत में भूखे पेट सोने को मजबूर लोगों की संख्या 19 करोड़ 40 लाख है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के मुताबिक मध्यप्रदेश में भुखमरी की दर 30 फीसदी से ज्यादा है, जो गरीब अफ्रीकी देश इथोपिया में भुखमरी की दर के बराबर है।
- सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक भारत में भुखमरी की वजह से रोजाना सात हजार लोगों की मौत होती है। इनमें से तीन बच्चे होते हैं। इसका मतलब यह कि हर वर्ष 25 लाख भारतीय भूख की बलि चढ़ जाते हैं।

यूनिसेफ की रिपोर्ट

1. एक रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक आर्थिक संकट के कारण दक्षिण एशिया में भुखमरी पिछले चार दशक में अपने चरम पर पहुंच गई है।
2. यूनिसेफ की रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक आर्थिक संकट के कारण खाद्य पदार्थों और तेल के दाम बढ़े हैं, जिसका असर दक्षिण एशिया पर बुरी तरह पड़ा है।
3. रिपोर्ट के अनुसार दो साल पहले की तुलना में दक्षिण एशिया में अब करीब दस करोड़ अधिक लोग भूखे सोने को मजबूर हैं। संगठन का कहना है कि दक्षिण एशिया की सरकारों से इस चुनौती से निपटने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए।
4. यूनिसेफ अपनी रिपोर्ट में कहता है कि दक्षिण एशिया संकट के मुहाने पर खड़ा है, जहां बढ़ते आर्थिक संकट का असर गरीबों पर पड़ा है।
5. इलाके के गरीब लोग अपनी आमदनी का बड़ा हिस्सा भोजन पर खर्च करते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य पर पैसे इसके अनुपात में कम खर्च किए जाते हैं। ऐसे में जब खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ी हैं, तो उनकी दिक्कतें भी बढ़ गई हैं।
6. संगठन के अनुमान के अनुसार दक्षिण एशिया की तीन–चौथाई से अधिक आबादी प्रतिदिन दो डॉलर से भी कम पर गुजारा करती है। यहां महिलाओं और बच्चों की स्थिति सबसे खराब है।
7. बढ़ते आर्थिक संकट से सबसे बुरी तरह प्रभावित दक्षिण एशियाई देशों में नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान का नाम है। परंतु आर्थिक शक्ति के

रूप में उभरा भारत भी इससे अछूता नहीं रहा है, जहां बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर कम हुए हैं।

8. यूनिसेफ रिपोर्ट के अनुसार इन देशों की सरकारों को खाद्य पदार्थ, स्वास्थ्य और शिक्षा पर अधिक से अधिक खर्च करने की जरुरत है, ताकि इस संकट से निपटा जा सके। परंतु आर्थिक मंदी के कारण सरकारों के पास भी पैसे की कमी मानी जा रही है।

9. संगठन ने इलाके के दो बड़े देशों भारत और पाकिस्तान से अपने रक्षा बजट में कटौती करने की भी मांग की, ताकि ये पैसा लोगों की भलाई के लिए लगाया जा सके।

ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट :

भारत में तकरीबन 19 करोड़ लोग भूखे पेट रह कर सोने को मजबूर हैं। प्रतिदिन 3000 बच्चे भूख से मर जाते हैं। ग्लोबल हंगर इंडैक्स में भारत का स्थान 2014–15 के मुकाबले 63वें पायदान से 53वें तक पहुंचा है। मंगल पर अपना यान भेजने वाले देश भारत में भूख के खिलाफ जंग सबसे बड़ी चुनौती है। बच्चों में कुपोषण और उनकी मृत्यु दर का स्तर बेहद चिंताजनक है। यहां तक कि नेपाल और श्रीलंका की स्थिति भारत से बेहतर है जबकि पाकिस्तान और बंगलादेश जैसे पिछड़े देशों में स्थिति और भी बुरी है।

अन्य बिंदु :

- आबादी के छठे हिस्से को पर्याप्त पोषक पदार्थ नहीं मिल पाते।
- 30.7 प्रतिशत बच्चे (5 साल से कम उम्र के) भारत में कम वजन के हैं।
- 58 प्रतिशत बच्चों की ग्रोथ इंडिया में 2 साल से कम उम्र में रुक जाती है।
- चार में से एक बच्चा भारत में कुपोषण का शिकार है।
- तीन हजार बच्चे भारत में कुपोषण से पैदा होने वाली बीमारियों के कारण रोज मरते हैं।
- दुनियाभर में 5 साल से कम उम्र में मरने वाले कुल बच्चों में 24 प्रतिशत भारतीय बच्चे होते हैं।
- भारत में 30 प्रतिशत नवजात शिशुओं की मौत हो जाती है।

वैश्विक आंकड़े

- दुनिया के बेहद गरीब लोगों का 64 प्रतिशत हिस्सा सिर्फ 5 देशों में रहता है।
- 20,000 बच्चे दुनियाभर में भूख के कारण रोज मरते हैं।
- 80 प्रतिशत लोग 10 डॉलर प्रतिदिन से कम पर गुजर–बसर करते हैं।
- दुनिया में हर 9 में से 1 आदमी रोज भूखे पेट सोने को मजबूर हैं।
- दुनिया के शीर्ष 85 अमीर लोगों की कुल संपत्ति 3.5 अरब रुपये है। यह सबसे गरीब लोगों यानी दुनिया की आधी आबादी की संपत्ति के बराबर है।
- 80.5 करोड़ लोगों को दुनिया में भरपेट खाने को नहीं मिल पाता है।
- हर साल एड्स, मलेरिया और टी.बी. से कुल जितने लोग मरते हैं, उससे ज्यादा लोगों को भूख निगल जाती है।
- 79.1 करोड़ ऐसे लोग विकासशील देशों में हैं, जिन्हें भरपेट खाना नहीं मिलता।
- 13.5 प्रतिशत विकासशील देशों की आबादी का वह हिस्सा है, जो कुपोषण का शिकार है।
- 52.6 करोड़ लोग एशिया में आधा पेट खाने को मजबूर है।
- दुनिया में 5 साल से कम उम्र के 45 प्रतिशत बच्चों की कुपोषण से मौत होती है।

कैसे आया खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013

15 अगस्त, 2009 को 62वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह ने लाल किले से राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा था– "हम चाहते हैं कि हमारे देश का कोई भी नागरिक कभी भी भूखा न सोए। इसलिए हमारा लक्ष्य है कि हम एक खाद्य सुरक्षा कानून बनाएंगे, जिसके तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले हर परिवार को हर महीने एक निश्चित मात्रा में रियायती दरों पर अनाज दिया जाएगा।"

उपभोक्ता, मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री के. वी. थॉमस ने लोकसभा में 22 दिसंबर, 2011 के दिन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा बिल 2011 को पेश किया। इसके बाद इसे संसद की स्थायी समिति को भेजा गया। स्थायी समिति ने जनवरी, 2013 में अंतिम रिपोर्ट दी। अंत: 5 जुलाई, 2013 को राष्ट्रपति के अध्यादेश के जरिए इसे लागू किया गया। बाद में इसे लोकसभा ने 26 अगस्त, 2013 को तथा राज्यसभा ने 2 सितंबर, 2013 को पारित कर दिया। संसद के मानसून सत्र में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक को मंजूरी मिलने पर राष्ट्रपति ने भी 12 सितंबर, 2013 को इस पर अपनी स्वीकृति दे दी।

यह कानून देश की 75 प्रतिशत ग्रामीण तथा 50 प्रतिशत शहरी यानी कुल मिलाकर 67 प्रतिशत आबादी को खाद्य सुरक्षा का अधिकार देता है। देश में खाद्य सुरक्षा की दिशा में बनाए गए इस कानून को भूख से लड़ने के दुनिया के सबसे बड़े कार्यक्रम के रूप में देखा जाता है। इस विधेयक का उद्देश्य देश की दो–तिहाई आबादी को भारी सब्सिडी वाला खाद्यान्न अधिकार प्रदान करना है। एक लाख 25 हजार करोड़ रुपये के बजट के साथ सरकारी सहायता वाला यह दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। इसके जरिए गरीबों को खाद्य और पोषण सुनिश्चित किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा विधेयक का जोर गरीब से गरीब व्यक्ति, महिलाओं, वृद्धों और बच्चों की खाद्य एवं पोषण जरूरतों को पूरा करने पर है। अगर लोगों को अनाज नहीं मिल पाता है, तो उन्हें खाद्य सुरक्षा भत्ता सुनिश्चित करना है।

भारत में खाद्य सुरक्षा की दिशा में बहुत से कार्यक्रम और योजनाएं चलाई गई हैं। ये योजनाएं एक बच्चे के जन्म से लेकर जीवन भर खाद्य सुरक्षा प्रदान

करती हैं। जब एक महिला गर्भवती होती है तो एकीकृत बाल विकास सेवा (आई.सी.डी.एस) के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्र के जरिए उसे मदद दी जाती है। गरीब महिलाओं के लिए मातृत्व लाभ योजना है। इसके तहत उसे 8 से 12 सप्ताह तक पर्याप्त पोषण की गारंटी सुनिश्चित की गयी है। बच्चे के जन्म के बाद आई.सी.डी.एस योजना उसकी पोषण जरूरतों को पूरा करती है। बच्चे को आंगनबाड़ी केंद्र में पोषण मिलता है। वह जब स्कूल जाता है तब उसे मिड डे मील के तहत भोजन उपलब्ध है। बच्चे के वयस्क होने पर उसे मनरेगा या अन्य बहुत–सी रोजगार योजनाओं के माध्यम से आय प्राप्ति का विकल्प है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उसे सस्ते मूल्य पर अनाज उपलब्ध कराया जाता है। अत्यंत गरीबों के लिए अन्त्योदय योजना के माध्यम से बहुत सस्ते मूल्य पर 35 किलोग्राम अनाज प्रति परिवार के लिए प्राप्त होता है। वृद्धों के लिए वृद्धावस्था पेंशन तथा अन्नपूर्णा योजना है। गरीब परिवार के एकमात्र कमाने वाले वयस्क की मृत्यु पर परिवार लाभ योजना के तहत आर्थिक मदद का प्रावधान है। इस प्रकार देखें तो सरकारी योजनाओं में खाद्य सुरक्षा के लिए तमाम प्रयास और योजनाएं जारी हैं।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खाद्य सुरक्षा में भारत की भागीदारी

अंतरराष्ट्रीय अनाज परिषद (International Grains Council) – यह परिषद अनाज मामलों में सहयोग के लिए है। इसका सचिवालय 1949 से ही लंदन में है। यह परिषद फूड एण्ड कन्वेंशन के तहत स्थापित फूड एण्ड कमेटी को भी सेवाएं प्रदान करता है। भारत गेहूं और अन्य मोटे अनाजों के मामलों में सहयोग के लिए निर्यात एवं आयात हेतु अंतरराष्ट्रीय अनाज परिषद का सदस्य है। इसलिए भारत को जुलाई 2003 में निर्यातक सदस्य के रूप में शामिल किया गया।

विश्व खाद्य कार्यक्रम – गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की भागीदारी है। भारत सरकार दुनिया के दूसरे गरीब देशों के लिए इसके जरिए अनाज मुहैया कराती है। विश्व खाद्य सुरक्षा के कंट्री प्रोग्राम के जरिए भारत सरकार खाद्य सुरक्षा संबंधी विकास कार्य कर रही है। विश्व खाद्य कार्यक्रम संबंधी परियोजनाएं इस समय उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखण्ड, और

राजस्थान में चलाई जा रही हैं। वहीं गुजरात, उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, बिहार और तमिलनाडु में कंट्री प्रोग्राम योजनाएं चल रही हैं।

सार्क फूड बैंक - 14वें सार्क शिखर सम्मेलन वर्ष 2007 में दिल्ली में आयोजित हुए थे। इसमें विभिन्न सार्क देशों के प्रमुखों ने खाद्य बैंक की स्थापना संबंधी करार पर हस्ताक्षर किए थे। इसका मकसद खाद्य सुरक्षा की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को मजबूत बनाना है। इस करार के अनुसार सार्क फूड बैंक के लिए खाद्यान्नों में भारत का अनुमानित अंश 242 हजार टन के आरक्षित में 1,53,200 टन है।

खाद्य एवं कृषि संगठन - वर्ष 1945 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र संघ प्रणाली में खाद्य एवं कृषि संगठन विशिष्ट एजेंसियों में से एक है। इसका मुख्य कार्य पोषण, कृषि उत्पादकता में सुधार करना, जीवन–स्तर में वृद्धि करना और विशेषकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाना है। संयुक्त राष्ट्र संघ प्रणाली में विश्व खाद्य सुरक्षा पर बनी समिति एक फोरम के रूप में कार्य करती है। भारत खाद्य एवं कृषि संगठन और विश्व खाद्य समिति का भी सदस्य है।

झारखंड में खाद्य सुरक्षा

वर्ष 2000 में जब झारखंड का निर्माण हुआ था तो इसके पीछे लंबे संघर्ष का इतिहास रहा था। यह संघर्ष यहां के निवासियों और आदिवासियों की स्वतंत्रता एवं आत्मनिर्भरता के लिए किया गया था। झारखंड आंदोलन लंबे समय तक वंचितों में भी वंचितों के प्रतिरोध का महत्वपूर्ण प्रतीक रहा है। ऐसे ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो झारखंड की स्थापना के सोलह बरसों बाद भी भुखमरी की स्थितियों और छिपी हुई भूख तथा कुपोषण की स्थिति का मौजूद होना काफी चिंताजनक है।

झारखंड में भूख से मौत की खबरें लगातार सामने आती रहती हैं। खासकर ऐसे इलाकों में जहां आदिम जनजातियां अधिक हैं, वहां स्थितियां चुनौतियां भरी हैं। पलामू, सिंहभूम, सिमडेगा जिलों में जनजातियों के सामने भूख से निजात एक बड़ा सवाल निरंतर बना रहता है। हालांकि सरकारी आंकड़ों में इनकी गिनती कम ही हो पाती है। वर्ष 2008–09 के दौरान इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च

इंस्टीट्यूट ने एक रिपार्ट जारी की थी। इसमें कहा गया था कि भारत में भूख की समस्या से ग्रसित राज्यों की सूची में झारखंड का स्थान दूसरा है।

मई 2009 में पलामू के मनातू के कुसमाटांड़ में भूख से मौत की घटनाएं सामने आयी थीं। उस वक्त राइट टू फूड आंदोलन के विभिन्न सामाजिक संगठन व राजनीतिक संगठन सामने आए थे। उनकी मदद से इस मसले पर तेजी से काम करने की आवश्यकता महसूस हुई थी। संतालपरगना, देवघर, चतरा, हजारीबाग, बोकारो, गढ़वा, गुमला, रांची व अन्य स्थानों में भी इस संकट की सूचना मिल रही थी। पूरे राज्य में आदिम जनजाति समूहों, बिरहोर और अन्य पिछड़ी जातियों एवं अनुसूचित जाति में भूख से मौत और बीमारियों तथा अभावजन्य जीवन की स्थितियों के किस्से अब भी सुनने में आते हैं।

शोधकर्ताओं के अनुसार देश के कुछ खास हिस्सों में स्थायी भूख की परिघटना तेज हो रही है। पलामू को दुनियाभर में मानव विकास के सूचकांकों में काफी दयनीय स्थिति में माना जाता है। यह राज्य के सबसे जटिल कृषि–मौसमीय क्षेत्र में आता है। साथ ही जमींदारों के सामंती शोषण हैं। सूखे की स्थिति तथा छोटे किसानों व कृषि मजदूरों की दयनीय स्थिति के कारण यहां स्थायी अकाल के हालात रहते हैं।

दूर–दराज के गांवों में रहनेवाली बड़ी आबादी जंगल के अखाद्य एवं हानिकर पदार्थों को खाने को विवश है। कमजोर लोगों की खाद्य सुरक्षा की ज्यादातर सरकारी योजनाएं प्रभावी तरीके से अमल में नहीं आ सकी हैं। अंत्योदय एवं अन्नपूर्णा योजना, स्कूल में दोपहर का भोजन, जनवितरण प्रणाली और मनरेगा जैसी योजनाओं के बावजूद समस्या बरकरार है। वर्ष 2004 में सुप्रीम कोर्ट कमिश्नर श्री एन. सी. सक्सेना ने राज्य में जरूरतमंद लोगों तक योजनाओं का समुचित लाभ नहीं पहुंचने की बात कही थी। आज भी वही स्थिति है।

2002 के एक अध्ययन के अनुसार राज्य की 10–11 प्रतिशत आबादी भुखमरी का शिकार है। जबकि लगभग दो से तीन प्रतिशत लोग भूख से मौत की कगार पर हैं, लेकिन विभिन्न जनांदोलनों के बावजूद नीति निर्माताओं के लिए भूख से मौत का सवाल मुद्दा नहीं है। कई बार तो भूख से मौतों को नकार दिया जाता है।

राज्य के उत्तर एवं उत्तर पश्चिम क्षेत्र में कम बारिश होती है। वहां कृषि उत्पादन भी बेहद कम है। वहां खाद्य की उपलब्धता भी बेहद कम है। इसमें गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा क्षेत्र शामिल हैं। अनुसूचित जाति जैसे भुइयां, चमार, दुसाध इत्यादि की बड़ी आबादी है। सिंचाई के लिए पर्याप्त बारिश के अभाव में ये लोग परंपरागत रूप से मकई, दाल, रागी इत्यादि की फसलों पर निर्भर हैं। इसे कृषि उत्पाद के द्वारा खाद्य सुरक्षा मान लिया जाता है। जंगली उत्पादों के अलावा लोग तेंदू पत्ता पर निर्भर रहने के लिए विवश हैं। मुर्गी पालन, सुअर और बकरी पालन भी बेहद कम है।

राज्य के सुदूर क्षेत्रों में लोग गेठी खाकर जिंदा रहते हैं। गेठी के सेवन के कारण कई बार मौत भी हो जाती है। शहरों में भी स्थिति अच्छी नहीं है। रांची में रिक्शा चलाने वाले लोग पौष्टिक भोजन की कमी के कारण लगातार अस्वस्थ हो रहे हैं। कुछ रिक्शा चालक तो पूरा दिन एक पाव रोटी और एक कटोरी चना पर गुजार देते हैं। ऐसे लोगों द्वारा हड़िया पीना भी एक सामान्य बात है। जब घर में बेहद कम अनाज होता है तो सबसे पहले बच्चों का ख्याल रखा जाता है फिर गर्भवती स्त्रियों और वृद्ध लोगों का। इस प्रक्रिया में सबसे ज्यादा नुकसान नौजवानों को होता है और उन्हें स्थाई अर्द्धपोषण का शिकार होना पड़ता है।

यह समझना जरूरी है कि भूख की समस्या का कारण हमारे देश का आर्थिक विकास या अनाज की कम उपलब्धता नहीं है। सच तो यह है कि अफ्रीका के उप–सहारा देशों में भी भारत से बेहतर मानव विकास संकेतक देखे जा सकते हैं।

भूख की समस्या को प्रायः अनाज की मौसमी कमी के बतौर देखा जाता है। जबकि झारखंड में भूख से मौत की घटनाएं बुनियादी रूप से क्षमता की विफलता का प्रतीक है। इसके कारण कम वजन के शिशु की उत्पत्ति, डायरिया और टीबी से मौत तथा एमएमआर की अधिकता इत्यादि की समस्या देखी जा सकती है।

भारत में भूख की समस्या के संदर्भ में झारखंड से जुड़े कुछ पहलू महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले तो जाति, वर्ग और लिंग के आधार पर भेदभाव तथा कमजोर वर्ग को वंचित रखने की समस्या सामान्य है। खाद्य सामग्री तक पहुंच में भी यह समस्या देखी जा सकती है।

एक अध्ययन रिपोर्ट बताती है कि अब आदिवासी, दलित समुदाय का लगभग हर बच्चा कमजोर है; जिसे वे कुपोषण कहते हैं। कुपोषण यानी भरपेट पोषणयुक्त भोजन न मिलना। आदिवासियों को पोषण तो प्रकृति से मिलता था, जंगल से मिलता था। क्या इसका मतलब यह है कि इन आदिवासियों से प्रकृति और जंगल को छीन लिया गया है? ये किसी के पास नहीं जाते थे खाली थाली लेकर। इन्होंने अपनी खुद की व्यवस्था बनायी थी, पर अब वह व्यवस्था टूट गयी है। व्यवस्था के टूटने का मतलब है संसाधन छीन कर उन्हें यह अहसास कराना कि वे स्वतंत्र नहीं हैं। वे निर्भर हैं सरकार पर या किसी और संस्था पर, इंतजार करवाना कि कोई आएगा दलिया या खाना लेकर और उनके बच्चों को खिलायेगा। जिस दिन वह नहीं आएगा, उस दिन वे बच्चे भूखे रहेंगे, उन्हें भूखे रहने की आदत डाल लेनी होगी, क्यूंकि वे बच्चे इस व्यवस्था की प्राथमिकता में नहीं होंगे। यदि सरकार का नुमाइंदा खाना बांटने आ भी गया तो उसका समय समाज तय नहीं करेगा, सरकार तय करेगी।

मानव को पेट भरने और पौष्टिक भोजन के रूप में जो कुछ भी चाहिए होता है, उसकी सबसे अच्छी गुणवत्ता आदिवासी समाज को मिल जाया करती थी। ये चीजें आज बाजार में सबसे महंगी खाद्य वस्तुओं में शुमार है, किन्तु इन लोगों की पहुंच से बाहर।

झारखंड में खाद्य सुरक्षा के प्रमुख कदम

खाद्यान्न वितरण योजना -

क. मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना
ख. अंत्योदय अन्न योजना
ग. अन्नपूर्णा योजना

अन्य योजनाएं -

- अंडा अभियान
- मुख्यमंत्री दाल–भात योजना
- उपभोक्ता संरक्षण
- कौशल विकास प्रोग्राम
- झारखंड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम व अन्य

झारखंड सरकार द्वारा संचालित योजनाएं :

झारखण्ड राज्य आदिम जनजाति पेंशन योजना

झारखण्ड में निवास करने वाली 32 जनजातियों में से कुल 9 जनजातियों को आदिम जनजाति समूह के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इनमें असुर, बिरहोर, बिरिजिया, हिल–खड़िया, कोरवा, माल पहाड़िया, परहिया, सौरिया पहाड़िया एवं सबर शामिल हैं।

झारखण्ड राज्य के आदिम जनजाति परिवारों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तर्ज पर एक नयी पेंशन योजना प्रारंभ की गयी है। इस नयी पेंशन योजना में निम्नलिखित योग्यता निर्धारित की गयी है : –

1. लाभुक आदिम जनजाति समूह के उपरोक्त वर्णित जाति समूह के सदस्य हों।
2. सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य पेंशन योजना से लाभान्वित न हो।
3. वह किसी सरकारी, निजी अथवा सार्वजनिक क्षेत्र में नौकरी नहीं करता हो, जिससे उन्हें नियमित मासिक आय की प्राप्ति हो रही हो।
4. परिवार की विवाहित महिला को ही इस पेंशन का लाभ दिया जायेगा। यदि किसी परिवार में कोई विवाहित महिला न हो, तो वैसी परिस्थिति में परिवार के मुखिया के नाम से पेंशन राशि की स्वीकृति दी जाएगी।
5. इस योजना में लाभान्वितों को आच्छादित करने के लिए बी.पी.एल. में नाम तथा वार्षिक आय की सीमा में छूट रहेगी। यानि आदिम जनजाति परिवारों के लिए बी.पी.एल. संख्या या वार्षिक आय का सीमा की बाध्यता नहीं रहेगी।

   पेंशन राशि : 600 रुपये प्रतिमाह।

नोट - इस योजना अन्तर्गत लाभुकों का चयन एवं पेंशन की स्वीकृति के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी या अंचल अधिकारी को आवेदन पत्र प्राप्त कराया जायेगा। आवेदन के जांचों के बाद अनुशंसा के साथ स्वीकृति के लिए आवेदन को सम्बंधित अनुमंडल पदाधिकारी को प्रेषित करेंगे। अनुमंडल पदाधिकारी खुद

से समीक्षा कर उस आवेदन पत्र पर स्वीकृति प्रदान करेंगे। पेंशन का भुगतान लाभुक के डाकघर या बैंक खाते में आधार कार्ड के माध्यम से भुगतान किया जायेगा।

अंडा अभियान

कुपोषण के साये से बच्चों को मुक्त कराने की दिशा में अंडा अभियान की सफलता ने महती भूमिका निभायी है। स्कूलों में मिड डे मील योजना में अंडा के प्रावधान सुनिश्चित होने के बाद विद्यार्थियों की संख्या और उपस्थिति में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिलने लगे हैं। बदलती तस्वीरों से पता चलता है कि झारखंड न सिर्फ कुपोषणमुक्त होने की राह पर तेजी से बढ़ रहा है बल्कि शिक्षित भविष्य भी तैयार हो रहा है।

झारखंड में अंडा अभियान दो साल पहले जुलाई, 2014 में शुरू हुआ था। दरअसल नागरिक समाज इस बात से चिंतित था कि झारखंड कुपोषित राज्यों की सूची में दूसरे स्थान पर है। कुपोषित बच्चों की बढ़ती चिंता उनके आने वाले भविष्य के लिए चिंता का विषय है। इसे देखते हुए सिविल सोसाइटी, विभिन्न संस्थाओं ने आपसी सहभागिता से पहल की। भोजन के अधिकार अभियान से जुड़ी राज्य की 13 से अधिक संस्थाओं, सामाजिक संगठनों ने राज्य सरकार के समक्ष निरंतर खुशहाल और कुपोषणमुक्त बच्चों के लिए समुचित कदम उठाने की सकारात्मक मांग रखी। खासकर मिड डे मील सेवा में पौष्टिक आहार के तौर पर अंडा, दूध, फल या अन्य खाद्य सामग्रियों को जोड़े जाने की वकालत की। राज्य के 19 जिलों के 147 सरकारी स्कूलों और 10,652 विद्यार्थियों ने एक स्वर में इस पर लगातार अपनी बात रखी। यहां तक कि राज्य बाल सुरक्षा आयोग के प्रमुख और सदस्यों ने भी अंडा अभियान को सफल बनाने में साथ दिया। अंततः राज्य सरकार ने मार्च, 2015 में राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में मिड डे मील सेवा में सप्ताह में तीन दिन अंडा देने का फैसला लिया।

राज्य सरकार ने वर्ष 2020–21 तक झारखंड को कुपोषणमुक्त बनाने का इरादा जताया है। 12 हजार पोषण सखियों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा इसी संदर्भ में की गयी है। बच्चों को खाना बना कर खिलानेवाली सरस्वती वाहिनी और माता समिति के सदस्यों का मानदेय 1500 रुपए प्रतिमाह

किए जाने का प्रयास भी आरंभ है। राज्य सरकार के अनुसार स्कूलों में सप्ताह में तीन दिन अंडा खिलाए जाने से 40 हजार से अधिक स्कूलों के 30 लाख से अधिक बच्चों को लाभ मिल रहा है। सरकार ने आवश्यकता पड़ने पर फल भी दिए जाने की व्यवस्था तय की है। योजना में किसी तरह की शिकायत दूर करने के लिए मानव संसाधन विकास विभाग, झारखंड सरकार द्वारा स्पष्ट दिशा–निर्देश है। इसमें विद्यालय प्रबंधन समिति, पंचायत के सदस्यों को भी शामिल किया गया है।

राज्य के तीन प्रमुख जिलों रांची, जमशेदपुर और दुमका में आंगनबाड़ी केंद्रों में भी अंडा दिए जाने का पायलट प्रोजेक्ट अप्रैल, 2016 से शुरू किया जा चुका है। प्रोजेक्ट की सफलता और आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों की बढ़ती उपस्थिति को देखते हुए राज्य के सभी जिलों में इसे अमली जामा पहनाने का प्रयास शुरू किया जा रहा है।

विशेष :

मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा 12 मार्च 2015 को जारी पत्रांक–8/A 2–06, 2014, 462 में कहा गया है कि स्कूलों में मिड डे योजना के तहत बच्चों को दोपहर के भोजन में पके हुए भोजन के अलावा पूरक पोषण हेतु अंडा और फल भी उपलब्ध कराये जाएं।

मुख्यमंत्री दाल-भात योजना

खाद्य संकट का सामना किसी नागरिक के लिए सवाल ना बने, इस दिशा में मुख्यमंत्री दाल–भात योजना एक अनूठी पहल है। इसने खासकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को बहुत सहारा दिया है। 15 अगस्त, 2011 को झारखंड में मुख्यमंत्री दाल–भात योजना आरंभ की गयी थी। यह योजना 375 केंद्रों पर चलायी जा रही है। इनमें 12 केंद्रों पर रात्रिकालीन सेवाएं भी उपलब्ध हैं। रात्रिकालीन सेवा देने वाले केंद्र रांची, धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर, हजारीबाग, पलामू और लातेहार में संचालित हो रहे हैं। इन केंद्रों के जरिए सामान्यजन खासकर गरीब तबके के लोगों को पांच रुपए में भरपेट भोजन का लाभ मिल रहा है। केंद्रों पर भोजन के तौर पर दाल–भात के साथ एक सब्जी (चना/सोयाबीन) या चोखा दिया जाता है। सरकार की मुख्यमंत्री दाल–भात योजना जनोपयोगी

और गरीबोन्मुखी योजना के रूप में जरूरतमंद लोगों के लिए आदर्श साबित हो रही है।

मुख्यमंत्री दाल–भात योजना के शुरूआती समय में दाल–भात केंद्रों के लिए अनाज की व्यवस्था केंद्र सरकार से मिलने वाले अनाज के जरिए की जाती थी। बाद में राज्य सरकार ने पूरी तरह से इस योजना का संचालन अपने जिम्मे में ले लिया। माना जाता है कि ग्रामीण क्षेत्र से बड़ी आबादी प्रतिदिन रोजी–रोजगार के लिए अपने आस–पास के शहरों को जाती है। दो जून की रोटी के लिए वे हर दिन कठिन परिश्रम करते हैं। पर कई कारणों से ऐसा भी देखा जाता है कि मेहनतकश तबके के कई लोग पैसों की कमी को आधार मानकर समुचित खुराक नहीं लेते। उनके लिए हर दिन होटलों में महंगा खाना बहुत खर्चीला होता है। दिनभर में एक समय ही खाना खाकर वे कड़ी शारीरिक मेहनत करते हैं। यह उनके लिए बीमारियों को न्योता देने जैसा होता है। ऐसे में मुख्यमंत्री दाल–भात केंद्रों के जरिए उन्हें आसानी से सस्ता भोजन मिल जाता है।

मुख्यमंत्री दाल–भात योजना के तहत अधिकांश केंद्रों का संचालन महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा किया जाता है। अगर नए केंद्र खोले भी जाते हैं तो महिला एसएचजी को इसके संचालन का अवसर दिया जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार, ऐसे प्रयासों से लोगों को कम कीमत पर भरपेट भोजन मिल जाता है। साथ ही महिलाओं को आत्मनिर्भर होने का अवसर भी मिलता है। योजना की निगरानी के लिए राज्यस्तर पर एक निगरानी समिति बनायी गयी है। प्रत्येक जिले में भी जिला उपायुक्त को नोडल अफसर बनाया गया है। कोई नागरिक चाहे तो सेवाओं में त्रुटि और उसके निराकरण के लिए जिला उपायुक्त के पास अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है।

पीयूसीएल की याचिका

पीपुल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज (पी.यू.सी.एल.) की राजस्थान इकाई ने 'रोटी के हक' को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में एक अर्जी डाली थी। यह याचिका सूखा–राहत के संदर्भ में भारत सरकार, भारतीय खाद्य निगम और छह राज्य सरकारों के विरूद्ध दायर की गई थी। बाद में इसने व्यापक रूप ग्रहण कर लिया।

इस याचिका का कानूनी आधार बहुत सीधा सादा है। संविधान की धारा 21 जीने का हक देती है। यह एक मौलिक अधिकार भी है। सरकार का कर्तव्य बनता है कि वह इसकी रक्षा करे। पहले के कई केसों में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला देते हुए कहा है कि जीने का अधिकार का मतलब है सम्मान के साथ जीने का अधिकार। रोटी या भोजन का अधिकार भी अन्य कई अधिकारों की तरह इज्जत से जीने के अधिकार में शामिल है। मूल रूप से इस अर्जी में दलील दी गई थी कि नीति तथा कार्यान्वयन, दोनों स्तरों पर राहत की स्थिति के प्रति केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया स्पष्टतः इस अधिकार का उल्लघंन है। इस अर्जी ने इस बात को साबित करने के लिए सरकारी और ज़मीनी स्तर के आँकड़ों का प्रयोग किया है।

खाद्य सुरक्षा मुहैया कराने में सरकारी उपेक्षा को लेकर अर्जी ने दो पहलुओं को चिह्नित किया है। एक है सरकार द्वारा राशन प्रणाली (सार्वजनिक वितरण प्रणाली) का ख़त्म किया जाना। राशन प्रणाली की असफलता कई स्तरों पर उजागर होती है। इसकी सुविधा केवल ग़रीबी रेखा के नीचे जी रहे लोगों के लिए सीमित की गई है। लेकिन जो मासिक कोटा तय किया है, वह इंडियन काउन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा निर्धारित पौष्टिकता स्तर से नीचे है। इसके अतिरिक्त इसे भी जहाँ–तहाँ ही लागू किया गया है। राजस्थान में गाँवों का एक सर्वे किया गया। इनमें से एक तिहाई गाँवों में ही पिछले तीन महीनों में समय पर अनाज बाँटा गया। उसके आधे गाँवों में अनाज बिल्कुल नहीं बंटा।

ग़रीबी रेखा के नीचे जीने वाले परिवारों का सर्वे भी कोई भरोसेमंद नहीं है। कुल मिलाकर इन परिवारों को राशन–प्रणाली के ज़रिए जो मदद मिल रही है, हर महीने एक व्यक्ति के लिए पाँच रुपये से भी कम है।

इस अर्जी का दूसरा बिन्दु है सरकार के राहत कार्य की कमियाँ। कई राज्यों में अकाल सम्बंधी नियमावली है जिसके आधार पर राहत कार्य होते हैं। सूखा की स्थिति में इन्हें लागू करना अनिवार्य हो जाता है। इसके अनुसार ये ज़रूरी है कि "हर ऐसे व्यक्ति को काम दिया जाए जो राहत–कार्य के लिए आता है।" लेकिन इसके विपरीत राजस्थान सरकार ने 'श्रम–सीमा' की नीति अपनाई है। इसमें सरकारी आँकड़ों के अनुसार पांच प्रतिशत सूखा पीड़ित आबादी को ही काम मिल पाता है। वास्तविक रोज़गार का स्तर इससे भी नीचे है। बहुत सी जगहों से ख़बर मिली है कि कानूनी रूप से मान्य न्यूनतम वेतन नहीं मिलता है।

इन समस्याओं के लिए सरकार जिम्मेदारी पैसों की कमी पर डालती है। यह अर्जी इस बहाने को ध्वस्त करती है। सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही कह दिया है कि संवैधानिक कर्त्तव्यों को पूरा करने की असफलता को सरकार 'पैसे की कमी' के मत्थे नहीं मढ़ सकती।

याचिका में सर्वोच्च न्यायालय से माँग की गई थी कि राजस्थान सरकार सूखा–पीड़ित गाँवों में तुरन्त खुले रोज़गार की व्यवस्था करे और जो लोग काम नहीं कर पा रहे हों, उन्हें राहत राशि दे। हरेक परिवार को राशन प्रणाली से मिलने वाले अनिवार्य अनाज की मात्रा बढ़ाई जाए और सभी परिवारों को रियायती दरों पर अनाज दिया जाए।

याचिका में कहा गया– "देश के विभिन्न हिस्सों से भुखमरी की खबरें आ रही हैं...ज्यादातर मौतें लंबे समय से अनाज नहीं मिल पाने के कारण हो रही हैं।" सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों से अनाज गायब है। खुले बाजार में अनाज का दाम इतना अधिक है कि जनता के लिए उसे खरीद पाना लगभग असंभव है'।

याचिकाकर्ता ने यह चिह्नित किया कि उस समय विशेष में केंद्र सरकार के पास लगभग 20 मीट्रिक टन अनाज का सुरक्षित भंडार था। उपभोक्ता मामलों और जनवितरण मंत्री के इस कथन को भी उद्धृत किया गया था कि "देश में अतिरिक्त अनाज भंडार है"। और उस वक्त राजस्थान के 30,583 गांवों में रहने वाली तीन करोड़ तीस लाख लोगों की कुल आबादी सूखे के चपेट में थी। याचिका दायर किये जाते वक्त वहां की जनता पिछले दो वर्षों से सूखे को झेल रही थी। याचिका के अनुसार स्थिति खतरनाक स्तर तक जा पहुंची

है...बहुत सारे लोग भुखमरी का सामना कर रहे हैं और अगर जल्द ही कुछ उपाय नहीं किया गया तो कई लोगों की जान तक जा सकती है। लोग कर्ज में गहरे डूबते जा रहे हैं....बच्चे स्कूल जाना छोड़ रहे हैं और मवेशी बड़ी संख्या में या तो मर रहे हैं या उन्हें यूं ही आवारा छोड़ दिया गया है क्योंकि वे उन्हें चारा नहीं खिला सकते.....राजस्थान सरकार या भारत सरकार द्वारा किये जा रहे राहत कार्य अपर्याप्त साबित हुए हैं। याचिका के अनुसार राजस्थान और देशभर के गोदामों में पांच करोड़ टन अनाज भरा पड़ा है। स्थिति ऐसी है कि वहां अनाज रखने की जगह तक नहीं है और दूसरी ओर लोग भूखे मर रहे हैं। याचिकाकर्ता ने और भी स्पष्ट करते हुए कहा कि "भरे हुए गोदामों और उस जगह की दूरी जहां बड़ी संख्या में लोग भूखों मर रहे हैं, 75 किलोमीटर से भी अधिक नहीं है'।

राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण (1998–1999) का हवाला देते हुए याचिका में कहा गया कि राजस्थान में तीन साल से कम आयु के आधे से ज्यादा बच्चे कुपोषण के शिकार हैं और महिलाओं की आधी आबादी खून की कमी (अनीमिया) से ग्रस्त है। 1993–94 में कराये गये राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान के गांवों की लगभग आधी आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीती–मरती है। याचिका के अंत में कहा गया कि "भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) के हिसाब से राजस्थान सरकार और भारत संघ दोनों ही अपनी जवाबदेही निभाने में पूरी तरह असफल रहे हैं।

भारतीय सांख्यिकीय संस्थान के प्रोफेसर मधुर स्वामीनाथन के लेख के एक हिस्से को याचिका में उद्धृत किया गया– "2000–01 में सुरक्षित भंडार के रख–रखाव से जुड़े तरीके को देखने से पता चलता है कि उनमें 45 प्रतिशत सस्ते दर वाले अनाज थे। संसदीय समिति के एक वक्तव्य का हवाला देते हुए याचिकाकर्ता ने कहा कि "कुल जमा अनाज में से कुछ भी नहीं तो कम से कम दस लाख टन अनाज सड़ चुका है। इनमें से कुछ इस कदर सड़ चुका है कि जानवर के खाने लायक भी नहीं है और उसे समुद्र में डुबो देने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ऐसा लगता है कि भारत सरकार भारत की भूखी जनता को खिलाने की जगह अरब सागर की मछलियों को खिलाना ज्यादा जरूरी मानती है।

सामाजिक योजनाएं और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश

भोजन के अधिकार संबंधी योजनाएं

- जन वितरण प्रणाली
- अंत्योदय अन्न योजना
- अन्नपूर्णा योजना
- बाल विकास योजना
- मिड डे योजना
- राष्ट्रीय जननी सुरक्षा योजना
- राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना
- महात्मा गांधी रोजगार योजना व अन्य

जन खाद्य वितरण योजना

अकाल संकट का सामना भारत ने भी किया है। ऐसे में खाद्य सुरक्षा से जुड़े सवाल भी उठते रहे हैं। लोगों को अनाज के अभाव में असमय अपनी जान ना गंवानी पड़े, इसके लिए कानून बनाने के मसले पर भी चर्चा होती रही है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद देश में खाद्य सुरक्षा कानून की अवधारणा पर अधिक गौर किया गया। इस युद्ध के दौरान खाद्यान्नों की कमी हो गयी थी। इसे देखते हुए 1942 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पी.डी.एस की शुरूआत की गई थी। तत्कालीन सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए खाद्यान्नों का वितरण शुरू किया था। हालांकि इन्हें देश के प्रमुख शहरों और खाद्यान्न की कमी वाले कुछेक क्षेत्रों में ही शुरू किया गया था। लेकिन आजादी के बाद समय के बदलाव के साथ ही जरूरतों के अनुरूप सार्वजनिक वितरण प्रणाली की नीति में बड़े बदलाव किए गए हैं।

सातवीं पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को इसके दायरे में समूची जनसंख्या को लाते हुए एक महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की गयी। और वर्ष–दर–वर्ष यह सस्ती दरों पर जनता को खाद्यान्नों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ–साथ गरीबी से निपटने की दिशा में एक महत्वपूर्ण सरकारी तंत्र के तौर पर खड़ा हो गया।

लेकिन 1997 से खाद्यान्न के लिए एक लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली टी. पी.डी.एस लागू की गयी। टीपीडीएस के अधीन गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल और गरीबी रेखा से ऊपर एपीएल के घरों को भिन्न मूल्यों पर अलग–अलग मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराए जाने लगे।

महत्वपूर्ण बिंदु :

- भारत में राशन व्यवस्था वर्ष 1939 में आरंभ हुई (बम्बई में ब्रिटिश सरकार द्वारा)।
- 1942 का मूल उद्देश्य जन खाद्य वितरण योजना था।
- 1943 में सभी शहरी क्षेत्रों (जिनमें 1 लाख से अधिक जनसंख्या है) में राशन व्यवस्था लागू की गई।
- 1965 में भारतीय खाद्य निगम तथा कृषि मूल्य निर्धारण कमीशन की स्थापना की गयी।
- 1982 में बीस सूत्री कार्यक्रम का इसे हिस्सा माना गया।
- 1984 में खाद्य और रसद विभाग के लिये पृथक मंत्रालय बनाया गया।
- 1992 में गतिशील जन खाद्य वितरण व्यवस्था को बनाया गया।
- 1997 में जन खाद्य वितरण योजना लक्ष्य निर्धारण प्रारम्भ किया।
- 2001 में जन खाद्य वितरण योजना के नियंत्रण सम्बन्धी आदेश सरकार द्वारा प्रसारित किये गये।

प्रमुख प्रावधान

- अन्न खाद्य वितरण और अन्य मुख्य वस्तुएं जैसे केरोसिन, शक्कर अनुदानित मूल्य पर राशन की दुकानों से प्राप्त होंगे। प्रत्येक परिवार के पास एक राशन कार्ड होगा।
- प्रत्येक श्रेणी (एपीएल, बीपीएल) 35 किग्रा अनाज प्रतिमाह के लिये दिया जाएगा। परंतु अनाज भुगतान के लिए एपीएल परिवारों के लिये कीमत बीपीएल परिवारों से कुछ अधिक होगी।
- बीपीएल परिवारों को गेहूं 5 रुपये प्रति किलो व चावल 6.50 रुपए प्रति किलो दिया जाएगा।

- अंत्योदय परिवारों को गेहूँ 21 रुपये प्रति किलो व चावल 31 रुपये प्रति किलो दिया जाएगा।
- ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सभाएं और शहरी क्षेत्रों में अर्द्ध–सरकारी संस्थाएं गरीबों से अधिकतम गरीब की पहचान का कार्य करेगी।
- शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों से गरीब से भी अधिकतम गरीब को राशन कार्ड जारी किये जाएंगे।

सरकार की प्रमुख जवाबदेही :

- जन खाद्य वितरण व्यवस्था केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा सामूहिक रूप से संचालित की जाती हैं।
- खाद्य संग्रह, भंडारण, परिवहन तथा भारी मात्रा में अनाज आबंटन की जवाबदेही केन्द्र सरकार की है।
- वितरण व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्य सरकारों द्वारा उचित खुदरा मूल्य की दुकानों के माध्यम से ली गयी है।
- राज्य में आबंटन व्यवस्था, परिवारों की पहचान जो गरीबी की रेखा से नीचे है, राशन कार्ड जारी करना नियंत्रण करना और उचित खुदरा मूल्य की दुकानों के कार्यालयों की निगरानी आदि राज्य सरकार की जिम्मेदारी है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश :

भारत में राशन व्यवस्था का आरंभ वर्ष 1939 में बम्बई में ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया था। उनके द्वारा शुरू किया गया जन खाद्य वितरण योजना संभवतः दुनिया में सबसे पुराना अनुदानित खाद्य कार्यक्रम है। इसके जरिए समाज में गरीब, मध्यम और उच्च वर्गों के पहचान और उन्हें राशन आबंटित किए जाने की बुनियाद पड़ी। इस स्कीम के जरिए समाज के बड़े हिस्से को अनाज वितरित करने की जो शुरूआत हुई, उसने भुखमरी से निजात पाने में गहरा असर डाला। सुप्रीम कोर्ट ने 28 नवंबर, 2001 को मध्याह्न भोजन योजना के संबंध में ऐतिहासिक आदेश दिये थे। इस आदेश के बाद भी उसके द्वारा कई महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश जारी होते रहे हैं।

उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी प्रमुख अंतरिम आदेश की तिथियां-

1. 23 जुलाई, 2001
2. 28 नवंबर, 2001
3. 2 मई, 2003
4. 27 अप्रैल, 2004
5. 12 जुलाई, 2006

सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली व्यवस्था के संबंध में **23 जुलाई, 2001** को सुनवाई की थी। उसने इसी दिन पहली बार एक अहम आदेश जारी किया। इसमें उसने कहा कि बुजुर्गों, अशक्तों, विकलांगों, भुखमरी की शिकार दरिद्र महिलाओं और दरिद्र पुरुषों, गर्भवती और दूध पिलाती महिलाओं तथा दरिद्र बच्चों को भोजन उपलब्ध कराया जाना बहुत आवश्यक है। खासकर उन मामलों में, जिनमें वे या उनके परिवार के सदस्य उन्हें पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराने की आर्थिक स्थिति में नहीं होते हैं। अकाल की हालत में भोजन की कमी हो सकती है, लेकिन यहां तो प्रचूरता के बीच अभाव है। पर्याप्त अनाज भंडार के बावजूद वह बहुत गरीब लोगों को वितरित नहीं हो रहा है। इससे कुपोषण, भुखमरी और अन्य संबंधित समस्याएं पैदा हो जाती हैं। राज्यों, भारत सरकार तथा भारतीय खाद्य निगम को दो सप्ताह के अंदर जवाबी शपथ पत्र दाखिल कर देने चाहिए।

कोर्ट ने उम्मीद जताते हुए कहा कि उत्तरदायी सरकारें अपनी जनता के हित में काम करेंगी। अंतरिम आदेश के तौर पर उसने राज्यों को निर्देश दिए कि जन वितरण प्रणाली की सारी दुकानें खोली जाएं। आज से एक सप्ताह के अंदर काम शुरू करें। उन्हें रसद की नियमित आपूर्ति की जाये।

28 नवंबर, 2001 को हुई सुनवाई में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सरकार के मुताबिक टीडीपीएस के संदर्भ में खाद्यान्न के आवंटन के मामले में पूर्ण अनुपालन हुआ है। फिर भी यदि कोई राज्य पूर्ण अनुपालन न होने संबंधी किसी विशेष घटना की जानकारी अदालत को देता है तो इस योजना के दायरे में केंद्र सरकार आवश्यक कार्रवाई करेगी।

- राज्यों को निर्देश दिया जाता है कि वे 1 जनवरी, 2002 तक गरीबी

रेखा से नीचे के परिवारों की पहचान का कार्य पूरा कर लें। राशन कार्ड जारी कर दें और प्रतिमाह प्रति परिवार 25 किलो खाद्यान्न का वितरण आरंभ कर दें।

- दिल्ली सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि टीडीपीएस के आवेदन फॉर्म आसानी से उपलब्ध हैं। उन्हें प्राप्त करने और जमा करने के लिए कोई शुल्क नहीं लगे। दिल्ली सरकार शिकायतों के त्वरित और प्रभावी निवारण के लिए एक प्रभावी व्यवस्था भी सुनिश्चित करे।

23 जुलाई, 2007 को उच्चतम न्यायालय में इस योजना के बारे में फिर सुनवाई हुई। अदालत के अनुसार, वादी के वकील को अंतरिम राहत के लिए नया आवेदन दाखिल करने की अनुमति दी जाती है। इसकी एक प्रति भारत सरकार के वकील, राज्यों के वकील और भारतीय खाद्य निगम के वकील को दी जाये। महाधिवक्ता के अनुसार, इस मुकदमे को प्रतिद्वन्दात्मक न माना जाये। यह सबकी चिंता का विषय है। हमारी राय में बुजुर्गों, अशक्तों, विकलांगों, भुखमरी की शिकार, दरिद्र महिलाओं और दरिद्र पुरुषों, गर्भवती और दूध पिलाती महिलाओं तथा दरिद्र बच्चों, खासकर उन मामलों में जिनमें वे या उनके परिवार के सदस्य उन्हें पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराने की आर्थिक स्थिति में न हों, को भोजन उपलब्ध कराना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रचूर भोजन की उपलब्धता के बावजूद वह बहुत गरीब लोगों तथा दरिद्रों तक वितरित नहीं हो पा रहा है। इससे कुपोषण, भुखमरी और अन्य संबंधित समस्याएं पैदा हो जाती हैं। अदालत ने राज्यों, भारत सरकार तथा भारतीय खाद्य निगम को दो सप्ताह के अंदर जवाबी शपथ दाखिल करने का निर्देश दिया।

अदालत ने सुनवाई के क्रम में कहा कि गरीब लोग, दरिद्रजन तथा समाज के कमजोर वर्ग भूख और भुखमरी से पीडित न हों। इसे रोकना सरकार का एक प्रमुख दायित्व है। चाहे वह केन्द्र हो या राज्य। इसे सुनिश्चित करना नीति का विषय है। यह सुनिश्चित हो कि जो अन्न भण्डारों में खासकर भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में भरा पड़ा है, यह समुद्र में डुबाया ना जाय। ना ही इसे चूहों द्वारा खाया जाये या बर्बाद किया जाये।

प्रमुख आदेश :

- सरकार आवश्यक वस्तुओं को खाद्य वितरण योजना के तहत वितरण, कम मूल्यों पर करेगी। यह काम उचित मूल्य की दुकानों या राशन दुकानों के जरिए हो।
- अधिकृत व्यक्ति एक प्रार्थना पत्र देकर राशन कार्ड प्राप्त कर सकता है और खाद्य वितरण योजना का लाभ उठा लेने का पात्र होगा।
- गरीबी रेखा से नीचे, गरीबी रेखा के ऊपर परिवारों को 35 किग्रा अनाज वितरण किया जायेगा।
- प्रत्येक राशन दुकान एक सप्ताह में 6 दिन व 8 घंटे खुलेगी।
- खाद्य वितरण योजना के लाइसेंस जारी किये जाएंगे। अगर दुकान सप्ताह में 6 दिन व 8 घंटे नहीं खुलती है, तो इसका लाइसेंस स्थगित किया जाएगा। अगर दुकानदार बीपीएल दरों पर राशन उपलब्ध नहीं करवाते हैं व बीपीएल कार्ड अपने पास रखते हैं, उनमें गलत जानकारी भरते हैं तथा कालाबाजारी करते हैं तो भी लाइसेंस कैंसिल किये जाएंगे।
- लाभुक राशन किस्तों में भी खरीद सकते हैं।
- दुकानदार को राशन उठाकर बीपीएल परिवार को पहले सप्ताह में बांटना होगा।
- डीलर/ दुकानदार प्रत्येक दिन दुकान पर खाद्य सामग्री आने की तारीख और उसका मूल्य अंकित करेगा। इसके वितरण से संबंधित जानकारियां जैसे कीमत तथा स्टॉक भी बोर्ड पर दर्शाएगा।
- लाभुक प्रत्येक खरीद के लिए राशन दुकानदार से रसीद प्राप्त करेंगे।
- किसी शिकायत के लिए दुकान पर उपलब्ध शिकायत पुस्तिका का उपयोग किया जाये।

अंत्योदय अन्न योजना

अंत्योदय अन्न योजना निर्धनतम परिवारों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू की गयी थी। वर्ष 2001 में प्रारंभ की गयी इस योजना के तहत दो करोड़ परिवारों को चयनित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। बेहद निर्धन परिवारों को अंत्योदय कार्ड दिया जाता है। इसके जरिए वे अनाज का विशेष कोटा

न्यूनतम दर पर पाने के हकदार होते हैं। अधिकृत परिवारों के चयन में ग्राम सभा को प्राथमिकता दी गयी है। योजना के तहत लाभुक परिवारों को अंत्योदय कार्ड पर प्रतिमाह 35 किलो अनाज देने का प्रावधान है। इसके एवज में उन्हें दो रुपये प्रति किलो गेहूं और तीन रुपये प्रति किलो चावल का भुगतान करना होता है।

पात्रता :

- वृद्ध, दुर्बल, विकलांग, निराश्रय लोग व महिलाएं, गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिलाएं।
- विधवाएं व निराश्रित एकल महिलाएं।
- वृद्धजन (60–65 वर्ष) जिनके पास किसी प्रकार का कोई सहारा नहीं है।
- ऐसा गृहस्वामी जो वृद्ध हो और जो शारीरिक व मानसिक दुर्बलता का शिकार हो
- ऐसा विकलांग व्यक्ति जिसे पर्याप्त देखभाल की जरूरत है व अन्य कोई परिवार जिसमें किसी भी प्रौढ़ सदस्य को लाभान्वित रोजगार नहीं दिया जा सकता।
- आदिवासी समाज के समूह।

सरकार के वैधानिक कर्तव्य :

- निराश्रित व्यक्तियों के लिये राज्य सरकार को अंत्योदय अन्न योजना का लाभ दिलाने के लिये योजनाएं बनानी चाहिये।
- राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना है कि कौन–से वर्ग अंत्योदय अन्न योजना में शामिल हैं। सभी राशन की दुकान माह में 26 दिन निर्धारित समय पर खुले और यह सूचना नोटिस बोर्ड पर दर्शाई जाएगी।
- राज्य सरकार द्वारा वैसे गरीबों को अनाज मुफ्त दिया जायेगा जो अपना राशन कोटा पाने में विफल रह जाते हैं।
- जानकारी उपलब्ध कराना ताकि बीपीएल परिवार अपने अधिकारों को जान सके।
- अंत्योदय अन्न योजना कार्डधारी को भी 35 किग्रा. अनाज प्रतिमाह प्राप्त हो।

प्रमुख बिंदु :

- वृद्ध, शारीरिक तौर पर कमजोर, निराश्रय, विकलांग व्यक्ति–महिला, गर्भवती, स्तनपान कराने वाली महिला और आदिवासी अंत्योदय अन्न भोजन योजना के कार्ड के हकदार होंगे।
- यह सुनिश्चित हो कि विधवा और अन्य एकल महिला जिसका कोई सहारा नहीं है, उन्हें कार्ड मिले।
- यह किया जाये कि ऐसे वृद्धजन जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक है और जिन्हें कोई सहारा देने वाला नहीं है, उन्हें कार्ड मिले।
- विकलांग परिवारपालक वृद्धावस्था के कारण और कोई सहारा नहीं प्राप्त करने के कारण अंत्योदय अन्न कार्ड के लिये अधिकृत होगा।
- ऐसे परिवार में, जिसका प्रमुख व्यक्ति वृद्ध हो, मानसिक स्वास्थ्य की कमी से जूझ रहा हो और विकलांग हो तथा उसकी देख–रेख के लिए कोई प्रौढ़ व्यक्ति नहीं हो और जो बाहर जाकर रोजगार करने में सक्षम न हो, उसे इस योजना का लाभ मिले।
- क्षेत्र के अधिकतम गरीब को इस योजना में महत्व मिले।
- बीपीएल कार्ड का होना अंत्योदय श्रेणी के लिए आवश्यक नहीं है।
- ग्राम सभा या स्थानीय निकाय अधिक से अधिक गरीब परिवार की पहचान करेगी और अंत्योदय कार्ड जारी करेगी।
- प्रत्येक राशन की दुकान पर राशन कार्ड रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, विक्रय रजिस्टर पूर्ण विवरण के साथ हमेशा उपलब्ध रहना चाहिए।
- किसी शिकायत की स्थिति में सामूहिक रुप से या स्थानीय पंचायत की मदद से संबंधित खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी या तहसीलदार और आवश्यकता पड़ने पर जिला उपायुक्त/जिला दंडाधिकारी के पास अपनी बात रख सकते हैं।

अंत्योदय अन्न योजना के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कई महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश जारी किए। उसने अलग–अलग तारीखों पर हुई सुनवाई में सरकार से इस योजना के समुचित अनुपालन की जानकारी ली। अदालत ने

एक सुनवाई में कहा कि सरकार के अनुसार अंत्योदय अन्न योजना के लिए खाद्यान्न के आबंटन के मामले में अनुपालन किया जा रहा है। परन्तु यदि कहीं से अनुपालन न होने संबंधी शिकायत मिलती है तो सरकार आवश्यक कार्रवाई करेगी। राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को निर्देश दिया जाता है कि वे 1 जनवरी 2002 तक इस स्कीम के तहत लाभार्थियों की पहचान कर लें। उन्हें कार्ड जारी कर दें। अनाज के वितरण का काम पूरा कर दें। अंत्योदय लाभार्थी अति निर्धनता के कारण अनाज उठाने में असमर्थ हो सकते हैं। ऐसे मामलों में केन्द्र, राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों से अनुरोध है कि वे अपनी पूर्ण संतुष्टि के बाद अनाज का कोटा निःशुल्क देने पर विचार करें।

सरकार सुनिश्चित करे कि राशन दुकानें पूरे महीने निश्चित घंटे में खुली रहें। इसका ब्यौरा सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किया जाए। न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में अगर लापरवाही बरती जाती है तो इसके लिए राज्यों के मुख्य सचिव और केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासक जिम्मेदार होंगे। मुख्य सचिवों या प्रशासकों को यह आखिरी मौका है कि वे न्यायालय के 28 नवम्बर 2001 तथा 8 मई 2002 के आदेशों को अनुवादित कराकर प्रमुखता के साथ उनका सभी ग्राम पंचायतों, स्कूलों, तथा राशन की दुकानों पर स्थायी तरीके से प्रदर्शित करें। रेडियो और दूरदर्शन से भी उनका खूब प्रचार कराया जाए। यह काम आठ सप्ताह के भीतर हो जाना चाहिए।

प्रत्येक राज्य सरकार और केन्द्र सरकार का दायित्व है कि वे भूख, कुपोषण से होने वाली मौतों की रोकथाम करें। अगर कमिश्नर ऐसी कोई रिपोर्ट देता है और न्यायालय को भी लगता है कि वाकई में कोई भूख से मरा है तो माना जायेगा कि आदेशों का पालन नहीं हो रहा है। इसके लिए राज्यों के मुख्य सचिव तथा केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासन को जिम्मेदार माना जाएगा।

2 मई, 2003 को हुई सुनवाई के क्रम में सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले दो सालों में अपने विभिन्न आदेशों के अनुपालन नहीं होने के बारे में गहरी चिन्ता जाहिर की। एक आदेश में कोर्ट ने यह कहा कि बूढ़े, लाचार व्यक्तियों, विकलांगों, बेसहारा महिलाओं व भुखमरी के कगार पर खड़े बूढ़े पुरुषों, गर्भवती महिलाओं व बच्चों को दूध पिलाने वाली माताओं तथा बेसहारा बच्चों को भोजन उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। खासकर उन मामलों में जहां उनके पास या

उनके परिवार के पास इतना भोजन उपलब्ध नहीं है कि उन्हें पर्याप्त भोजन मिल सके। अकाल के समय में खाने की कमी हो सकती है, लेकिन यहां वास्तविक स्थिति यह है कि काफी मात्रा में भोजन है, परन्तु उसका वितरण जरूरतमंदों तक नहीं हो रहा है। इसकी वजह से कुपोषण, गरीबी व इनसे जुड़ी दूसरी समस्याएं पैदा हो रही हैं। कोर्ट की मुख्य चिंता यह है कि समाज का कमजोर तबका भूख या भुखमरी से त्रस्त न हों। लोगों को भूख से बचाना केन्द्र व राज्य सरकार दोनों की मुख्य जिम्मेदारी है। जिनका क्रियान्वयन न हो, वैसी योजनाएं बना भर देना बेकार है। जरूरी यह है कि भोजन भूखे तक पहुंचे।

अन्नपूर्णा योजना

वर्ष 2000 में इस योजना का प्रारंभ हुआ था। योजना का मकसद ऐसे वृद्ध लोगों की पहचान करना था, जिनके पास आय का कोई स्रोत नहीं है। साथ ही देखभाल के अभाव में वे कई समस्याओं से जूझ रहे हैं। अन्नपूर्णा योजना के जरिए उनके लिए खाद्य सुरक्षा की गारंटी तय की गयी है।

योजना की रूपरेखा :

- इसका प्रारंभ वर्ष 2000 में हुआ।
- वृद्ध नागरिकों के लिये, जो 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हैं तथा जो राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेन्शन योजना (एन.ओ.ए.पी.एस) में वृद्धावस्था पेन्शन के हकदार हैं, लेकिन अब उन्हें पेन्शन नहीं मिल पा रही है।
- लाभान्वित लोग 10 किग्रा. निःशुल्क अनाज प्राप्त करने के हकदार हैं।
- 2002–2003 से यह योजना राज्य प्लान में स्थानांतरित कर दी गयी। यह अब राष्ट्रीय सामाजिक सहायता प्रोग्राम के तहत चलाई जा रही है।
- पेंशन राशि प्रतिमाह 200 रुपए है।

सुप्रीम कोर्ट की पहल :

उच्चतम न्यायालय में वृद्ध जनों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के संबंध में इस योजना के ऊपर अलग–अलग तारीखों में सुनवाई हुई। अदालत ने इस योजना के बेहतर अनुपालन के संबंध में विभिन्न आदेश जारी किए। 28 नवंबर, 2001 और 27 अप्रैल, 2004 को जारी आदेशों से इस योजना को बल मिला।

- अन्य दूसरी अनाज सम्बन्धी योजनाओं के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने 28 नवंबर, 2001 को शीघ्र ही अन्नपूर्णा स्कीम लागू करने का आदेश पारित किया। उसने सभी राज्यों, केंद्र सरकारों को निर्देश दिए कि जरूरतमंद लोगों की पहचान की जाए। अनाज का वितरण 1 जनवरी, 2002 से प्रारंभ किया जाय।)
- वृद्धावस्था पेंशन योजना व परिवार लाभान्वित योजना के साथ इस योजना को समाप्त न किया जाये। उच्चतम न्यायालय की अनुमति के बिना कोई पाबंदी नहीं लगाई जाये।

प्रमुख बिंदु :

- ऐसे निराश्रित व्यक्ति जिनकी उम्र 65 साल या उससे अधिक है और जिन्हें राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल पाता, उन्हें अन्नपूर्णा योजना का लाभ मिलेगा।
- प्रत्येक अन्नपूर्णा कार्डधारक को 10 कि.ग्रा. अनाज राशन दुकान से निःशुल्क प्रत्येक माह प्राप्त होगा।
- प्रौढ़ व्यक्ति, जिसके पास अन्नपूर्णा कार्ड है, उसे तत्काल आवश्यकता पर अनाज सुरक्षा उपलब्ध कराया जाएगा।
- प्रत्येक ग्राम पंचायत पूर्ण प्रचार कर अन्नपूर्णा लाभान्वितों का चयन करेगी।
- अगर उपयुक्त व्यक्ति का चयन एक बार राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए हो जाय तो उस अवस्था में अन्नपूर्णा योजना स्थगित कर दी जाएगी।
- अन्नपूर्णा कार्डधारक राशन दुकान से राशन की मांग करेंगे।
- इस योजना के लिए अधिकृत वृद्धों को प्राथमिकता देनी है। अन्नपूर्णा कार्ड प्रत्येक अधिकृत व्यक्ति को मिलेगा।
- अन्नपूर्णा योजना से जुड़ी शिकायतों को ग्राम पंचायत के समक्ष, तहसीलदार व जिला कलेक्टर के समक्ष रखें। जरूरत हो तो सूचना के अधिकार का उपयोग करें।
- अन्नपूर्णा स्कीम के लाभुक गरीबी रेखा के नीचे के हों।

समेकित बाल विकास योजना

एकीकृत बाल विकास योजना छह वर्ष से कम आयु के बच्चों की जरूरतों को ध्यान में रखकर लागू की गयी है। यह छोटे बच्चों को पूरक पोषण, स्वास्थ्य सेवा और स्कूल पूर्व शिक्षा देने का एकमात्र महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यक्रम है। बच्चों के साथ–साथ इस कार्यक्रम में किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी इस योजना में शामिल किया गया है। एकीकृत बाल विकास योजना से संबंधित सभी सेवाएं लाभार्थियों को आंगनबाड़ी केंद्रों या आईसीडीएस केंद्रों के माध्यम से प्रदान की जाती हैं। देश भर में 8.63 लाख आंगनबाड़ी केंद्र हैं। इनके जरिए छह माह से छह साल तक के आयु वर्ग के छह करोड़ से भी अधिक बच्चों को सेवाएं दी जा रही हैं।

पृष्ठभूमि :

- इसका आरम्भ वर्ष 1975 में हुआ।
- इसका उद्देश्य 6 वर्ष तक के बच्चों को कुपोषणमुक्त बनाना था।
- छोटे बच्चों में जानलेवा बीमारियाँ और उनकी मौत की वारदात में कमी हेतु योजना प्रारम्भ की गई।
- बच्चों के समग्र विकास की योजनाओं में अच्छा समन्वय स्थापित करने का प्रयास हुआ।
- उद्देश्य महिलाओं के स्वास्थ्य व लड़कियों के लिये सुरक्षा प्रदान करना है।
- 6 वर्ष तक के बच्चे, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली महिलाओं व किशोरी लड़कियों के लिये तैयार की गयी थी।

सुप्रीम कोर्ट की पहल :

समेकित बाल विकास योजना से संबंधित मामलों की सुनवाई भी अलग–अलग तारीखों को हुई। अदालत ने महत्वपूर्ण आदेश भी केंद्र सरकार को दिए। न्यायालय की ओर से **28 नवंबर, 2001, 29 अप्रैल** और **7 अक्टूबर, 2004 तथा 13 दिसंबर, 2006** तथा उसके बाद की तिथियों में आई.सी.डी.एस योजना से संबंधित कई महत्वपूर्ण आदेश जारी किए –

- देश में छह लाख आंगनबाड़ी केंद्र हैं। भारत सरकार के मानकों के अनुसार 1000 की आबादी पर एक केंद्र है। आदिवासी क्षेत्रों के लिए 700 की आबादी निर्धारित है। पर इस अनुपात के हिसाब से 14 लाख आंगनबाड़ी केंद्र होने चाहिए। केंद्र सरकार जुलाई, 2004 तक इस लक्ष्य को पूरा करे।
- कार्यकलापों के संबंध में – सामूहिक बाल विकास योजना आंगनबाडी द्वारा 300 दिवस तक सेवाएं प्रतिवर्ष उपलब्ध होंगी।
- अतिरिक्त पोषण के प्रावधानों के आदेश– हर कुपोषित बच्चे को 600 कैलोरी और 20 ग्राम तक पोषक आहार मिले।
- एस.एन.पी आपूर्ति के लिए ठेकेदार अधिकृत नहीं होंगे।
- स्थानीय स्वयं सहायता समूह व महिला मंडल को अतिरिक्त अनाज उपलब्ध कराने में लगाया जाएगा जो आंगनबाड़ी केंद्रों को सप्लाई करेंगे। ये अनाज क्रय करेंगे तथा स्थानीय रूप से तैयार किये जाए। वे वितरण की भी देख–रेख करें।
- कच्ची बस्तियों में आंगनबाड़ी सेंटर बनाए जाएंगे।
- सामूहिक बाल विकास योजना बीपीएल के लिये कभी नहीं रोका जाए।
- पका हुआ भोजन केंद्रों पर दिया जाए।
- प्रत्येक ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में जहां 6 साल से कम आयु के 40 बच्चे हों, आंगनबाड़ी की मांग की जा सकती है।
- अगर 300 से 800 तक की जनसंख्या जनजाति क्षेत्र में हो और मैदानी, शहरी क्षेत्र में 400 से 600 तक की आबादी हो तो वहां भी मांग पर आंगनबाड़ी केंद्र खोले जा सकते हैं।
- सभी पिछड़ी जाति, अनुसूचित जनजाति के निवासी देश में आंगनबाड़ी केंद्र चला सकते हैं।
- जिन बच्चों की आयु 6 वर्ष से कम है, उनके लिए पोषण तत्व में 300 कैलोरी व 8–10 ग्राम प्रोटीन और जवान लड़कियों को 500 कैलोरी व 20–25 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन मिलना चाहिए।

- कुपोषित बच्चों को आम बच्चों की तुलना में दुगुना पोषण आहार यानि 600 कैलोरी व स्वास्थ्य सिफारिशों के अनुसार अतिरिक्त पोषण दिया जाना है।
- गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिलाओं को 500 कैलोरी पोषण तत्व 20–25 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन तथा साल में 300 दिन तक आइ.सी.डी. एस. योजना में दिया जाएगा।
- सभी कुपोषित व निम्न पोषक बच्चों को जाति व धर्म का भेदभाव किए बिना 600 कैलोरी विशेष पोषण तत्व मेडिकल सिफारिश पर प्रदान किया जाये।
- आंगनबाड़ी केंद्रों में भर्ती करने के लिए गरीबी रेखा के नीचे के मापदंड का इस्तेमाल नहीं किया जाना है।
- स्थानीय स्वयं सहायता समूह व महिला मंडल को बढ़ावा दिया जाये। वे अतिरिक्त भोजन आंगनबाड़ी केन्द्रों पर उपलब्ध कराएं। ठेकेदारों को सेंटरों पर आपूर्ति की अनुमति नहीं है।
- आइ.सी.डी.एस. सेंटरों का उपयोग बीमारी की रोकथाम, स्वास्थ्य शिक्षा, पूर्व स्कूल शिक्षा व अतिरिक्त पोषण लाभान्वितों को देने हेतु होगा।
- प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र एक रजिस्टर रखेगा। इसमें बच्चों का वजन, मेडिकल जांच, बच्चों व माताओं की बीमारियों की रोकथाम संबंधी आंकड़े व अन्य जानकारी रिकार्ड की जाए।

मध्याह्न भोजन योजना

देश में 15 अगस्त, 1995 को प्राथमिक शिक्षा के साथ पोषण सहायता के राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरूआत की गयी थी। इसे मध्याह्न भोजन योजना के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना के तहत दो सालों के भीतर देश के सभी सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को पका हुआ तैयार भोजन देने की व्यवस्था शुरू कर दी गयी। हालांकि पहले इस योजना के तहत प्राथमिक स्तर तक के विद्यालयों का चयन किया गया था। बाद में इसमें सभी सरकारी मध्य विद्यालयों को भी शामिल कर लिया गया। माना जाता है कि आंगनबाड़ी कार्यक्रम के अलावा मिड डे मील ही ऐसी योजना है जिसमें बच्चों की पोषण संबंधी जरूरतें पूरी हो पाती हैं। इसके पीछे धारणा यही रही है कि कुपोषित

बच्चों के सीखने या अध्ययन करने की क्षमता सामान्य बच्चों की अपेक्षा कमजोर रहती है। स्कूली प्रक्रिया में वे अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने से वंचित रह जाते हैं। कई बार तो ऐसे हालात में उन्हें स्कूली पढ़ाई छोड़नी पड़ती है।

केंद्र सरकार की ओर से मानव संसाधन विकास विभाग मिड डे मील योजना का प्रमुख संचालनकर्ता है। विभाग के प्राथमिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा इस योजना का क्रियान्वयन किया जाता है। राज्य सरकारों के स्तर पर अलग–अलग राज्यों में इसके क्रियान्वयन की जवाबदेही अलग–अलग है। भारतीय खाद्य निगम की भूमिका भी इस योजना में काफी अहम है। उसके द्वारा हर जिले को निर्धारित मात्रा के अनुरूप अनाज प्रति बच्चा प्रतिदिन के हिसाब से आबंटित किया जाता है।

प्रमुख बिंदु :

- लक्ष्य– प्राथमिक व माध्यमिक स्कूल के बच्चों तक।
- प्राथमिक और मध्य विद्यालय के शिक्षा स्तर के विस्तारण में वृद्धि करना।
- प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में पोषण के स्तर को उन्नत करना।
- भोजन में 300–450 तक कैलोरी की व्यवस्था करना।
- भोजन में प्रोटीन की मात्रा 12 ग्राम तक रखना।
- सूक्ष्म पोषण तंत्र– सूक्ष्म भोजन तत्व लौह व विटामिन ए, आदि की उचित मात्रा रखना।
- स्कूल जाने वाले प्रत्येक बच्चे को भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से प्रत्येक साल व प्रतिदिन 100 ग्राम का अनाज मुफ्त में उपलब्ध कराना।
- स्कूलों में रसोईघर सह स्टोर बनाने के लिए प्रति यूनिट अधिकतम 60000 राशि आबंटित करने में सहायता प्रदान करना।
- इसके प्रादुर्भाव, नियंत्रण व प्रबंध के लिए राज्यों को सहायता देना।

प्रमुख उद्देश्य :

- सामाजिक समानता लाना।
- विद्यालयों का सहयोग प्राप्त करना।
- जातिगत भुखमरी को रोकना।

- बच्चों के स्वास्थ्य के लिये सुविधाएं देना।
- वास्तविक शिक्षा गुणवत्ता।
- पौष्टिक मिड डे मील बच्चों को भूख से बचाने व अतिरिक्त पोषण की व्यवस्था।
- योजना बच्चों के शिक्षा के अधिकार के लिये काफी उपयोगी है जिसके कारण स्कूल जाने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि होती है।

उच्चतम न्यायालय के आदेश :

बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन एक बड़ी राहत लेकर आया था। शिक्षा का अधिकार और पोषणयुक्त जीवन का अवसर प्रदान करने में इस योजना ने बड़ी भूमिका निभायी है। सुप्रीम कोर्ट ने **28 नवंबर, 2001, 20 अप्रैल और 27 अप्रैल, 2004 तथा 17 अक्टूबर, 2004** को मध्याह्न भोजन योजना के संबंध में ऐतिहासिक आदेश दिये थे। इस आदेश के बाद भी उसके द्वारा कई महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश जारी होते रहे हैं–

- केंद्र सरकार का कहना है कि मध्याह्न भोजन योजना (एमडीएमएस) के संबंध में अदालत के निर्देशों का पूरा अनुपालन हुआ है। परन्तु यदि किसी राज्य में योजना के अनुपालन न होने संबंधी कोई शिकायत मिलती है तो केंद्र सरकार इस स्कीम के दायरे में आवश्यक कदम उठायेगी।
- हम राज्य सरकारों, केन्द्र शासित क्षेत्रों को निर्देश देते हैं कि सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में हर बच्चे को तैयार किया हुआ मध्याह्न भोजन देकर मध्याह्न भोजन योजना क्रियान्वित करें। यह मध्याह्न भोजन कम से कम 300 कैलोरी और 8 से 12 ग्राम प्रोटीन वाला होना चाहिए तथा कम से कम 200 दिनों तक विद्यालय में प्रतिदिन देना चाहिए। जो सरकारें पके हुए भोजन के बदले सूखा राशन दे रही हैं वे तीन महीने में विद्यालयों में कम से कम राज्य के आधे जिलों में (गरीबी के क्रमानुसार) पका हुआ भोजन देना शुरू कर दें। 28 मई, 2002 तक सभी जिलों में ऐसा अनिवार्य रूप से हो जाना चाहिए।
- केंद्र सरकार और भारतीय खाद्य निगम को निर्देश दिया जाता है कि इस स्कीम के लिए वे समय पर औसत अच्छे किस्म का अनाज उपलब्ध

करायें। राज्यों, केन्द्र शासित क्षेत्रों और भारतीय खाद्य निगम को यह भी निर्देश दिया जाता है कि वे खाद्यान्न का संयुक्त निरीक्षण करें। यदि संयुक्त निरीक्षण में खाद्यान्न औसत किस्म का नहीं पाया जाता है तो उठाव के पहले उसे भारतीय खाद्य निगम बदल देगा।

- प्रत्येक सरकारी और अर्द्ध–सरकारी स्कूलों में मिड डे मील तैयार होगा। इसमें 300 कैलोरीज व 8–12 ग्राम तक प्रोटीन की मात्रा सुनिश्चित होगी। सालभर में कम से कम 200 दिन ऐसा किया जाना अनिवार्य हो।
- दलित जाति के भोजन पकाने वालों को प्राथमिकता दी जाये।
- अनुसूचित जाति व जनजाति को भोजन परोसने वाले व सहायकों के तौर नियुक्ति में प्राथमिकता दी जाए।
- अकालग्रस्त क्षेत्रों में गर्मी की छुट्टियों में भी मिड डे मील की व्यवस्था हो।
- भारत सरकार ऐसे प्रावधान करेगी जिससे प्रत्येक स्कूल में रसोईघर बनाये जाएं।
- सरकार यह आश्वस्त करे कि अच्छे संसाधन सुरक्षित पीने योग्य पानी व भोजन की गुणवत्ता कायम रहेगी।
- संयुक्त रूप से नियंत्रण की व्यवस्था की जाए।
- भारतीय खाद्य निगम यह सुनिश्चित करे कि अच्छी गुणवत्ता का अनाज मिड डे व्यवस्था के लिए आबंटित हो।
- निःशुल्क – पका हुआ भोजन तैयार करने और उसे बच्चों को खिलाए जाने की प्रक्रिया पूर्णतया निःशुल्क होगी।
- दिसम्बर 2004 के निर्देशानुसार – राज्य सरकारों को विशेष निर्देश प्रदान कर योजना का क्रियान्वयन कराया जाए।

राष्ट्रीय मातृत्व सहयोग योजना

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत देश में गर्भवती माताओं को सहयोग प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय मातृत्व सहायता योजना 15 अगस्त, 1995 को शुरू की गई थी। गरीबी रेखा से नीचे जीने वाली महिलाओं को मातृत्व लाभ प्रदान करने का यह एक सकारात्मक प्रयास माना जाता है।

पृष्ठभूमि :

- यह योजना दिनांक 15 अगस्त, 1995 को (एन.एस.ए.पी – राष्ट्रीय सामाजिक सहायता प्रोग्राम) के एक भाग की तरह प्रारम्भ की गई। अभी यह योजना स्वास्थ्य मंत्रालय के जरिए संचालित होती है।
- एन.एम.बी.एस के अंतर्गत बीपीएल परिवार की ऐसी महिला, जिसकी आयु 19 वर्ष से अधिक हो, उसे एक साथ नगद 500 रुपया दिया जाता है। यह दो बच्चों को जन्म देने तक प्रदान किया जाता है। यह लाभ आठवें से बारहवें महीने के बीच प्राप्त होगा।
- राष्ट्रीय मातृत्व लाभान्वित योजना का पुनः सुधार किया गया जिसे जननी सुरक्षा योजना (जे.एस.वाई) के नाम से पुकारा गया।
- इसे दिनांक 12 अप्रैल 2005, से लागू किया गया।
- जे. एस.वाई का उद्देश्य मातृत्व काल में मुत्यु दर को घटाना था। शिशुओं की मृत्यु दर को घटाना भी एक लक्ष्य था। इसमें स्वास्थ्य संस्थाओं– अस्पतालों में प्रसव डिलीवरी की संख्या को बढ़ाना और प्रोत्साहित करना था। हालांकि मुख्य बिन्दु एनएमबीएस के माध्यम से मातृत्व लाभ दिए जाने का था।

एन.एम.बी.एस व जे.एस.वाई

- एन.एम.बी.एस योजना जननी सुरक्षा योजना में शामिल कर दी गयी (जो संस्थाएं डिलिवरी करायेंगी)। इसके कारण बहुत–सी महिलाएं जो एन.एम.बी.एस में लाभ प्राप्त कर सकती थीं, लेकिन उनके द्वारा घर पर ही प्रसव कराने की वजह से कोई लाभ नहीं मिला। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर 28 नवंबर 2007, के अनुसार एन.एम.बी.एस को लागू रखा गया।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश :

उच्चतम न्यायालय ने **28 नवंबर 2001, 22 अप्रैल, 2004, 9 मई 2005** और **11 नवंबर तथा 28 नवंबर, 2007** को राष्ट्रीय मातृत्व सहायता योजना के संबंध में केंद्र सरकार को आदेश जारी किये –

- एन.एम.बी.एस को किसी भी तरीके से बंद न किया जाये। न ही कोई पाबंदी लगाई जाए।
- यह सुनिश्चित किया जाए कि बीपीएल गर्भवती महिला को 8–12 सप्ताह पहले तक यह सहायता मिले।
- प्रत्येक जन्म पर 500 रुपये नगद दिया जाए और बच्चों के जन्म की संख्या और महिला पर उम्र की कोई पाबंदी नहीं लगाई जाये।

अन्य आदेशों के प्रमुख बिंदु :

- बीपीएल श्रेणी की सभी गर्भवती महिलाओं को किसी बच्चे के जन्म काल से 8 से 12 सप्ताह पूर्व 500 रुपये का भुगतान करना है, चाहे उनकी उम्र जो भी हो।
- महिलाओं के समूहों और स्वयं सहायता समूह एनएमबीएस के लाभान्वितों की पहचान अपने क्षेत्र में करेंगे। ग्राम सभा में प्रत्येक बच्चे के जन्म पर भुगतान किया जाएगा।
- जननी सुरक्षा योजना में नगद सहायता के साथ बच्चे के जन्म से पूर्व प्रसव काल में सुरक्षा प्रदान की जाएगी। संस्थागत सुरक्षा प्रसव के समय और इसके अलावा प्रसव के बाद प्रदान की जाए।
- गर्भवती माताएं 1400 रुपये आर्थिक सहायता ग्रामीण इलाकों में प्राप्त करेंगी। शहरी क्षेत्र में 1000 रुपये तक प्राप्त करेंगी। यह तब होगा जब संस्थागत प्रसव कराया जाए।
- राशि का भुगतान प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों द्वारा या लोकल सरपंच या पंचायत के मुखिया द्वारा किया जाएगा।
- भुगतान एक ही बार में किया जाएगा। यह भुगतान माताओं को उनके अस्पताल से छुट्टी देने के समय दिया जाये।
- प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सरकारी अस्पताल एक सूची लगायेंगे। इसमें एनएमबीएस के लाभान्वितों का विवरण, उसके भुगतान करने की तारीख अंकित हो। यह सूचना बोर्ड पर चिपकायी जाये।
- योजना से संबंधित कोई भी शिकायत जिला उपायुक्त या जिला दंडाधिकारी के पास की जायेगी। सूचना के अधिकार का भी उपयोग हो।

- सभी गर्भवती महिलाओं को निबंधित होने, तीन बार बच्चे के जन्म से पूर्व सुरक्षा लेने व दो बार डिलीवरी के बाद देख–रेख करवाने और आने जाने के लिये साधन प्राप्त करने का अधिकार होगा।
- जननी सुरक्षा योजना के लाभान्वितों की सूची पंचायत भवनों पर, आइ. सी.डी.एस. सेंटरों, जन स्वास्थ्य केंद्रों, ब्लॉक व जिला हॉस्पिटल में प्रदर्शित की जाए।

राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेन्शन योजना

गरीब परिवारों में आजीविका के स्रोत और संसाधन सीमित होते हैं। ऐसे में वृद्ध सदस्यों के लिए सम्मानजनक जीवन और भी कठिन हो जाता है। इस लिहाज से उनके लिए राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। माना जाता है कि देश में सामाजिक और खाद्य असुरक्षा के कारण वृद्धजनों को भुखमरी का सामना करना पड़ता है।

पृष्ठभूमि :

- ऐसे लोग, जिनकी आयु 65 वर्ष से अधिक है, वे इस योजना के दावेदार हैं।
- यह योजना 1995, में राष्ट्रीय समाज सहायता प्रोग्राम के एक हिस्से के रूप में लागू की गई।
- वर्ष 2002–2003 में इसे राज्य सरकारों को सौंप दिया गया। पहले इसे केंद्र द्वारा संचालित राज्य योजनाओं में चलाया जा रहा था।
- इस योजना को काफी कम महत्व दिया गया व कम लक्ष्य रखे गये।
- एन.ओ.पी.एस का प्रारम्भ 1995, में एन.एस.पी.एस के भाग के रूप में किया गया। इस समय प्रत्येक पेंशनर को 75 रुपये प्रतिमाह लाभान्वित किया जाना तय किया गया।
- इसमें तीन प्रकार से अधिकृत मापदंड स्थापित किये गये– बीपीएल स्तर, निराश्रित स्तर व 65 वर्ष से अधिक आयु।

सहायता का पुनर्निर्धारण :

- वर्ष 2006–2007 में केंद्र सहायता पेंशन के लिए 75 रुपये से बढ़ाकर 200 रुपये एन.ओ.ए.पी.एस के तहत किया गया।

- केंद्र सरकार ने इसमें गरीबी रेखा से नीचे स्तर के लिए 50 प्रतिशत फण्ड दिया।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश :

वृद्धजनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण इस योजना के संबंध में अदालत में अलग–अलग तारीखों को सुनवाई हुई। 28 नवंबर, 2001, 18 नवंबर और 27 नवंबर, 2004 को हुई सुनवाई में अदालत ने केंद्र सरकार को आदेश जारी किए थे –

- राज्य सरकार पूर्ण रूप से पहचान करे कि कौन लोग एन.ओ.ए. पी.एस के अंतर्गत हकदार हैं। यह भी सुनिश्चित करे कि पेंशन लगातार दी जा रही है।
- इस पेंशन का भुगतान प्रत्येक माह की सात तारीख तक किया जाये।
- इस योजना में कोई पाबंदी बिना उच्चतम न्यायालय के आदेश के नहीं लगाई जाए।

अन्य आदेशों के प्रमुख बिंदु :

- कोई गरीब व्यक्ति जिसकी आयु 65 वर्ष या उससे अधिक हो, राष्ट्रीय पेन्शन का हकदार है।
- केंद्रीय सरकार 200 रुपये प्रतिमाह प्रत्येक पेंशनर को देगी। प्रत्येक स्टेट को केंद्र द्वारा यह कहा गया कि वह इस राशि के बराबर का हिस्सा वहन करे।
- एनओआरपीएस पेंशन का भुगतान प्रत्येक माह की सात तारीख को होगा।
- गांव के नोटिस बोर्ड पर लाभान्वितों की सूची लगायी जाये।
- सरकार यह सुनिश्चित करे कि कोई भी जरूरतमंद लाभुक इस योजना से वंचित ना रहे।
- जरूरतमंद व्यक्ति योजना का लाभ पाने को एक प्रार्थना पत्र एनओएपीएस के तहत संबंधित पंचायत अधिकारी और आवश्यकता पड़ने पर जिला उपायुक्त को पंचायत की मदद से दे सकते हैं।

- सरकार यह तय करेगी कि इस योजना के लिए अधिकृत व्यक्ति के चयन और पेंशन वितरण में घूसखोरी की शिकायत ना मिले।
- कोई नागरिक यह जान सकता है कि इस योजना के लिए कितना बजट आबंटन किया गया है। लाभुक कौन–कौन हैं। इसके लिए सूचना के अधिकार का उपयोग किया जा सकता है।
- सरकार महिला मंडल व ग्राम सभा और ग्राम समिति की मदद से एनओएपीएस योजना के आदेशों के पालन हेतु मदद ले।
- सरकार जिला उपायुक्त को या समकक्ष अधिकारी को एनओएपीएस स्कीम की समस्याओं के निदान के लिए अधिकृत करे। यह इसलिए ताकि जरूरत पड़ने पर लाभुक इनके पास अपील कर सकें।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा)

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी एक्ट एक महत्वपूर्ण कानून है। इसके द्वारा कोई भी वयस्क जो अकुशल मेहनती काम न्यूनतम मजदूरी दरों पर करना चाहता है, वह जन निर्माण कार्यों में रोजगार प्राप्त करने का हकदार है। यह कार्य उसे प्रार्थना–पत्र देने के 15 दिनों के भीतर उपलब्ध करना होगा। इसमें कार्य का आबंटन पहले आओ और पहले सेवा करो के आधार पर होता है। पंचायतों को प्रमुख दायित्व दिया गया है। जरूरतमंद को अगर 15 दिनों के भीतर काम नहीं दिया जाता है तो वह रोजगार भत्ता पाने का पात्र होगा।

प्रमुख आदेश :

- प्रत्येक ग्रामीण परिवार को मनरेगा योजनाओं में साल भर में 100 दिनों का रोजगार दिया जाये।
- कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 18 साल या इससे अधिक उम्र का है और ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता है, उसे कार्य दिया जायेगा।
- मनरेगा कार्यों के एक–तिहाई भाग का आबंटन महिलाओं को किया जाए।
- मांग के आधार पर बिना कोई शुल्क लिए 15 दिनों के अंदर जॉब कार्ड आबंटित किये जाएं। इसकी मान्यता 5 वर्षों तक होगी।

- अगर किसी परिस्थिति में 15 दिनों के भीतर जरूरतमंद को कार्य उपलब्ध नहीं कराया जा सके, तो उसे बेरोजगारी भत्ता देना होगा।
- मनरेगा में कार्य करने वाले श्रमिकों को उस राज्य में कृषि श्रमिकों को मिलने वाली न्यूनतम वैधानिक मजदूरी के बराबर ही भुगतान किया जाएगा।
- जरूरतमंद व्यक्ति, ग्रामीण काम पाने के लिए एक आवेदन देगा। कार्यक्षेत्र का दायरा उसके आवास से पांच कि.मी के दायरे के भीतर ही होगा। इससे अधिक दूरी पर कार्यक्षेत्र होने पर उसे श्रमिक भुगतान दर का न्यूनतम 10 प्रतिशत मजदूरी यात्रा भत्ता व्यय के तौर पर मिलेगा।
- श्रमिकों को कार्यस्थल पर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करानी होंगी। पीने को साफ पानी, बच्चों की देखभाल के लिए विश्राम स्थल व आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए।
- मनरेगा में कार्य करने वाले किसी श्रमिक की मृत्यु होने या स्थायी विकलांगता की अवस्था में उसके कानूनी उत्तराधिकारी को या लाभुक को 25,000 रुपए केंद्र सरकार की ओर से दिए जायेंगे।
- कोई नागरिक मनरेगा योजना से संबंधित जानकारियां, पत्र, मस्टर रोल, बजट आबंटन, ग्राम सभा द्वारा की गयी सभा और उसकी कार्यवाही आदि की सूचना ले सकता है। सामाजिक ऑडिट संबंधी जानकारी भी ली जा सकती है। इन सबमें सूचना के अधिकार का उपयोग व्यावहारिक होगा।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की शुरुआत 15 अगस्त सन 1995 में की गयी थी। भारतीय संविधान की धारा 41 राज्य को यह निर्देशित करता है कि अपने नागरिकों को ससम्मान जीवन जीने के लिए विकट परिस्थितियों (जैसे बेकारी, वृद्धावस्था, बीमारी एवं अपंगता या अन्य किसी कारणवश आर्थिक रूप से पिछड़े इत्यादि) में सरकार उन्हें उनकी आर्थिक क्षमता के अनुरूप मदद प्रदान करे। संविधान में निहित राज्य के नीति निर्देशक तत्व में देश के सभी नागरिकों को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का हक दिया गया है।

राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना, राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना एवं राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना सन 1995 में केंद्र सरकार द्वारा संचालित की गयी थी। फरवरी, 2009 में राष्ट्रीय विधवा पेंशन एवं राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन को जोड़ा गया। वर्तमान में सामाजिक सहायता कार्यक्रम में निम्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं –

- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना (झारखण्ड में केवल सिमडेगा एवं पूर्वी सिंहभूम जिलों में संचालित)
- राजकीय सामाजिक सहायता योजना, झारखण्ड
- झारखण्ड राज्य आदिम जनजाति पेंशन योजना

झारखंड राज्य में इस योजना का नोडल विभाग समाज कल्याण विभाग है। सरकारी संकल्प ज्ञापांक–06,सा.सु.(राज्य पेंशन)–1047, 2013–07 श्र.नि.–रांची, दिनांक–09–01–2014, जिसमें केंद्र एवं राज्य की हिस्सेदारी एवं पेंशन की राशि तथा योग्यता की जानकारी देखी जा सकती है।

इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मातृत्व लाभ

यह भारत सरकार का एक सशर्त मातृत्व लाभ कार्यक्रम है। इसे देश के चुनिन्दा जिलों के गर्भवती, धात्री महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया। जच्चा–बच्चा को बेहतर स्वास्थ्य एवं पोषण देने के लिए इसे आरंभ किया गया। यह योजना देश के 53 जिलों में संचालित की जा रही है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 को देश में क्रियान्वयन होने के कारण योजना के प्रावधानों में कुछ बदलाव किया गया है। इस योजना में सभी वर्ग की महिलाओं को शामिल किया गया है, जबकि केंद्र, राज्य, निजी, अर्द्ध–सरकारी उपक्रमों में कार्यरत महिलाओं को इस सूची में नहीं रखा गया है। यह योजना पूर्णतः 100 फीसदी केंद्रीय संपोषित कार्यक्रम है जिसमें लाभुक को 6000 रुपये की राशि का भुगतान दो किस्तों में करना है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना

इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना 15 अगस्त, 1995 से शुरू की गयी थी। प्रारंभ में यह योजना 18–65 वर्ष के व्यक्तियों के लिए थी। इसके तहत किसी परिवार में किसी सदस्य की आकस्मिक मृत्यु की स्थिति में सरकार प्रभावित परिवार को एक मुश्त 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करती थी। 18 अक्टूबर 2012 से इसमें संशोधन करते हुए उम्र सीमा को 18–65 वर्ष कर दिया गया। सहायता राशि को दोगुना करते हुए 20,000 रुपये कर दिया गया।

पात्रता : - आयु सीमा – 18–59 वर्ष

लाभुक परिवार शर्त – परिवार के मुख्य अर्जनकर्ता की मृत्यु होने पर

लाभुक परिवार को मिलने वाली राशि – 20,000 रुपये

लाभुक की पहचान – इस योजना के लिए मृत व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र, बी. पी.एल. कार्ड की प्रति तथा पंचायत प्रतिनिधि या कर्मचारी का सत्यापन जरूरी है।

सर्वोच्च न्यायालय के आदेश :

इस योजना के संबंध में उच्चतम न्यायालय ने अलग–अलग तिथियों को महत्वपूर्ण आदेश जारी किए थे। 28 नवम्बर, 2001 को जारी आदेश में उसने कहा कि सामाजिक सहायता कार्यक्रमों के अंतर्गत सभी राज्य सरकारें हितग्राहियों का चयन करें। 1 जनवरी, 2002 तक भुगतान की शुरुआत भी कर दें। सामाजिक सहायता पेंशन की राशि प्रतिमाह सात तारीख से पूर्व नियमित रूप से भुगतान किया जाये। योजना के अंतर्गत किसी परिवार के उपार्जक की मृत्यु की स्थिति में चार सप्ताह के अंदर स्थानीय मुखिया/सरपंच के माध्यम से राशि का भुगतान सुनिश्चित किया जाये।

27 अप्रैल 2004 को जारी आदेश में अदालत ने कहा कि भोजन के अधिकार से संबंधित कोई भी योजना जो इस केस में दर्ज है, उसे सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बगैर बंद नहीं किया जायेगा।

अदालत ने 20 नवंबर, 2007 के आदेश में कहा कि राष्ट्रीय मातृत्व सहायता योजना को चालू रखा जायेगा। गरीबी रेखा के नीचे आने वाली सभी महिलाओं को प्रसव के 8–12 सप्ताह पहले आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। सभी संबंधित सरकारों को आदेशित किया जाए कि वो योजना का प्रचार–प्रसार लगातार करें।

राज्य सामजिक सुरक्षा पेंशन योजना

राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत राज्य में विधवा, विकलांग, विमुक्त–बंधुआ मजदूर (जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो) तथा 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के असहाय व्यक्ति को, जिनकी वार्षिक आय सीमित हो, उन्हें सम्मिलित किया गया है। इस योजना में ऐसे लोगों को शामिल करने का प्रावधान है, जो व्यक्ति केंद्र संपोषित योजनाओं में आच्छादित नहीं हो पाए हैं। राज्य सामाजिक सहायता के अंतर्गत 600 रुपये प्रति माह निर्धारित है।

चयन के लिए मापदंड :

वृद्धा पेंशन के लिए आयु सीमा – 60 या उससे अधिक

विधवा, विकलांगता पेंशन के लिए आयु सीमा – 18 वर्ष या उससे अधिक

विकलांगता पेंशन के लिए आयु सीमा – 40 साल या उससे अधिक का विकलांगता प्रमाण पत्र.

राजकीय सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना दिनांक 01–02–2014 राज्य में प्रभावी है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना

इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना का उद्देश्य बी.पी.एल. परिवारों के विकलांगों को सामाजिक सुरक्षा का सहारा देना है। इसके लिए लाभुक की उम्र 18–59 वर्ष निर्धारित है। भारत सरकार इसके लिए 300 रुपये प्रति माह की दर से भुगतान करती है जबकि झारखण्ड सरकार का अनुदान 300 रुपया मिलाकर यह राशि कुल 600 रुपये प्रति माह हो जाती है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना

इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना बी.पी.एल परिवार की उन विधवा महिलाओं के लिए है जिनकी उम्र 40–59 वर्ष है। उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से यह योजना प्रारंभ की गयी थी। विधवा पेंशन योजना के तहत भारत सरकार 300 रुपये प्रति माह की दर से भुगतान करती है जबकि झारखण्ड सरकार का अनुदान 300 रुपया है। दोनों मिलाकर यह राशि कुल 600 रुपये प्रतिमाह होती है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्ध पेंशन योजना

इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्ध पेंशन योजना देश के वृद्ध नागरिकों के लिए प्रारंभ की गयी है। इसमें वैसे लोग शामिल हैं, जो वृद्ध एवं असहाय हैं। इसका उद्देश्य बुजुर्ग, असहाय व्यक्तियों को, जिनकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक है, उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। वृद्धावस्था के कारण कार्य करने में असमर्थता एवं परिवारिक दंश झेल रहे व्यक्तियों के लिए यह महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना में समाहित व्यक्तियों को 600 रुपये प्रति माह की दर से पेंशन की राशि प्रदान की जाती है। इसमें केंद्र सरकार की भागीदारी 200 रुपये और राज्य सरकार की भागीदारी 400 रुपये प्रतिमाह है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून और उच्चतम न्यायालय के महत्वपूर्ण आदेश

किसी नागरिक को भूखा ना सोना पड़े, इस दिशा में खाद्य सुरक्षा कानून बड़ी राहत लेकर आया है। भोजन का अधिकार अभियान को मुकाम तक पहुंचाने की दिशा में स्वराज अभियान जैसी संस्था की उल्लेखनीय भूमिका रही है। उच्चतम न्यायालय में इस मामले में (रिट याचिका (सिविल) 857/2015) लगातार कई सुनवाई चली हैं। 13 मई, 2016 को हुई सुनवाई और अदालत द्वारा जारी आदेश ऐतिहासिक और दूरगामी प्रभाव वाले कहे जा सकते हैं। देश की शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को जो आदेश जारी किए, उसके प्रमुख बिंदु हैं –

- प्रत्येक राज्य में एक शिकायत निवारण व्यवस्था स्थापित की जाएगी। प्रत्येक जिले में भी एक जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी की नियुक्ति किया जाना अनिवार्य होगा। यह पदाधिकारी किसी जरूरतमंद नागरिक के पास राशन कार्ड और वांछित सेवा में कमी संबंधी शिकायतों का निदान करेगा।
- एक माह के अंदर सभी राज्यों में खाद्य सुरक्षा कानून के कार्यान्वयन की निगरानी और समीक्षा के लिए एक राज्य खाद्य आयोग का गठन होना चाहिए।
- प्रत्येक परिवार को खाद्य सुरक्षा कानून के प्रावधान उसका मासिक राशन का कोटा मिले। इसके लिए "प्राथमिकता परिवार" की श्रेणी जैसी शर्तों का होना अनिवार्य ना हो। राशन का लाभ लेने वाले लाभुकों को किसी अन्य सरकारी योजना के लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा।
- अगर किसी परिवार के पास राशन कार्ड न हो तब भी उसे राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किसी पहचान पत्र के आधार पर प्रावधानों के अनुसार सेवाएं दी जाएंगी।
- अगर कोई राज्य सरकार चाहे तो खाद्य सुरक्षा कानून के अनुसार दिए जाने वाले अनाज के अलावा किसी अन्य योजना के जरिए अनाज सामग्री दे सकती है।

- बिहार, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्य को निर्देश दिया जाता है कि वे एक महीने के अंदर अपने विद्यालयों में मिड डे मील स्कीम में अंडा, दूध या अन्य कोई पौष्टिक आहार देना शुरू करें। प्रयास यह हो कि उक्त सेवा सप्ताह में पांच दिनों तक या कम से कम तीन दिनों तक मिले। दूसरे राज्य भी ऐसा करें। इसके लिए राशि का अभाव स्वीकार्य नहीं।
- गर्मी छुट्टियों में भी मिड डे मील सेवा को बनाए रखना अनिवार्य होगा। अगले एक सप्ताह के अंदर इस निर्देश का पालन तय किया जाए।

नोट :- उच्चतम न्यायालय के उक्त आदेश के संबंध में बलराम (भोजन का अधिकार मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त आयुक्तों के राज्य सलाहकार, संपर्क–9430753201, 9934320657) या अशर्फी नंद प्रसाद (संयोजक, भोजन का अधिकार अभियान–झारखंड, संपर्क–9334463332, मेल– rtfcjharkhand@gmail.com) से संपर्क किया जा सकता है।

सम्पर्क सूत्र

कार्यालय, कमिश्नर, सुप्रीम कोर्ट
बी 102, प्रथम मंजिल, सर्वोदय एनक्लेव, नई दिल्ली – 110017
संपर्क– 011–26851335 / 339
Email :commissioners@vsnl.net
www.supremecourtcommissioners.org

सुप्रीम कोर्ट कमिश्नर के सलाहकार

नई दिल्ली –
डॉ. वन्दना प्रसाद
संपर्क : 91–9891552425
ई–मेल : chaukhat@yahoo.com

गुजरात –
1. गगन सेठी
ई–मेल : gssethi@gmail.com
2. प्रोफेसर इन्द्रा हीरवे
संपर्क : 079–26844240
ई–मेल : indira.hirway@cfda.ac.in

हिमाचल प्रदेश –
श्री सी. पी. सुजाया
संपर्क : 91–0177–26222191, 2621860
ई–मेल : cpsujaya@sancharnet.in

झारखंड –
श्री बलराम
संपर्क : 09934320657
ई–मेल : balramjo@gmail.com

कर्नाटक –
श्री एस. आर. हीरेमत
संपर्क : 0836–2777430 / 2774472, 09448916010
ई–मेल : sr_hiremath@rediffmail.com

मध्यप्रदेश –
श्री सचिन जैन
संपर्क : 09431545824

महाराष्ट्र –
श्री जोश एन्टोनी जोसफ
संपर्क : 91–022–28958313
ई–मेल : josantonyjoseph@gmail.com

मेघालय –
श्री तरुण भारतीय
संपर्क : 09863061770, 09863097754
ई–मेल : thefreedomproject@rediffmail.com

नागालैंड –
चिन्गमक चंग
संपर्क : 03861–220127, 220319, 09436007263
ई–मेल : phutoc@yahoo.co.in

आन्ध्र प्रदेश –

1. श्री एम. कोडानड्रम
   संपर्क : 040–27175353, 09848387001
   ई–मेल : kodandram2003@yahoo.com
2. प्रो. रामा एस मेलकोटे
   ई–मेल : hyd2_melkote@sancharnet.in

आसाम –

1. डा. सुनील कौल
   संपर्क : 09435122042
   ई–मेल : sunil.theant@gmail.com
2. कुमारी अन्जु तालुकदार
   संपर्क : 09864034505
   ई–मेल : anjutalukdar@yahoo.com

बिहार –

श्री रुपेश
संपर्क : 9431021035, 0612–2207912
ई–मेल : koshish_pt@yahoo.com

छत्तीसगढ़ –

श्री समीर गर्ग
संपर्क : 07771–244105, 09425583395
ई–मेल : koriya@gmail.com

ओड़िसा–

श्री राजकिशोर मिश्रा
संपर्क : 09437047270
ई–मेल : rajkishormishra@gmail.com

राजस्थान –

श्री अशोक खंडेलवाल
संपर्क : 09968249247
ई–मेल : ashokko@rediffmail.com

पश्चिम बंगाल –

श्री अनुराधा तलवार
संपर्क : 033–25380386
ई–मेल : jsk@cal2.vsnl.net.in

उत्तर प्रदेश –

श्री अरूंधति धुरू
संपर्क : 0522–2347365
ई–मेल : arundhatidhuru@yahoo.co.uk

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून : प्रमुख प्रावधान

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम वर्ष 2013 में भारत की संसद से पारित हुआ। इस कानून का उद्देश्य है–

- जनसाधारण को गरिमामय जीवन के लिए सस्ती दर पर पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण खाद्य उपलब्ध कराना।
- मानव जीवनचक्र में खाद्य और पोषण संबंधी सुरक्षा और उससे संबंधी अन्य नियम बनाना।

इस कानून के प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं–

नाम– "राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013"

विस्तार– संपूर्ण भारत में।

प्रमुख परिभाषा–

- केन्द्रीय पूल– खाद्यान्नों का ऐसा स्टाक, जो केन्द्र और राज्य सरकारों से न्यूनतम समर्थन कीमत के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। साथ ही, जिसे लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली या किसी कल्याणकारी स्कीम या आपदा राहत हेतु रखा जाता है।
- पात्र गृहस्थी– पूर्विकताप्राप्त गृहस्थी और अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत आने वाली गृहस्थी।
- खाद्यान्न– चावल, गेहूं या मोटा अनाज या उनका कोई ऐसा संयोजन, जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित गुणवत्ता के अनुरूप हो।
- खाद्य सुरक्षा– इस कानून के अनुरूप खाद्यान्न और भोजन की हकदार मात्रा प्रदान करना।
- खाद्य सुरक्षा भत्ता– हकदार व्यक्तियों को राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली राशि।
- स्थानीय प्राधिकारी– पंचायत, नगर निकाय।
- भोजन– गरम पकाया हुआ या पहले से पकाया हुआ और परोसे जाने के पूर्व गरम किया गया भोजन या घर ले जाया जाने वाला राशन।

- न्यूनतम समर्थन मूल्य– केन्द्र सरकार द्वारा घोषित मूल्य, जिस पर केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय पूल के लिए किसानों से खाद्यान्न प्राप्त किए जाते हैं।
- पूर्विकताप्राप्त गृहस्थी– इस कानून की धारा 10 में पहचान की गई गृहस्थी।
- सामाजिक संपरीक्षा– ऐसी प्रक्रिया, जिसमें सामूहिक रूप से जनता किसी कार्यक्रम के कार्यान्वयन का मानीटर और मूल्यांकन करती है।
- लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली– उचित दर दुकानों के माध्यम से राशन कार्ड धारकों को आवश्यक वस्तुओं के वितरण की प्रणाली।
- सतर्कता समिति– इस कानून के सभी स्कीमों के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करने के लिए धारा 29 के अधीन गठित समिति।

खाद्यान्न की मात्रा

- योग्य परिवार के प्रति व्यक्ति को पांच किलो अनाज सस्ती कीमत पर हर महीने मिलेगा।
- अन्त्योदय परिवार को हर महीने पैंतीस किलो अनाज मिलेगा।
- पचहत्तर प्रतिशत तक ग्रामीण आबादी और पचास प्रतिशत तक शहरी आबादी को इसका लाभ मिलेगा।
- राज्य सरकार खाद्यान्न के बदले गेहूँ का आटा उपलब्ध करा सकेगी।

महिलाओं-बच्चों को पोषण सहायता

- प्रत्येक गर्भवती स्त्री और स्तनपान कराने वाली माता को गर्भावस्था और प्रसव के बाद छह मास तक आंगनबाड़ी से निःशुल्क भोजन मिलेगा।
- छह हजार रुपए नगद भी मिलेगा।
- सरकारी नौकरी करने वाली महिलाओं को, जिन्हें ऐसा ही अन्य लाभ मिल रहा हो, उन्हें नगद राशि का लाभ नहीं मिलगा।
- छह मास से छह वर्ष के बच्चों को आंगनबाड़ी में निःशुल्क भोजन मिलेगा।
- छह मास तक के बच्चों को केवल स्तनपान कराना है।
- कक्षा आठ तक के अथवा छह से चौदह साल के बच्चों को सरकारी और सरकार से सहायताप्राप्त विद्यालयों में दोपहर का भोजन निःशुल्क मिलेगा।

- विद्यालय में अवकाश होने पर यह सुविधा नहीं मिलेगी।
- प्रत्येक विद्यालय तथा आंगनबाड़ी में भोजन पकाने, पेयजल और स्वच्छता की सुविधाएं होंगी।
- शहरी क्षेत्र में केन्द्रीयकृत रसोईघर बनाये जा सकते हैं।
- आंगनबाड़ी में कुपोषित बालकों को निःशुल्क भोजन मिलेगा।

खाद्य सुरक्षा भत्ता का प्रावधान

- हकदार व्यक्तियों को खाद्यान्न या भोजन नहीं मिलने पर खाद्य सुरक्षा भत्ता मिलेगा।

पात्र गृहस्थी की पहचान

- ग्रामीण और नगर क्षेत्रों में प्रतिशत्ता का निर्धारण केन्द्र सरकार करेगी।
- ग्रामीण और नगर क्षेत्रों के व्यक्तियों की कुल संख्या जनगणना प्राक्कलनों के आधार पर की जाएगी।
- ग्रामीण और नगर क्षेत्र के लिए निर्धारित व्यक्ति–संख्या के भीतर ही अन्त्योदय अन्य योजना के लाभुक शामिल होंगे।
- लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत लाई जाने वाली पूर्विकताप्राप्त गृहस्थियों के रूप में शेष बची गृहस्थियों की पहचान करेगी।
- राज्य सरकार, ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों के लिए पात्र गृहस्थियों की सूची मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार अद्यतन करेगी।
- पात्र गृहस्थियों की सूची सार्वजनिक क्षेत्र में लगायी और प्रदर्शित की जायेगी।

वितरण प्रणाली में सुधार के प्रयास

वितरण प्रणाली में केन्द्र और राज्य सरकार निम्न सुधार करेगी–

- डोर–स्टेप डिलेवरी।
- सभी आंकड़ों की हर स्तर पर पारदर्शिता, अनियमित्ता रोकने के लिए कम्प्यूटर का उपयोग।
- लाभुकों की बायोमीट्रिक सूचना के साथ विशिष्ट पहचान के लिए ''आधार'' का प्रयोग किया जाना।

- अभिलेखों की पूर्ण पारदर्शिता।
- उचित दर दुकानों का लाइसेंस देने में पंचायतों, स्वयंसेवी समूहों, सहकारी संस्थाओं, महिला समूहों को प्राथमिकता।
- समय के अनुसार विविध सामग्री का वितरण
- सार्वजनिक वितरण के स्थानीय तरीकों और अनाज बैंक को बढ़ावा देना।
- लाभुकों के लिए नकदी अंतरण, खाद्य कूपन जैसी स्कीमों या अन्य स्कीमें प्रारंभ करना।

महिला सशक्तिकरण के कदम

- राशन कार्ड में घर की मुखिया के तौर पर सबसे अधिक उम्र की महिला का नाम दर्ज होगा। उसकी उम्र 18 वर्ष से कम न हो।
- अगर 18 वर्ष या अधिक आयु की महिला नहीं हो, किंतु 18 वर्ष से कम आयु की महिला सदस्य हो, तब वरिष्ठ पुरुष का नाम राशन कार्ड में मुखिया के तौर पर दर्ज होगा। बाद में जब महिला की उम्र 18 वर्ष हो जायेगी तो पुरुष सदस्य के स्थान पर वह घर की मुखिया बन जाएगी।

शिकायत निवारण तंत्र

- राज्य सरकार एक आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करेगी। इसमें कॉल सेंटर, हेल्पलाइन, नोडल अधिकारी होंगे।
- शिकायत के शीघ्र और प्रभावी निवारण के लिए हर जिले में एक जिला शिकायत निवारण अधिकारी होगा।
- यह अधिकारी सभी शिकायत सुनकर उनका निराकरण करेगा।
- जिला शिकायत निवारण अधिकारी के किसी आदेश के विरूद्ध राज्य आयोग के समक्ष अपील की जा सकेगी।

राज्य खाद्य आयोग

- प्रत्येक राज्य सरकार एक राज्य खाद्य आयोग का गठन करेगी।
- आयोग में कुल सात सदस्य होंगे-- एक अध्यक्ष, पांच अन्य सदस्य और एक सदस्य–सचिव होंगे।
- सदस्य सचिव राज्य सरकार में संयुक्त सचिव स्तर का अधिकारी होगा।

- सात सदस्यीय आयोग में कम–से–कम दो महिला होंगी, चाहे वे अध्यक्ष, सदस्य या सदस्य–सचिव हों।
- सात सदस्यीय आयोग में एक व्यक्ति अनुसूचित जाति का और एक व्यक्ति अनुसूचित जनजाति का होगा, चाहे वह अध्यक्ष, सदस्य–सचिव हो।
- अखिल भारतीय या राज्य की सिविल सेवाओं के सदस्य या सार्वजनिक जीवन में कृषि, विधि, मानवाधिकार, समाज सेवा, प्रबंधन, पोषण, स्वास्थ्य, खाद्य संबंधी नीति या लोक प्रशासन में विख्यात लोगों को लिया जायेगा, जिनके पास निर्धनों के खाद्य और पोषण संबंधी अधिकारों में सुधार लाने संबंधी कार्य का प्रमाणित रिकार्ड हो।
- अध्यक्ष और अन्य सदस्य पांच वर्ष के लिए नियुक्त होंगे। वह पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।
- कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष या अन्य सदस्य के रूप में 65 वर्ष की आयु के बाद पद धारण नहीं करेगा।

राज्य खाद्य आयोग के कार्य

- राज्य में इस अधिनियम के कार्यान्वयन की मोनिटरिंग और मूल्यांकन करना।
- हकदारियों के अतिक्रमणों की स्वप्रेरणा से या शिकायत के प्राप्त होने पर जांच करना।
- इस अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार को सलाह देना।
- लाभुकों को इस अधिनियम के अनुसार हक तथा पूर्ण पहुंच बनाने के लिए समर्थ बनाने के संबंध में खाद्य और पोषण संबंधी स्कीमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार को, सुसंगत सेवा देने के लिए सभी एजेंसियों, स्वायत्त निकायों और गैर–सरकारी संगठनों को सलाह देना।
- जिला शिकायत निवारण अधिकारी के आदेशों के विरूद्ध अपील की सुनवाई करना।
- वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना, जिसे राज्य सरकार द्वारा विधान–मंडल के समक्ष रखा जाएगा।

राज्य खाद्य आयोग की शक्तियां

राज्य खाद्य आयोग को किसी वाद का विचारण करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन सिविल न्यायालय जैसी निम्नलिखित शक्तियां होंगी–

- किसी व्यक्ति को समन करना, हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना।
- किसी दस्तावेज का प्रकटीकरण और पेश किया जाना।
- शपथपत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना।
- किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति हासिल करना।
- साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना।
- राज्य खाद्य आयोग कोई मामला किसी समुचित मजिस्ट्रेट को अग्रेषित कर सकेगा।

केन्द्र सरकार के दायित्व

- केन्द्र सरकार राज्यों को केन्द्रीय पूल से खाद्यान्नों की अपेक्षित मात्रा आबंटित करेगी।
- यह आपूर्ति निश्चित कम दर पर की जायेगी।
- प्रत्येक राज्य में लाभुकों की संख्या के अनुसार खाद्यान्न आबंटित किया जायेगा।
- केन्द्र सरकार अपनी तथा राज्य सरकारों की एजेंसियों के माध्यम से केन्द्रीय पूल के लिए खाद्यान्न प्राप्त करेगी।
- प्रत्येक राज्य में केन्द्र सरकार के डिपो को, आबंटन के अनुसार, खाद्यान्नों के परिवहन का प्रबंध किया जायेगा।
- केंद्र सरकार खाद्यान्नों के अंतरा–राज्यिक संचलन, उठाई–धराई और उचित दर दुकान के व्यौहारियों को संदत्त अतिरिक्त धन (मार्जिन) व्यय को पूरा करने में राज्यों को सहायता देगी।
- आधुनिक और वैज्ञानिक भंडारण सुविधाएं सृजित करना।

- किसी राज्य को केन्द्रीय पूल से खाद्यान्न की कम आपूर्ति की दशा में केन्द्र सरकार राज्य सरकार को समुचित निधि उपलब्ध कराएगी।

राज्य सरकार के दायित्व

- राज्य सरकार खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र और राज्य सरकार की योजनाओं का कार्यान्वयन और उन्हें मानीटर करने के लिए उत्तरदायी होगी।
- लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राज्य के कर्तव्य–
  - केन्द्र सरकार के डिपो से खाद्यान्नों का परिदान लेना।
  - प्रत्येक उचित दर दुकान के द्वार तक खाद्यान्न पहुंचाना।
  - हकदार व्यक्तियों को सस्ती कीमतों पर खाद्यान्न प्रदान करना।
  - खाद्यान्नों या भोजनों की हकदार मात्रा का प्रदाय न करने की दशा में, राज्य सरकार खाद्य सुरक्षा भत्ता देगी।
- राज्य सरकार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के समुचित संचालन के लिए –
  - राज्य, जिला और ब्लाक स्तरों पर ऐसी वैज्ञानिक भंडारण सुविधाओं का निर्माण करना, जो लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य खाद्य आधारित कल्याणकारी स्कीमों के अधीन अपेक्षित खाद्यान्नों के भंडारण के लिए पर्याप्त हों,
  - अपने खाद्य और सिविल आपूर्ति निगमों और अन्य अभिहित अभिकरणों की क्षमता को सुदृढ़ करना,
  - आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 के अनुसार उचित दर दुकानों के लिए संस्थागत अनुज्ञापन का प्रबंध करना।

पंचायत व नगर निकाय का दायित्व

- स्थानीय प्राधिकारी यानी पंचायत और नगर निकाय पर इस अधिनियम के उचित कार्यान्वयन का दायित्व होगा।
- राज्य सरकार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए पंचायत एवं नगर निकाय को अतिरिक्त उत्तरदायित्व सौंप सकेगी।

पारदर्शिता और जवाबदेही

- लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दस्तावेजों को सार्वजनिक किया जाएगा। नागरिक इनका निरीक्षण कर सकते हैं।
- पंचायत एवं नगर निकाय द्वारा उचित दर दुकानों, लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याणकारी स्कीमों की सामाजिक संपरीक्षा (सोशल आडिट) कराई जायेगी। साथ ही, इसके निष्कर्ष को प्रचारित करना और आवश्यक कार्रवाई भी करना होगा।
- केन्द्र सरकार भी सामाजिक संपरीक्षा कर सकेगी या ऐसी किसी स्वतंत्र अभिकरणों द्वारा करा सकेगी।
- सार्वजनिक वितरण में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार सतर्कता समितियां बनाएगी। इनमें पंचायत, नगर निगम प्रतिनिधियों के साथ ही अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, स्त्रियों और निराश्रित व्यक्तियों या निःशक्त व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व होगा।

सतर्कता समितियों का काम

- इस अधिनियम के अधीन सभी स्कीमों के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करना,
- जिला शिकायत निवारण अधिकारी को किसी अनियमित्ता की सूचना देना,
- निधियों के दुर्विनियोग की जिला शिकायत निवारण अधिकारी को लिखित सूचना देना।

खाद्य सुरक्षा के अन्य प्रयास

- केन्द्र और राज्य सरकार इस अधिनियम का कार्यान्वयन करते समय कमजोर समूहों, दूरस्थ क्षेत्रों, पहाड़ी और जनजाति क्षेत्रों के लोगों की खाद्य सुरक्षा पर विशेष ध्यान देगी।
- केन्द्र व राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी अनुसूची के उद्देश्यों को उत्तरोत्तर प्राप्त करने का प्रयास करेंगे।

जुर्माना

- किसी अधिकारी पर राज्य खाद्य आयोग पांच हजार रुपये तक का जुर्माना लगा सकता है।
- जिला शिकायत निवारण अधिकारी के किसी आदेश को जानबूझकर लागू नहीं करने वाले अधिकारी पर जुर्माना लग सकता है।
- जुर्माना लगाने के पहले उस अधिकारी को सुनवाई का अवसर मिलेगा।

अनुसूची एक : अनुदानित दर

चावल – 3 रुपए प्रति कि.ग्रा.,

गेहूं – 2 रुपए प्रति कि.ग्रा.

मोटा अनाज – 1 रुपये प्रति कि.ग्रा.

अनुसूची दो : पोषण आहार मानक

क्रम संख्या	प्रवर्ग	भोजन का प्रकार	कैलोरी (कि. कैलोरी)	प्रोटीन (ग्रा.)
1.	बालक (6 मास से 3 वर्ष)	घर ले जाया जाने वाला राशन	500	12–15
2.	बालक (3 से 6 वर्ष)	सुबह का नाश्ता और गर्म पका हुआ भोजन	500	12–15
3.	बालक (6 मास से 6 वर्ष जो कुपोषित है)	घर ले जाया जाने वाला राशन	800	20–25
4.	निम्न प्राथमिक कक्षाएं	गर्म पका हुआ भोजन	450	12
5.	उच्च प्राथमिक कक्षाएं	गर्म पका हुआ भोजन	700	20
6.	गर्भवती स्त्रियां और स्तनपान कराने वाली माताएं	घर ले जाया जाने वाला राशन	600	18–20

अनुसूची- तीन

खाद्य सुरक्षा को अग्रसर करने के लिए उपबंध

(1) कृषि का पुनः सुदृढ़ीकरण–

- छोटे किसानों के हितों को सुरक्षित करना, भूमि सुधार करना
- कृषि विकास, सिंचाई और उत्पादकता बढ़ाने के उपाय करना
- लाभकारी कीमत, निवेश, सिंचाई, विद्युत, फसल बीमा आदि सुविधा देकर किसानों का जीवन बेहतर करना
- भूमि और जल संरक्षण करना।

(2) क्रय, भंडारण और परिवहन–

- विकेन्द्रीकृत क्रय को बढ़ावा देना
- स्थानीय क्षेत्र में क्रय सुविधा
- विकेंद्रीकृत तरीके से आधुनिक और वैज्ञानिक भंडारण
- खाद्यान्न के परिवहन को सर्वोच्च प्राथमिकता देना
- इसके लिए पर्याप्त रैक उपलब्ध कराना
- रेल लाइन का विस्तार।

(3) अन्य : निम्नलिखित तक पहुंच–

- सुरक्षित और पर्याप्त पेय जल और स्वच्छता
- स्वास्थ्य देखभाल
- किशोर बालिकाओं का पोषणाहार, स्वास्थ्य और शिक्षा के संबंध में सहायता
- वरिष्ठ नागरिकों, निःशक्त व्यक्तियों और एकल महिलाओं के लिए पर्याप्त पेंशन।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013

(2013 का अधिनियम संख्यांक 20)

(10 सितम्बर, 2013)

जनसाधारण को गरिमामय जीवन निर्वाह करने के लिए सस्ती कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में क्वालिटी खाद्य की सुलभ्यता को सुनिश्चित करके, मानव जीवनचक्र के मार्ग में खाद्य और पोषण संबंधी सुरक्षा और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

अध्याय- 1

प्रारंभिक

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 है।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है।

(3) यह, जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, 5 जुलाई, 2013 को प्रवृत हुआ समझा जाएगा।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

(1) "आंगनबाड़ी" से धारा 4, धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (क) और धारा 6 के अंतर्गत आने वाली सेवाएं प्रदान करने के लिए केन्द्रीय सरकार की एकीकृत बाल विकास सेवा स्कीम के अधीन गठित बाल देखरेख और विकास केन्द्र अभिप्रेत है,

(2) "केन्द्रीय पूल" से खाद्यान्नों का ऐसा स्टाक अभिप्रेत है, जो–

(i) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा न्यूनतम समर्थन कीमत संक्रियाओं के माध्यम से उपाप्त किया जाता है,

(ii) लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, अन्य कल्याणकारी स्कीमों

जिनके अंतर्गत आपदा राहत भी है और ऐसी अन्य स्कीमों के अधीन भी है, आबंटनों के लिए रखा जाता है,

(iii) उपखंड (ii) में निर्दिष्ट स्कीमों के लिए आरक्षितियों के रूप में रखा जाता है,

(3) "पात्र गृहस्थी" से धारा 3 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट पूर्विकताप्राप्त गृहस्थी और अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत आने वाली गृहस्थी अभिप्रेत हैं,

(4) "उचित दर दुकान" से ऐसी दुकान अभिप्रेत है, जिसे आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अधीन जारी किए गए किसी आदेश द्वारा राशन कार्ड धारकों को लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन आवश्यक वस्तुओं का वितरण करने के लिए अनुज्ञप्ति दी गई है,

(5) "खाद्यान्न" से चावल, गेहूं या मोटा अनाज या उनका कोई ऐसा संयोजन अभिप्रेत है, जो ऐसे क्वालिटी सन्नियमों के अनुरूप हो, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय–समय पर आदेश द्वारा, अवधारित किए जाएं,

(6) "खाद्य सुरक्षा" से अध्याय 2 के अधीन विनिर्दिष्ट खाद्यान्न और भोजन की हकदार मात्रा का प्रदाय अभिप्रेत है,

(7) "खाद्य सुरक्षा भत्ता" से धारा 8 के अधीन हकदार व्यक्तियों को संबंधित राज्य सरकार द्वारा संदत्त की जाने वाली धनराशि अभिप्रेत है,

(8) "स्थानीय प्राधिकारी" में पंचायत, नगरपालिका, जिला बोर्ड, छावनी बोर्ड, नगर योजना प्राधिकारी और असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड तथा त्रिपुरा राज्यों में, जहां पंचायतें विद्यमान नहीं हैं, ग्राम परिषद् या समिति या ऐसा कोई अन्य निकाय, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, जो स्वशासन के लिए संविधान या त्तसमय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन प्राधिकृत है अथवा ऐसा कोई अन्य प्राधिकारी या निकाय सम्मिलित है, जिसमें किसी विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्र के भीतर नागरिक सेवाओं का नियंत्रण और प्रबंधन निहित है,

(9) "भोजन" से गरम पकाया हुआ या पहले से पकाया हुआ और परोसे जाने के पूर्व गरम किया गया भोजन या घर ले जाया जाने वाला ऐसा राशन अभिप्रेत है, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए,

(10) ''न्यूनतम समर्थन मूल्य'' से केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित ऐसा सुनिश्चित मूल्य अभिप्रेत है, जिस पर केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों तथा उनके अभिकरणों द्वारा केन्द्रीय पूल के लिए किसानों से खाद्यान्न उपाप्त किए जाते हैं,

(11) ''अधिसूचना'' से इस अधिनियम के अधीन जारी की गई और राजपत्र में प्रकाशित कोई अधिसूचना अभिप्रेत है,

(12) ''अन्य कल्याणकारी स्कीमों'' से, लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अतिरिक्त, ऐसी सरकारी स्कीमें अभिप्रेत हैं, जिनके अधीन स्कीमों के भागरूप खाद्यान्नों और भोजन का प्रदाय किया जाता है,

(13) ''निःशक्त व्यक्ति'' से निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 2 के खंड (न) में उस रूप में परिभाषित कोई व्यक्ति अभिप्रेत है,

(14) ''पूर्विकताप्राप्त गृहस्थी'' से धारा 10 के अधीन उस रूप में पहचान की गई गृहस्थी अभिप्रेत है,

(15) ''विहित'' से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है,

(16) ''राशन कार्ड'' से लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन उचित दर दुकानों से आवश्यक वस्तुओं के क्रय के लिए राज्य सरकार के किसी आदेश या प्राधिकार के अधीन जारी किया गया कोई दस्तावेज अभिप्रेत है;

(17) ''ग्रामीण क्षेत्र'' से त्तसमय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन स्थापित या गठित किसी नगरीय स्थानीय निकाय या छावनी बोर्ड के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के सिवाय, किसी में राज्य का कोई क्षेत्र अभिप्रेत है;

(18) ''अनुसूची'' से इस अधिनियम से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है;

(19) ''वरिष्ठ नागरिक'' से माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा 2 के खंड (ज) के अधीन उस रूप में परिभाषित कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(20) ''सामाजिक संपरीक्षा'' से ऐसी प्रक्रिया अभिप्रेत है, जिसमें जनता किसी कार्यक्रम या स्कीम की योजना और उसके कार्यान्वयन को सामूहिक रूप से मानीटर और उसका मूल्यांकन करती है;

(21) "राज्य आयोग" से धारा 16 के अधीन गठित राज्य खाद्य आयोग अभिप्रेत है;

(22) "राज्य सरकार" से, किसी संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में, संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त उसका प्रशासक अभिप्रेत है;

(23) "लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली" से उचित दर दुकानों के माध्यम से राशन कार्ड धारकों को आवश्यक वस्तुओं के वितरण की प्रणाली अभिप्रेत है;

(24) "सतर्कता समिति" से इस अधिनियम के अधीन सभी स्कीमों के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करने के लिए धारा 29 के अधीन गठित कोई समिति अभिप्रेत है;

(25) उन शब्दों और पदों के जो इसमें परिभाषित नहीं हैं, किंतु आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 या किसी अन्य सुसंगत अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो उन अधिनियमों में क्रमशः उनके हैं।

अध्याय 2

खाद्य सुरक्षा के लिए उपबंध

लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन पात्र गृहस्थी के व्यक्तियों द्वारा सहायताप्राप्त कीमतों पर खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार

3 (1) ऐसी पूर्विकता प्राप्त गृहस्थी का, जिसकी धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन पहचान की गई है, प्रत्येक व्यक्ति, लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन, राज्य सरकार से अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट सहायताप्राप्त कीमतों पर प्रति मास प्रति व्यक्ति पांच किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त करने का हकदार होगा :

परंतु अन्त्योदय अन्न योजना के अंतर्गत् आने वाली गृहस्थी, उस सीमा तक, जो केन्द्रीय सरकार उक्त स्कीम में प्रत्येक राज्य के लिए विनिर्दिष्ट करे, अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट कीमतों पर प्रति मास प्रति गृहस्थी पैंतीस किलोग्राम खाद्यान्न की हकदार होगी :

परंतु यह और कि यदि अधिनियम के अधीन किसी राज्य को खाद्यान्नों का वार्षिक आबंटन, सामान्य लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन पिछले तीन वर्ष के लिए खाद्यान्नों के औसत वार्षिक कुल क्रय से कम है, तो उसको

उन कीमतों पर, जो केंद्रीय सरकार द्वारा अवधारित की जाए, संरक्षित किया जाएगा और राज्य को अनुसूची 4 में यथा विनिर्दिष्ट खाद्यान्नों का आबंटन किया जाएगा।

स्पष्टीकरण - इस धारा के प्रयोजन के लिए, "अन्त्योदय अन्न योजना" से केन्द्रीय सरकार द्वारा 25 दिसंबर, 2000 को उक्त नाम से आरंभ की गई, और समय–समय पर यथा उपांतरित, स्कीम अभिप्रेत है।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट पात्र गृहस्थी के व्यक्तियों की सहायताप्राप्त कीमतों पर हकदारियां ग्रामीण जनसंख्या के पचहत्तर प्रतिशत तक और नगरीय जनसंख्या के पचास प्रतिशत तक विस्तारित होंगी।

(3) उपधारा (1) के अधीन रहते हुए, राज्य सरकार, पात्र गृहस्थी के व्यक्तियों को ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किये जाएं, खाद्यान्नों की हकदार मात्रा के बदले गेहूँ का आटा उपलब्ध करा सकेगी।

गर्भवती स्त्रियों और स्तनपान कराने वाली माताओं को पोषणाहार सहायता।

4. ऐसी स्कीमों के अधीन रहते हुए, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विरचित की जाएं, प्रत्येक गर्भवती स्त्री और स्तनपान कराने वाली माता निम्नलिखित के लिए हकदार होगी –

(क) गर्भावस्था और शिशु जन्म के पश्चात् छह मास के दौरान स्थानीय आंगनबाड़ी के माध्यम से निःशुल्क भोजन, जिससे अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट पोषणाहार के मानकों को पूरा किया जा सके; और

(ख) कम–से–कम छह हजार रुपए का, ऐसी किस्तों में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं प्रसूति, फायदा :

परंतु केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों में नियमित रूप से नियोजित सभी गर्भवती स्त्रियां और स्तनपान कराने वाली माताएं अथवा वे जिनको तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन वैसे ही फायदे मिल रहे हैं, खंड (ख) में विनिर्दिष्ट फायदों की हकदार नहीं होंगी।

बालकों को पोषणाहार सहायता।

5. (1) खंड (ख) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए, चौदह वर्ष तक की आयु के प्रत्येक बालक की उसकी पोषणाहार संबंधी आवश्यकताओं के लिए निम्नलिखित हकदारियां होंगी, अर्थात् :–

(क) छह मास से छह वर्ष के आयु समूह के बालकों की दशा में, स्थानीय आंगनबाड़ी के माध्यम से आयु के अनुरूप निःशुल्क भोजन, जिससे अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट पोषणाहार संबंधी मानकों को पूरा किया जा सके :

परंतु छह मास से कम आयु के बालकों के लिए, केवल स्तनपान को ही बढ़ावा दिया जाएगा;

(ख) कक्षा 8 तक के अथवा छह से चौदह वर्ष के आयु समूह के बीच के बालकों की दशा में, इनमें से जो भी लागू हो, स्थानीय निकायों, सरकार द्वारा चलाए जा रहे सभी विद्यालयों में और सरकारी सहायताप्राप्त विद्यालयों में, विद्यालय अवकाश दिनों को छोड़कर, प्रत्येक दिन एक बार निःशुल्क दोपहर का भोजन, जिससे अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट पोषणाहार संबंधी मानकों को पूरा किया जा सके।

(2) उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रत्येक विद्यालय तथा आंगनबाड़ी में भोजन पकाने, पेयजल और स्वच्छता की सुविधाएं होंगी :

परंतु नगरीय क्षेत्रों में, केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, भोजन पकाने के लिए केन्द्रीयकृत रसोईघरों की सुविधाओं का, जहां कहीं अपेक्षित हो, उपयोग किया जा सकेगा।

बालक कुपोषण का निवारण और प्रबंधन।

6. राज्य सरकार, स्थानीय आंगनबाड़ी के माध्यम से ऐसे बालकों की, जो कुपोषण से ग्रस्त हैं। पहचान करेगी और उनको निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराएगी, जिससे अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट पोषणाहार संबंधी मानकों को पूरा किया जा सके।

हकदारी देने के लिए स्कीमों का कार्यान्वयन।

7. राज्य सरकारें, मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच लागत में हिस्सा बंटाने सहित ऐसी स्कीमों का, जिसके अंतर्गत धारा 4, धारा 5 और धारा 6 के अधीन हकदारियां आती हैं, ऐसी रीति में कार्यान्वयन करेंगी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं।

अध्याय 3

खाद्य सुरक्षा भत्ता

कतिपय दशाओं में खाद्य सुरक्षा भत्ता प्राप्त करने का अधिकार

8. अध्याय 2 के अधीन हकदार व्यक्तियों को खाद्यान्नों या भोजन की हकदार मात्रा का प्रदान न किए जाने की दशा में, ऐसे व्यक्ति संबंधित राज्य सरकार से ऐसा खाद्य सुरक्षा भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे, जिसका कि प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति से संदाय किया जाएगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं।

अध्याय 4

पात्र गृहस्थी की पहचान

लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन जनसमुदाय को लाना।

9. धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन रहते हुए, प्रत्येक राज्य के लिए ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन आने वाली प्रतिशत्ता का अवधारणा केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाएगा और राज्य के ऐसे ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या उस जनगणना के अनुसार, जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित किए जा चुके हैं, जनसंख्या प्राक्कलनों के आधार पर संगणित की जाएगी।

राज्य सरकार द्वारा मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार करना और पूर्विकताप्राप्त गृहस्थियों की पहचान करना।

10 (1) राज्य सरकार, ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों के लिए धारा 9 के अधीन अवधारित व्यक्ति–संख्या के भीतर ही,–

(क) धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट सीमा तक अन्त्योदय अन्न योजना के अंतर्गत लाई जाने वाली गृहस्थियों की, उक्त स्कीम को लागू मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार पहचान करेगी,

(ख) लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत लाई जाने वाली पूर्विकताप्राप्त गृहस्थियों के रूप में शेष बची गृहस्थियों की ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांत के अनुसार, जो राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे, पहचान करेगी,

परन्तु राज्य सरकार, अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात, यथासंभव शीघ्र, किन्तु ऐसी अवधि के भीतर, जो तीन सौ पैंसठ दिन से अधिक की न हो, इस उपधारा के अधीन विरचित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार पात्र गृहस्थियों की पहचान कर सकेगी,

परंतु यह और कि राज्य सरकार, ऐसी गृहस्थियों की पहचान पूरी होने तक, विद्यमान लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन केन्द्रीय सरकार से खाद्यान्नों का आबंटन प्राप्त करती रहेगी।

(2) राज्य सरकार, ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों के लिए धारा 9 के अधीन अवधारित व्यक्ति–संख्या के अंतर्गत ही, पात्र गृहस्थियों की सूची उपधारा (1) के अधीन विरचित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार अद्यतन करेगी।

पात्र गृहस्थियों की सूची का प्रकाशन और संप्रदर्शन।

11. राज्य सरकार, पहचान की गई पात्र गृहस्थियों की सूची सार्वजनिक क्षेत्र में लगाएगी और उसे प्रमुख रूप से संप्रदर्शित करेगी।

अध्याय 5

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार

12. (1) केन्द्रीय और राज्य सरकारें, इस अधिनियम में उनके लिए परिकल्पित भूमिका के अनुरूप लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में उत्तरोत्तर आवश्यक सुधारों का जिम्मा लेने का प्रयास करेंगी।

(2) सुधारों के अंतर्गत, अन्य बातों के साथ–साथ, निम्नलिखित आएंगे :–

(क) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के निर्गम–स्थानों पर खाद्यान्नों का द्वार तक परिदान,

(ख) संव्यवहारों का सभी स्तरों पर पारदर्शक अभिलेखन सुनिश्चित करने तथा उनका अपयोजन रोकने की दृष्टि से सूचना और संचार प्रौद्योगिकी साधनों का, जिनके अंतर्गत विस्तृत कम्प्यूटरीकरण भी है, उपयोजन,

(ग) इस अधिनियम के अधीन फायदों को समुचित रूप से लक्षित करने के लिए हकदार हिताधिकारियों की बायोमीट्रिक सूचना के साथ विशिष्ट पहचान के लिए "आधार" का प्रयोग किया जाना,

(घ) अभिलेखों की पूर्ण पारदर्शिता,

(ङ) उचित दर दुकानों की अनुज्ञप्तियां दिए जाने में, लोक संस्थाओं या लोक निकायों, जैसे पंचायतों, स्वयंसेवी समूहों, सहकारी संस्थाओं को और उचित दर दुकानों का प्रबंधन महिलाओं और उनके समुच्चयों द्वारा किए जाने को अधिमानता,

(च) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वितरित वस्तुओं का समयकालिक विविधत्व,

(छ) स्थानीय सार्वजनिक वितरण प्रतिमानों और धान्य बैंकों को समर्थन,

(ज) लक्षित हिताधिकारियों के लिए, ऐसे क्षेत्र में और ऐसी रीति से, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं, अध्याय 2 में विनिर्दिष्ट उनकी खाद्यान्न हकदारियों को सुनिश्चित करने के लिए नकदी अंतरण, खाद्य कूपन जैसी स्कीमें या अन्य स्कीमें प्रारंभ करना।

अध्याय 6

महिला सशक्तिकरण

राशनकार्ड जारी किए जाने के प्रयोजन के लिए अठारह वर्ष या उससे अधिक आयु की स्त्रियों का गृहस्थी का मुखिया होना।

13. (1) प्रत्येक पात्र गृहस्थी में, वरिष्ठ स्त्री, जिसकी आयु अठारह वर्ष से कम की न हो, राशन कार्ड जारी किए जाने के प्रयोजन के लिए, गृहस्थी की मुखिया होगी।

(2) जहां किसी गृहस्थी में किसी समय कोई स्त्री या अठारह वर्ष या उससे अधिक आयु की स्त्री नहीं है, किंतु अठारह वर्ष से कम आयु की महिला सदस्य है, वहां गृहस्थी का वरिष्ठ पुरुष सदस्य राशन कार्ड जारी किए जाने के प्रयोजन के लिए गृहस्थी का मुखिया होगा और महिला सदस्य, अठारह वर्ष की आयु प्राप्त करने पर, ऐसे राशन कार्डों के लिए, ऐसे पुरुष सदस्य के स्थान पर, गृहस्थी की मुखिया बन जाएगी।

अध्याय 7

शिकायत निवारण तंत्र

आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र

14. प्रत्येक राज्य सरकार एक आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र, जिसके अंतर्गत कॉल सेंटर, हेल्पलाइनें, नोडल अधिकारियों का पदाभिहित किया जाना आता है या ऐसा अन्य तंत्र, जो विहित किया जाए, स्थापित करेगी।

जिला शिकायत निवारण अधिकारी

15. (1) राज्य सरकार, प्रत्येक जिले के लिए, अध्याय 2 के अधीन हकदार खाद्यान्नों या भोजन के वितरण संबंधी विषयों में व्यथित व्यक्तियों की शिकायतों के शीघ्र और प्रभावी निवारण के लिए और इस अधिनियम के अधीन हकदारियों के प्रवर्तन के लिए, एक अधिकारी, जो जिला शिकायत निवारण अधिकारी होगा, नियुक्त या पदाभिहित करेगी।

(2) जिला शिकायत निवारण अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हताएं और उसकी शक्तियां ऐसी होंगी, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं।

(3) जिला शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति की पद्धति और उसके निबंधन तथा शर्तें ऐसे होंगे, जो राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएं।

(4) राज्य सरकार, जिला शिकायत निवारण अधिकारी और कर्मचारीवृंद के वेतन और भत्तों तथा ऐसे अन्य व्यय का, जो उनके उचित कार्यकरण के लिए आवश्यक समझे जाएं, उपबंध करेगी।

(5) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी हकदार खाद्यान्नों या भोजन वितरित न किए जाने और उससे संबंधित मामलों के संबंध में शिकायत को सुनेगा और उनके निवारण के लिए, ऐसी रीति से और ऐसे समय के भीतर, जो राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएं, आवश्यक कार्रवाई करेगा।

(6) ऐसा कोई शिकायतकर्ता अथवा अधिकारी या प्राधिकारी, जिसके विरूद्ध उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा कोई आदेश पारित किया गया है, जो शिकायत के निवारण से संतुष्ट नहीं है, ऐसे आदेश के विरूद्ध राज्य आयोग के समक्ष कोई अपील फाइल कर सकेगा।

(7) उपधारा (6) के अधीन प्रत्येक अपील, ऐसी रीति से और ऐसे समय के भीतर, जो राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएं, फाइल की जाएगी।

राज्य खाद्य आयोग

16. (1) प्रत्येक राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के कार्यान्वयन को मानीटर करने और उसका पुनर्विलोकन करने के प्रयोजन के लिए एक राज्य खाद्य आयोग का गठन करेगी।

(2) राज्य आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगा –

(क) अध्यक्ष,

(ख) पांच अन्य सदस्य, और

(ग) सदस्य–सचिव, जो राज्य सरकार का, उस सरकार में संयुक्त सचिव से अनिम्न पंक्ति का एक अधिकारी होगा,

परंतु उसमें कम–से–कम दो स्त्रियां होंगी, चाहे वे अध्यक्ष, सदस्य या सदस्य–सचिव हों,

परंतु यह और कि उसमें एक व्यक्ति अनुसूचित जाति का और एक व्यक्ति अनुसूचित जनजाति का होगा, चाहे वह अध्यक्ष, सदस्य–सचिव हो।

(3) अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति निम्नलिखित ऐसे व्यक्तियों में से की जाएगी, –

(क) जो अखिल भारतीय सेवाओं या संघ या राज्य की किन्हीं अन्य सिविल सेवाओं के सदस्य हैं या रह चुके हैं या जो संघ या राज्य के अधीन कोई सिविल पद धारण किए हुए हैं और जिन्हें कृषि, सिविल आपूर्ति, पोषण, स्वास्थ्य के क्षेत्र में या किसी संबद्ध क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा, नीति बनाने और प्रशासन से संबंधित मामलों में ज्ञान और अनुभव प्राप्त है, या

(ख) जो सार्वजनिक जीवन के ऐसे विख्यात व्यक्ति हैं, जिन्हें कृषि, विधि, मानवाधिकार, समाज सेवा, प्रबंधन, पोषण, स्वास्थ्य, खाद्य संबंधी नीति या लोक प्रशासन में व्यापक ज्ञान और अनुभव प्राप्त है, या

(ग) जिनके पास निर्धनों के खाद्य और पोषण संबंधी अधिकारों में सुधार लाने से संबंधित कार्य का कोई प्रमाणित रिकार्ड है।

(4) अध्यक्ष और प्रत्येक अन्य सदस्य, उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, पांच वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए पद धारण करेगा और वह पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा,

परंतु कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष या अन्य सदस्य के रूप में पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् पद धारण नहीं करेगा।

(5) राज्य आयोग के अध्यक्ष, अन्य सदस्यों और सदस्य–सचिव की नियुक्ति की पद्धति और अन्य निबंधन और शर्तें, जिनके अधीन रहते

हुए उनकी नियुक्ति की जा सकेगी और राज्य आयोग की बैठकों का समय, स्थान और प्रक्रिया (जिसके अंतर्गत ऐसी बैठकों की गणपूर्ति भी है) और उसकी शक्तियां ऐसी होंगी, जो राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएं।

(6) राज्य आयोग निम्नलिखित कृत्यों का जिम्मा लेगा, अर्थात्:–

(क) राज्य के संबंध में, इस अधिनियम के कार्यान्वयन को मानीटर करना और उसका मूल्यांकन करना,

(ख) अध्याय 2 के अधीन उपबंधित हकदारियों के अतिक्रमणों की या तो स्वप्रेरणा से या शिकायत के प्राप्त होने पर, जांच करना,

(ग) इस अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार को सलाह देना,

(घ) व्यष्ठियों को इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट उनकी हकदारियों तक पूर्ण पहुंच बनाने के लिए समर्थ बनाने के संबंध में खाद्य और पोषण संबंधी स्कीमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार को, सुसंगत सेवाओं के परिदान में अंतर्वलित उसके अभिकरणों, स्वायत्त निकायों और गैर–सरकारी संगठनों को सलाह देना,

(ङ) जिला शिकायत निवारण अधिकारी के आदेशों के विरूद्ध अपीलों की सुनवाई करना,

(च) वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना, जो राज्य सरकार द्वारा राज्य विधान–मंडल के समक्ष रखी जाएंगी।

(7) राज्य सरकार, राज्य आयोग को उतने प्रशासनिक और तकनीकी कर्मचारीवृंद उपलब्ध कराएगी जितने वह राज्य आयोग के उचित कार्यकरण के लिए आवश्यक समझे।

(8) उपधारा (7) के अधीन कर्मचारीवृंद की नियुक्ति की पद्धति, उनके वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें ऐसी होंगी, जो राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएं।

(9) राज्य सरकार, ऐसे अध्यक्ष या किसी सदस्य को पद से हटा सकेगी–

(क) जो दिवालिया है या किसी समय दिवालिया अधिनिर्णीत किया गया है, या

(ख) जो सदस्य के रूप में कार्य करने में शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से असमर्थ हो गया है;

(ग) जिसे ऐसे किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, जिसमें राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता अंतर्वलित है; या

(घ) जिसने ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिया है, जिससे सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है; या

(ङ) जिसने अपने पद का इस प्रकार दुरूपयोग किया है जिससे उसका पद पर बने रहना लोक हित में हानिकारक है।

(10) ऐसे किसी अध्यक्ष या सदस्य को उपधारा (9) के खंड (घ) या खंड (ङ) के अधीन तब तक नहीं हटाया जाएगा, जब तक कि उसे मामले में सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।

राज्य आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, सदस्य-सचिव और अन्य कर्मचारीवृन्द के वेतन और भत्ते

17. राज्य सरकार अध्यक्ष, अन्य सदस्यों, सदस्य– सचिव, सहायक कर्मचारीवृन्द के वेतन और भत्तों का तथा राज्य आयोग के उचित कार्यकरण के लिए अपेक्षित अन्य प्रशासनिक व्ययों का उपबंध करेगी।

राज्य आयोग के रूप में कार्य करने के लिए किसी आयोग या निकाय को अभिहित किया जाना।

18. राज्य सरकार, यदि वह यह आवश्यक समझती है तो, अधिसूचना द्वारा, किसी कानूनी आयोग या निकाय को धारा 16 में निर्दिष्ट राज्य आयोग की शक्तियों का प्रयोग और उसके कृत्यों का पालन करने के लिए अभिहित कर सकेगी।

संयुक्त राज्य खाद्य आयोग

19. धारा 16 की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से, दो या अधिक राज्यों का एक संयुक्त राज्य खाद्य आयोग हो सकेगा।

20. (1) राज्य आयोग को, धारा 16 की उपधारा (6) के खंड (ख) और खंड (ङ) में निर्दिष्ट किसी विषय की जाँच करते समय और विशिष्टतया निम्नलिखित विषयों के संबंध में वे सभी शक्तियां प्राप्त होंगी, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय की होती है, अर्थात्:–

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

(ख) किसी दस्तावेज का प्रकटीकरण और पेश किया जाना;

(ग) शपथपत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना;

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की अध्यपेक्षा करना; और

(ङ) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना।

(2) राज्य आयोग को किसी मामले को, उसका विचारण करने की अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को अग्रेषित करने की शक्ति होगी और ऐसा मजिस्ट्रेट, जिसको ऐसा मामले अग्रेषित किया जाता है, अभियुक्ति के विरूद्ध परिवाद की उसी प्रकार सुनवाई करेगा मानो वह मामला दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 346 के अधीन उसको अग्रेषित किया गया है।

रिक्तियों, आदि से राज्य आयोग की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना

21. राज्य आयोग का कोई कार्य या कार्यवाही, केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं होगी कि,–

(क) राज्य आयोग में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है; या

(ख) राज्य आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि है; या

(ग) राज्य आयोग की प्रक्रिया में ऐसी अनियमित्ता है जो मामले के गुणागुण पर प्रभाव नहीं डालती है।

अध्याय-8

खाद्य सुरक्षा के लिए केन्द्रीय सरकार की बाध्यताएं

केंद्रीय सरकार द्वारा केंद्रीय पूल से खाद्यान्नों की अपेक्षित मात्रा का राज्य सरकारों को आबंटन किया जाना

22. (1) केन्द्रीय सरकार, पात्र गृहस्थियों के व्यक्तियों को खाद्यान्नों का नियमित प्रदाय सुनिश्चित करने के लिए धारा 3 के अधीन हकदारियों के अनुसार और अनुसूची–एक में विनिर्दिष्ट कीमतों पर लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन, केन्द्रीय पूल से खाद्यान्नों की अपेक्षित मात्रा का राज्य सरकारों को आबंटन करेगी।

(2) केन्द्रीय सरकार, धारा 10 के अधीन प्रत्येक राज्य में पहचान की गई पात्र गृहस्थियों की व्यक्ति–संख्या के अनुसार खाद्यान्न आबंटित करेगी।

(3) केन्द्रीय सरकार, धारा 4, धारा 5 और धारा 6 के अधीन हकदारियों के संबंध में, पात्र गृहस्थियों के व्यक्तियों के लिए अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट कीमतों पर खाद्यान्न राज्य सरकारों को उपलब्ध कराएगी।

(4) केन्द्रीय सरकार, उपधारा (1) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना,–

(क) अपने स्वयं के अभिकरणों और राज्य सरकारों तथा उनके अभिकरणों के माध्यम से केन्द्रीय पूल के लिए खाद्यान्न प्राप्त करेगी;

(ख) राज्यों को खाद्यान्न आबंटित करेगी;

(ग) प्रत्येक राज्य में केन्द्रीय सरकार द्वारा अभिहित डिपो को, आबंटन के अनुसार, खाद्यान्नों के परिवहन का उपबंध करेगी;

(घ) राज्य सरकार के ऐसे सन्नियमों और रीति के अनुसार, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं, खाद्यान्नों के अंतरा–राज्यिक संचलन, उठाई–धराई और उचित दर दुकान के व्यौहारियों को संदत्त अतिरिक्त धन (मार्जिन) मद्दे उसके द्वारा उपगत व्यय को पूरा करने में सहायता प्रदान करेगी; और

(ङ) विभिन्न स्तरों पर अपेक्षित आधुनिक और वैज्ञानिक भंडारण सुविधाएं सृजित करेगी और बनाए रखेगी।

केन्द्रीय सरकार द्वारा कतिपय मामलों में राज्य सरकार को निधियां उपलब्ध कराया जाना

23. किसी राज्य को केन्द्रीय पूल से खाद्यान्न की कम आपूर्ति की दशा में केन्द्रीय सरकार, ऐसी रीति से, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाय, अध्याय–2 के अधीन की बाध्यताओं को पूरा करने के लिए राज्य सरकार को किए गए प्रदाय की सीमा तक निधियां उपलब्ध कराएगी।

अध्याय-9

खाद्य सुरक्षा के लिए राज्य सरकार की बाध्यताएं

खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कीमों का कार्यान्वयन और उन्हें मानीटर किया जाना

24. (1) राज्य सरकार, अपने राज्य में लक्ष्यित हिताधिकारियों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की स्कीमों और अपनी स्वयं की स्कीमों का केन्द्रीय सरकार के द्वारा प्रत्येक स्कीम के लिए जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार कार्यान्वयन किए जाने और उन्हें मानीटर करने के लिए उत्तरदायी होगी।

(2) लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राज्य सरकार का निम्नलिखित कर्तव्य होगा, –

(क) अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट कीमतों पर राज्य में केन्द्रीय सरकार

के अभिहित डिपो से खाद्यान्नों का परिदान लेना, प्रत्येक उचित दर दुकान के द्वार तक अपने प्राधिकृत अभिकरणों के माध्यम से आबंटित खाद्यान्नों के परिदान के लिए अंतरा–राज्यिक आबंटनों को संचालित करना; और

(ख) हकदार व्यक्तियों को अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट कीमतों पर खाद्यान्नों का वास्तविक परिदान या प्रदाय सुनिश्चित करना।

(3) धारा 4, धारा 5 और धारा 6 के अधीन हकदारियों के संबंध में खाद्यान्न अपेक्षाओं के लिए राज्य सरकार, राज्य में केन्द्रीय सरकार के अभिहित डिपो से, पात्र गृहस्थियों के व्यक्तियों के लिए, अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट कीमतों पर खाद्यान्नों का परिदान लेने और पूर्वोक्त धाराओं में यथा विनिर्दिष्ट हकदार फायदों के वास्तविक परिदान को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगी।

(4) अध्याय 2 के अधीन हकदार व्यक्तियों के खाद्यान्नों या भोजनों की हकदार मात्रा का प्रदाय न करने की दशा में, राज्य सरकार धारा 8 में विनिर्दिष्ट खाद्य सुरक्षा भत्ते का संदाय करने के लिए उत्तरदायी होगी।

(5) प्रत्येक राज्य सरकार, लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दक्षतापूर्वक प्रचालन के लिए –

(क) राज्य, जिला और ब्लाक स्तरों पर ऐसी वैज्ञानिक भंडारण सुविधाओं का सृजन करेगी और उन्हें बनाए रखेगी, जो लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य खाद्य आधारित कल्याणकारी स्कीमों के अधीन अपेक्षित खाद्यान्नों को समायोजित करने के लिए पर्याप्त हों,

(ख) अपने खाद्य और सिविल आपूर्ति निगमों और अन्य अभिहित अभिकरणों की क्षमताओं को यथोचित रूप से सुदृढ़ करेगी,

(ग) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, समय–समय पर यथासंशोधित, के अधीन किए गए सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 के सुसंगत उपबंधों के अनुसार उचित दर दुकानों के लिए संस्थागत अनुज्ञापन इंतजामों को स्थापित करेगी।

अध्याय-10

स्थानीय प्राधिकारियों की बाध्यताएं

स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा अपने क्षेत्रों में लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कार्यान्वयन

25. (1) स्थानीय प्राधिकारी, अपने–अपने क्षेत्रों में इस अधिनियम के उचित कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होंगे।

(2) उपधारा (1) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, स्थानीय प्राधिकारी को लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त उत्तरदायित्व सौंप सकेगी।

स्थानीय प्राधिकारी की बाध्यताएं

26. इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए तैयार की गई केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के मंत्रालयों और विभागों की भिन्न–भिन्न स्कीमों के कार्यान्वयन में, स्थानीय प्राधिकारी ऐसे कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों के निर्वहन के लिए उत्तरदायी होंगे, जो संबंधित राज्य सरकारों द्वारा, अधिसूचना द्वारा, उन्हें सौंपे जाएं।

अध्याय-11

पारदर्शिता और जवाबदेही

लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अभिलेखों का प्रकटीकरण

27. लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित सभी अभिलेखों को, ऐसी रीति से, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, सार्वजनिक क्षेत्र में रखा जाएगा और जनसाधारण के निरीक्षण के लिए खुला रखा जाएगा।

सामाजिक संपरीक्षा का कराया जाना

28. (1) प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी या ऐसा कोई अन्य निकाय, जिसे राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किया जाए, उचित दर दुकानों, लक्ष्यित

सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याणकारी स्कीमों के कार्यकरण के संबंध में समय–समय पर सामाजिक संपरीक्षा करेगा या करवाएगा और ऐसी रीति से, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, अपने निष्कर्ष प्रचारित करवाएगा और आवश्यक कार्रवाई करेगा।

(2) केन्द्रीय सरकार, यदि वह आवश्यक समझे, सामाजिक संपरीक्षा कर सकेगी या ऐसी संपरीक्षाएं करने का अनुभव रखने वाले स्वतंत्र अभिकरणों के माध्यम से करवा सकेगी।

सतर्कता समितियों का गठन

29. (1) प्रत्येक राज्य सरकार, लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की पारदर्शिता और उचित कार्यकरण को तथा ऐसी प्रणाली में कृत्यकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, राज्य, जिला, ब्लॉक और उचित दर दुकान के स्तरों पर, समय–समय पर, यथासंशोधित, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन किए गए सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 में यथाविनिर्दिष्ट सतर्कता समितियों का गठन करेगी जो ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनेगी, जो राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएं और इनमें स्थानीय प्राधिकारियों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, स्त्रियों और निराश्रित व्यक्तियों या निःशक्त व्यक्तियों को सम्यक् प्रतिनिधित्व दिया जाएगा।

(2) सतर्कता समितियां, निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेंगी, अर्थात्:–

(क) इस अधिनियम के अधीन सभी स्कीमों के कार्यान्वयन का नियमित रूप से पर्यवेक्षण करना,

(ख) इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों के अतिक्रमण की जिला शिकायत निवारण अधिकारी को, लिखित में, सूचना देना, और

(ग) किसी अनाचार या निधियों के दुर्विनियोग की, जिनका उसे पता चले, जिला शिकायत निवारण अधिकारी को, लिखित में, सूचना देना।

अध्याय-12

खाद्य सुरक्षा अग्रसर करने के लिए उपबंध

दूरस्थ पहाड़ी और जनजाति क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा

30. केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारें, इस अधिनियम के उपबंधों और विनिर्दिष्ट हकदारियों की पूर्ति के लिए स्कीमों का कार्यान्वयन करते समय कमजोर समूहों की, विशेष रूप से, उनकी जो दूरस्थ क्षेत्रों और ऐसे अन्य क्षेत्रों में, जहां पहुंचना कठिन है, पहाड़ी और जनजाति क्षेत्रों में रहते हैं, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उनकी आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान देंगी।

खाद्य तथा पोषणाहार संबंधी सुरक्षा को और अग्रसर बनाने के उपाय

31. केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारें और स्थानीय प्राधिकारी, खाद्य और पोषणाहार संबंधी सुरक्षा को अग्रसर करने के प्रयोजन के लिए अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों को उत्तरोत्तर प्राप्त करने का प्रयास करेंगे।

अध्याय-13

प्रकीर्ण

अन्य कल्याणकारी स्कीमें

32. (1) इस अधिनियम के उपबंध, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को अन्य खाद्य आधारित कल्याणकारी स्कीमों को जारी रखने या विरचित करने से प्रवारित नहीं करेंगे।

(2) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, अपने स्वयं के स्रोतों से इस अधिनियम के अधीन उपबंधित फायदों से उच्चतर फायदों का उपबंध करने के लिए खाद्य या पोषण आधारित योजनाएं या स्कीमें जारी रख सकेगी या विरचित कर सकेगी।

शास्तियां

33. ऐसा कोई लोक सेवक या प्राधिकारी, जिसे राज्य आयोग द्वारा, किसी परिवाद या अपील का विनिश्चय करते समय, जिला शिकायत निवारण

अधिकारी द्वारा सिफारिश किए गए अनुतोष को, बिना किसी युक्तियुक्त कारण के उपलब्ध करवाने में असफल रहने का या ऐसी सिफारिश की जानबूझकर अवज्ञा करने का दोषी पाया जाएगा, पांच हजार रुपए से अनधिक की शास्ति का दायी होगाः

परन्तु कोई शास्ति अधिरोपित करने के पूर्व, यथास्थिति, लोक सेवक या लोक प्राधिकारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जाएगा।

न्याय निर्णयन की शक्ति

34. (1) राज्य आयोग, धारा 33 के अधीन शास्ति का न्यायनिर्णयन करने के प्रयोजन के लिए, अपने किसी सदस्य को, कोई शास्ति अधिरोपित करने के प्रयोजन के लिए संबद्ध किसी व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए जाने के पश्चात् विहित रीति से जांच करने के लिए न्यायनिर्णायक अधिकारी के रूप में प्राधिकृत करेगा।

(2) न्यायनिर्णायक अधिकारी को, कोई जांच करते समय, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से अवगत किसी ऐसे व्यक्ति को, जो ऐसा साक्ष्य देने या कोई ऐसा दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए जो न्यायनिर्णायक अधिकारी की राय में, जांच की विषय–वस्तु के लिए उपयोगी या सुसंगत हो सकता है, समन करने और हाजिर कराने की शक्ति होगी और यदि ऐसी जांच करने पर उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसा व्यक्ति, बिना किसी युक्तियुक्त कारण के जिला शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर अनुतोष प्रदान करने में असफल रहा है या उसने जानबूझकर ऐसी सिफारिशों की अवज्ञा की है तो वह ऐसी शास्ति, जो वह धारा 33 के उपबंधों के अनुसार ठीक समझे, अधिरोपित कर सकेगा।

केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा प्रत्यायोजन की शक्ति

35. (1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा यह निर्देश दे सकेगी कि उसके द्वारा प्रयोक्तव्य शक्तियाँ (नियम बनाने की शक्ति के सिवाय), ऐसी परिस्थितियों में और ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए, राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीनस्थ

किसी ऐसे अधिकारी द्वारा भी, जिसे वह अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे, प्रयोक्तव्य होंगी।

(2) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, यह निर्देश दे सकेगी कि उसके द्वारा प्रयोक्तव्य शक्तियाँ (नियम बनाने की शक्ति के सिवाय), ऐसी परिस्थितियों में और ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए, उसके अधीनस्थ किसी ऐसे अधिकारी द्वारा भी, जिसे वह अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करें, प्रयोक्तव्य होंगी।

अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना

36. इस अधिनियम या उसके अधीन बनाई गई स्कीमों के उपबन्ध, त्तसमय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या ऐसी विधि के आधार पर प्रभाव रखने वाली किसी लिखित में अंतर्विष्ट उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे।

अनुसूचियों का संशोधन करने की शक्ति

37. (1) यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह अधिसूचना द्वारा अनुसूची 1 या अनुसूची 2 या अनुसूची 3 या अनुसूची 4 का संशोधन कर सकेगी और तदुपरि, यथास्थिति, अनुसूची 1 या अनुसूची 2 या अनुसूची 3 या अनुसूची 4 तदनुसार संशोधित की गई समझी जाएगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना की एक प्रति, उसके जारी किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी।

केंद्रीय सरकार की निर्देश देने की शक्ति

38. केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के उपबंधों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए समय–समय पर, राज्य सरकारों को ऐसे निर्देश दे सकेगी, जो वह आवश्यक समझे और राज्य सरकारें ऐसे निर्देशों का पालन करेंगी।

नियम बनाने की केंद्रीय सरकार की शक्ति

39. (1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिये नियम, राज्य सरकार के परामर्श से और अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिये उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:–

(क) धारा 4 के खण्ड (ख) के अधीन गर्भवती स्त्रियों और स्तनपान कराने वाली माताओं को प्रसूति फायदा उपलब्ध करवाने संबंधी स्कीम, जिसके अन्तर्गत् खर्च में हिस्सा बंटाना भी है;

(ख) धारा 4, धारा 5 और धारा 6 के अधीन हकदारी संबंधी स्कीमें, जिसके अन्तर्गत् धारा 7 के अधीन खर्च में हिस्सा बंटाना भी है;

(ग) धारा 8 के अधीन हकदार व्यष्टियों को खाद्य सुरक्षा भत्ते के संदाय की रकम, उसका समय और रीति;

(घ) धारा 12 की उपधारा (2) के खंड (ज) के अधीन लक्ष्यित हिताधिकारियों को ऐसे क्षेत्रों में और रीति से उनकी खाद्यान हकदारियों को सुनिश्चित करने के लिये नकदी अन्तरण, खाद्य कूपनों की स्कीमें या अन्य स्कीमें प्रारंभ करना;

(ङ) धारा 22 की उपधारा (4) के खंड (घ) के अधीन व्यय को पूरा करने में राज्य सरकारों को सहायता उपलब्ध कराने के सन्नियम और रीति;

(च) वह रीति जिसमें धारा 23 के अधीन खाद्यानों के कम प्रदाय की दशा में केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को निधियां उपलब्ध कराई जाएंगी;

(छ) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाना है या विहित किया जाय या जिसके संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा नियमों द्वारा उपबंध किया जाना है।

(3) इस अधिनियम के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिये रखा जायगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक

सत्रों में पूरी हो सकेंगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तपश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तपश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किंतु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति

40. (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए अधिसूचना द्वारा और पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हुए और इस अधिनियम और केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों से संगत, नियम बना सकेंगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :–

(क) धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन पूर्विकताप्राप्त गृहस्थियों की पहचान के लिये मार्गदर्शक सिद्धांत;

(ख) धारा 14 के अधीन आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र;

(ग) धारा 15 की उपधारा (2) के अधीन जिला शिकायत निवारण अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिये अर्हताएं और उसकी शक्तियां;

(घ) धारा 15 की उपधारा (3) के अधीन जिला शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति की पद्धति और उसके निबंधन तथा शर्तें;

(ङ) धारा 15 की उपधारा (5) और उपधारा (7) के अधीन जिला शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा शिकायतों की सुनवाई तथा अपीलें फाइल किए जाने की रीति और समय–सीमा;

(च) धारा 16 की उपधारा (5) के अधीन राज्य आयोग के अध्यक्ष, अन्य सदस्यों तथा सदस्य–सचिव की नियुक्ति की पद्धति और उनकी नियुक्ति के निबंधन और शर्तें, आयोग की बैठक की प्रक्रिया तथा उसकी शक्तियां;

(छ) धारा 16 की उपधारा (8) के अधीन राज्य आयोग के कर्मचारीवृन्द की नियुक्ति की पद्धति, उनके वेतन, भत्ते तथा सेवा की शर्तें;

(ज) वह रीति, जिसमें धारा 27 के अधीन लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित अभिलेख सार्वजनिक अधिकार क्षेत्र में रखे जाएंगे और जनता के निरीक्षण के लिए खुले रखे जाएंगे;

(झ) वह रीति, जिसमें धारा 28 के अधीन उचित दर दुकानों, लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याणकारी स्कीमों के कार्यकरण की सामाजिक संपरीक्षा की जाएगी;

(ञ) धारा 29 की उपधारा (1) के अधीन सतर्कता समितियों की संरचना;

(ट) धारा 43 के अधीन संस्थागत तंत्र के उपयोग के लिए केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की स्कीमें या कार्यक्रम;

(ठ) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना है या विहित किया जाए या जिसके संबंध में राज्य सरकार द्वारा नियमों द्वारा उपबंध किया जाना है।

(3) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम या जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना और मार्गदर्शक सिद्धान्त, उसके बनाए जाने या जारी किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान–मंडल के, जहां उसके दो सदन हैं, प्रत्येक सदन के समक्ष और जहाँ राज्य विधानमंडल का एक सदन है वहां उस सदन के समक्ष रखे जाएंगे।

स्कीमों, मार्गदर्शक सिद्धांतों आदि के लिए संक्रमणकालीन उपबंध।

41. इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को विद्यमान स्कीमें, मार्गदर्शक सिद्धान्त, आदेश और खाद्य मानक, शिकायत निवारण तंत्र, सतर्कता समितियां तब तक प्रवृत्त और प्रभाव में बनी रहेंगी, जब तक इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गये नियमों के अधीन ऐसी स्कीमें, मार्गदर्शक सिद्धांत, आदेश और खाद्य मानक, शिकायत निवारण तंत्र, सतर्कता समितियां विनिर्दिष्ट या अधिसूचित हैं;

परंतु उक्त स्कीमों, मार्गदर्शक सिद्धान्तों, आदेशों और खाद्य मानक, शिकायत निवारण तंत्र के अधीन या सतर्कता समितियों द्वारा की गई कोई बात या कोई कार्रवाई इस अधिनियम के त्तस्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जायगी और तदनुसार तब तक प्रवृत्त बनी रहेगी जब तक कि इस अधिनियम के अधीन की गई किसी बात या किसी कार्रवाई द्वारा उसे अधिक्रांत नहीं कर दिया जाता है।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

42. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिये उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों:

परंतु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जायगा।

संस्थागत तंत्र का अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग

43. धारा 15 और धारा 16 के अधीन नियुक्त या गठित किए जाने वाले प्राधिकारियों की सेवाओं का उपयोग केंद्रीय सरकारों की या राज्य सरकारों की ऐसी अन्य स्कीमों या कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में, जो राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएं, किया जा सकेगा।

अपरिहार्य घटना

44. यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार, इस अधिनियम के अधीन हकदार किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी दावे के लिए, ऐसे युद्ध, बाढ़, सूखे, आग, चक्रवात या भूकंप की दशा के सिवाय, जिससे इस अधिनियम के अधीन ऐसे व्यक्ति को खाद्यान या भोजन के नियमित प्रदाय पर प्रभाव पड़ता है, दायी होगी :

परंतु केंद्रीय सरकार, योजना आयोग के परामर्श से, यह घोषित कर सकेगी कि ऐसे व्यक्ति को खाद्यान्न या भोजन के नियमित प्रदाय को प्रभावित करने वाली ऐसी कोई परिस्थिति उद्‌भूत या विद्यमान है अथवा नहीं।

निरसन और व्यावृत्ति

45. (1) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश, 2013 इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन,–

(क) की गई किसी बात, की गई किसी कार्रवाई या पात्र गृहस्थियों की, की गई पहचान; या

(ख) अर्जित, प्रोद्‌भूत या उपगत किसी अधिकार, हकदारी, विशेषाधिकार बाध्यता या दायित्व; या

(ग) विरचित किन्हीं मार्गदर्शन सिद्धान्तों या जारी किए गए निर्देशों; या

(घ) यथापूर्वोक्त ऐसे अधिकार, हकदारी, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व के संबंध में आरंभ की गई, संचालित या जारी किसी अन्वेषण, जांच या किसी अन्य विधिक कार्यवाही; या

(ङ) किसी अपराध के संबंध में अधिरोपित किसी शास्ति,

के बारे में यह समझा जाएगा कि वह इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई, अर्जित की गई, प्रोद्‌भूत हुई, उपगत की गई, विरचित की गई, जारी की गई, आरंभ की गई, संचालित की गई, जारी रखी गई या अधिरोपित की गई है।

अनुसूची - 1 (धारा 3(1), धारा 22(1), (3) और धारा 24 (2),(3) देखिए)

लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन सहायताप्राप्त कीमतें

पात्र गृहस्थियां, धारा 3 के अधीन सहायताप्राप्त कीमत पर, जो चावल के लिए 3 रुपए प्रति कि.ग्रा., गेहूं के लिए 2 रुपए प्रति कि.ग्रा. और मोटे अनाज के लिए 1 रुपये प्रति कि.ग्रा. से अधिक की नहीं होगी, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए और उसके पश्चात् ऐसी कीमत पर खाद्यान्न लेने की हकदार होंगी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, समय–समय पर, नियत की जाए और जो, यथास्थिति,–

(1) गेहूं और मोटे अनाज के लिए न्यूनतम समर्थन कीमत; और

(2) चावल के लिए व्युत्पन्न न्यूनतम समर्थन कीमत, से अधिक नहीं होगी।

अनुसूची - 2 (धारा 4 (क), धारा 5 (1) और 6 देखिए)

पोषणाहार मानक

छह मास से तीन वर्ष के आयु समूह, तीन से छह वर्ष के आयु समूह के बालकों तथा गर्भवती स्त्रियों और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पोषणाहार मानक ''घर ले जाया जाने वाला राशन'' उपलब्ध कराकर या एकीकृत बाल विकास सेवा स्कीम के अनुसार पोषक गर्म पका हुआ भोजन उपलब्ध कराकर पूरे किए जाने अपेक्षित हैं और अपराह्न भोजन स्कीम के अधीन निम्न तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं के बालकों के पोषणाहार मानक निम्नानुसार हैं:

क्र. सं.	प्रवर्ग	भोजन का प्रकार	कैलोरी (कि. कैलोरी)	प्रोटीन (ग्रा.)
1.	बालक (6 मास से 3 वर्ष)	घर ले जाया जाने वाला राशन	500	12–15
2.	बालक (3 से 6 वर्ष)	सुबह का नाश्ता और गर्म पका हुआ भोजन	500	12–15
3.	बालक (6 मास से 6 वर्ष) जो कुपोषित हैं	घर ले जाया जाने वाला राशन	800	20–25
4.	निम्न प्राथमिक कक्षाएं	गर्म पका हुआ भोजन	450	12
5.	उच्च प्राथमिक कक्षाएं	गर्म पका हुआ भोजन	700	20
6.	गर्भवती स्त्रियां, स्तनपान कराने वाली माताएं	घर ले जाया जाने वाला राशन	600	18–20

अनुसूची - 3 (धारा 31 देखिए)

खाद्य सुरक्षा को अग्रसर करने के लिए उपबंध

(1) कृषि का पुनः सुदृढ़ीकरण–

(क) छोटे और सीमांत कृषकों के हितों को सुरक्षित करने के उपायों के माध्यम से भूमि संबंधी सुधार करना;

(ख) कृषि, जिसके अन्तर्गत अनुसंधान और विकास, विस्तार सेवाएं, सूक्ष्म और लघु सिंचाई और उत्पादकता और उत्पादन बढ़ाने के लिए शक्ति भी है, विनिधान में वृद्धि करना;

(ग) लाभकारी कीमतों, निवेशों तक पहुंच, प्रत्यय, सिंचाई, विद्युत, फसल बीमा, आदि के रूप में कृषकों के जीवन निर्वाह की सुरक्षा सुनिश्चित करना;

(घ) खाद्य उत्पादन से भूमि और जल के अनपेक्षित उपयोजना का प्रतिषेध करना।

(2) उपापन, भंडारण और लाने–ले–जाने से संबंधित मध्यक्षेप–

(क) विकेन्द्रीकृत उपापन को, जिसके अन्तर्गत मोटे अनाजों का उपापन भी है, प्रोत्साहित करना;

(ख) उपापन संक्रियाओं का भौगोलिक विशाखन;

(ग) पर्याप्त विकेंद्रीकृत आधुनिक और वैज्ञानिक भंडारण का संवर्द्धन;

(घ) खाद्यान्नों के लाने–ले–जाने को सर्वोच्च प्राथमिकता देना और इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त रैक उपलब्ध कराना जिसमें अधिशेष वाले क्षेत्रों से उपयोग वाले क्षेत्रों को खाद्यान्नों के लाने–ले–जाने को सुकर बनाने के लिए रेल की लाइन क्षमता का विस्तार भी सम्मिलित है।

(3) अन्य : निम्नलिखित तक पहुंच–

(क) सुरक्षित और पर्याप्त पेय जल और स्वच्छता;

(ख) स्वास्थ्य देखभाल;

(ग) किशोर बालिकाओं का पोषणाहार, स्वास्थ्य और शिक्षा के संबंध में सहायता; और

(घ) वरिष्ठ नागरिकों, निःशक्त व्यक्तियों और एकल महिलाओं के लिए पर्याप्त पेंशन।

अनुसूची-4

(धारा 3 (1) देखिए)

खाद्यान्नों का राज्य-वार आबंटन

क्रम सं.	राज्य का नाम	मात्रा (लाख टनों में)
1	2	3
1	आंध्र प्रदेश	32.10
2	अरुणाचल प्रदेश	0.89
3	असम	16.95
4	बिहार	55.27
5	छत्तीसगढ़	12.91
6	दिल्ली	5.73
7	गोवा	0.59
8	गुजरात	23.95
9	हरियाणा	7.95
10	हिमाचल प्रदेश	5.08
11	जम्मू कश्मीर	7.51
12	झारखण्ड	16.96
13	कर्नाटक	25.56
14	केरल	14.25
15	मध्य प्रदेश	34.68
16	महाराष्ट्र	45.02
17	मणिपुर	1.51
18	मेघालय	1.76
19	मिजोरम	0.66
20	नागालैंड	1.38
21	ओडिसा	21.09

क्रम सं.	राज्य का नाम	मात्रा (लाख टनों में)
22	पंजाब	8.70
23	राजस्थान	27.92
24	सिक्किम	0.44
25	तमिलनाडु	36.78
26	त्रिपुरा	2.71
27	उत्तर प्रदेश	96.15
28	उत्तराखंड	5.03
29	पश्चिम बंगाल	38.49
30	अडंमान और निकोबार	0.16
31	चंडीगढ़	0.31
32	दादर और नागर हवेली	0.15
33	दमन और दीव	0.07
34	लक्षद्वीप	0.05
35	पुडुचेरी	0.50
	कुल	549.26

खाद्य सुरक्षा और सुप्रीम कोर्ट

सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका

भारत में खाद्य सुरक्षा लागू कानून होने में पीयूसीएल की रिट याचिका तथा सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसकी संक्षिप्त जानकारी प्रस्तुत है।

सन् 2001 के मध्य में भारत में 'प्रचूरता के बीच भूख' का एक नया रूप देखने को मिला। एक ओर देश अनाज का भंडार इतना भरा, जितना कभी नहीं भरा। दूसरी ओर सूखाग्रस्त तथा अन्य इलाकों में भूख भी बढ़ी। इस स्थिति के आधार पर पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पीयूसीएल) यानि नागरिक आजादी के लिए जन संगठन–राजस्थान इकाई ने 'रोटी के हक' को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में एक अर्जी डाली। शुरू में यह केस, सूखा–राहत के विशिष्ट संदर्भ में, भारत सरकार, भारतीय खाद्य निगम और छः राज्य सरकारों के विरूद्ध दायर किया गया था। लेकिन बाद में इसमें व्यापक तौर पर मौजूद, सदा चलती रहने वाली भूख को शामिल किया गया और सभी राज्यों को मुद्दई बनाया गया जिनसे जवाब–तलब करना था।

इस अर्जी का कानूनी आधार बहुत सीधा सादा है। संविधान का अनुच्छेद 21 जीने का हक देता है और सरकार का कर्तव्य बनता है उसकी रक्षा करना। यह एक मौलिक अधिकार है। पहले के कई मुकदमों में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया है कि जीने के अधिकार का मतलब है कि इज्जत से जीने का अधिकार और खाने का अधिकार भी अन्य कई अधिकारों की तरह इज्जत से जीने के अधिकार में शामिल है। मूल रूप से इस अर्जी में दलील दी गई है कि नीति तथा कार्यान्वयन, दोनों स्तरों पर, राहत की स्थिति के प्रति केन्द्र और राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया स्पष्टतः इस अधिकार का उल्लघंन है। इस अर्जी में इस बात को साबित करने के लिए सरकारी और जमीनी स्तर के आंकड़ों का प्रयोग किया गया है।

खाद्य सुरक्षा मुहैय्या कराने में सरकारी उपेक्षा को लेकर अर्जी में दो पहलुओं को चिह्नित किया गया है। एक है सरकार द्वारा राशन प्रणाली, जन वितरण प्रणाली का खत्म किया जाना। राशन प्रणाली की असफलता कई स्तरों पर उजागर होती है। इसकी सुविधा केवल गरीबी रेखा के नीचे जी रहे लोगों के लिए सीमित की गई है, लेकिन जो मासिक कोटा तय किया है, वह इंडियन

काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा निर्धारित पौष्टिकता स्तर से नीचे है। इसके अतिरिक्त इसे भी जहां–तहां ही लागू किया गया है। राजस्थान में गांवों का एक सर्वे किया गया। इनमें से एक तिहाई गांवों में ही पिछले तीन महीनों से समय पर अनाज बांटा गया। उसके आधे गांवों में अनाज बिल्कुल नहीं बंटा। गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले परिवारों का सर्वे भी कोई भरोसेमंद नहीं है। कुल मिलाकर इन परिवारों को राशन–प्रणाली के जरिए जो मदद मिल रही है, हर महीने एक व्यक्ति के लिए पांच रूपए से भी कम है।

इस अर्जी का दूसरा बिंदु है सरकार के राहत कार्य की कमियां। कई राज्यों में अकाल संबंधी नियमावली है जिसके आधार पर राहत कार्य किए जाते हैं। सूखा की स्थिति में इन्हें लागू करना अनिवार्य हो जाता है। इसके अनुसार यह जरूरी है कि 'हर ऐसे व्यक्ति को काम दिया जाए जो राहत–कार्य के लिए आता है।' लेकिन इसके वितरित राजस्थान सरकार ने 'श्रम–सीमा' की नीति अपनाई है। इसमें सरकारी आंकड़ों के अनुसार 5 प्रतिशत सूखा पीड़ित आबादी को ही काम मिल पाता है। वास्तविक रोजगार का स्तर इससे भी नीचे है। बहुत सी जगहों से खबर मिली है कि कानूनी रूप से मान्य न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलती है।

इन समस्याओं की जिम्मेदारी सरकार पैसों की कमी पर डालती है। यह अर्जी इस बहाने को ध्वस्त करती है। सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही कह दिया है कि संवैधानिक कर्त्तव्यों को पूरा करने की असफलता को सरकार 'पैसों की कमी' के मत्थे नहीं मढ़ सकती। वैसे भी खाद्य के भरे भंडार को देखते हुए यह बहाना बिल्कुल नहीं लागू हो सकता। राज्य सरकार ने बार–बार केन्द्र सरकार से राहत–कार्य के लिए मुफ्त अनाज मांगा है, पर उसे मिला नहीं। लेकिन यह भी सच है कि राज्यों को जो अनाज मिला है, उसका भी अक्सर पूरा उपयोग नहीं हुआ है। इसकी वजह से राज्य सरकार का पक्ष कमजोर पड़ जाता है।

अर्जी के अंत में सर्वोच्च न्यायालय से हस्तक्षेप करने की प्रार्थना की गई है। खासतौर पर अर्जी में न्यायालय से मांग की गई है कि वह राजस्थान सरकार को आदेश दे कि वह

(क) सूखा–पीड़ित गांवों में तुरंत खुले रोजगार की व्यवस्था करें,

(ख) जो लोग काम नहीं कर पा रहे हों उन्हें एकमुश्त राहत राशि दें,

(ग) हरेक परिवार को राशन प्रणाली से मिलने वाले अनिवार्य अनाज की मात्रा बढ़ाई जाए और

(घ) सभी परिवारों को रियायती दरों पर अनाज दिया जाए।

अंत में अर्जी में अनुरोध किया गया है कि न्यायालय केन्द्र सरकार को हुक्म दे कि वह इन कार्यक्रमों के लिए मुफ्त अनाज का प्रबंध करे।

इस मुकदमे में याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कोलिन गोंसाल्विस ने बहस की और जिन्हें अपर्णा भट्ट, अनूप कुमार श्रीवास्तव आदि अधिवक्ताओं ने सहयोग किया। केन्द्र सरकार की ओर से एटार्नी जनरल और राज्य सरकारों की ओर से अनेक अन्य अधिवक्ताओं ने अपना–अपना पक्ष रखा।

आगे के पृष्ठों में सुप्रीम कोर्ट के कुछ प्रमुख आदेशों के अंश प्रस्तुत हैं।

भारत का सर्वोच्च न्यायालय

रिट याचिका (सी) न. 2001 की 196
पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज
बनाम
भारत संघ एवं अन्य
दिनांक 23.07.2001

पीठासीन न्यायाधीश :

1. मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बी. एन. किरपाल
2. जस्टिस के. जी. बालाकृष्णान

आदेश

वादी के वकील को अंतरिम राहत के लिए नया दाखिल करने की अनुमति दी जाती है। इसकी एक प्रति भारत सरकार के वकील, राज्यों के वकील और भारतीय खाद्य निगम के वकील को दी जाये। विद्वान महाधिवक्ता कहते हैं कि इस मुकदमे को प्रतिद्वन्द्वात्मक न माना जाये और यह सबकी चिन्ता का विषय है। हमारी राय में बुजुर्गों, अशक्तों, विकलांगों, भुखमरी की शिकार दरिद्र महिलाओं और दरिद्र पुरूषों, गर्भवती और दूध पिलाती महिलाओं तथा दरिद्र बच्चों, खासकर उन मामलों में जिनमें वे या उनके परिवार के सदस्य उन्हें पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराने की आर्थिक स्थिति में न हों, को भोजन उपलब्ध कराना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अकाल की हालत में भोजन की कमी हो सकती है लेकिन यहां तो प्रचूरता के बीच अभाव है। प्रचूर भोजन उपलब्ध है, लेकिन वह बहुत गरीब लोगों तथा दरिद्रों तक को वितरित नहीं हो पाता। इसमें कुपोषण, भुखमरी और अन्य संबंधित समस्याएं पैदा हो जाती हैं। राज्यों, भारत सरकार तथा भारतीय खाद्य निगम को दो सप्ताह के अंदर जवाबी शपथ पत्र दाखिल कर देने चाहिए।

इस बीच हम आश्वस्त हैं कि उत्तरदायी सरकारें अपनी जनता के हित में काम करेंगी। अंतरिम आदेश के तौर पर हम राज्यों को निर्देश देते हैं कि वे देखें कि जन वितरण प्रणाली की सारी दुकानें, यदि वे बंद हैं तो, फिर खोली जाएं और

आज से एक सप्ताह के अंदर काम शुरू करें। उन्हें रसद की नियमित आपूर्ति की जाये। वादी को छूट दी जाती है कि इस याचिका में वह अन्य राज्यों को भी प्रतिवादी बनाये। यदि यह आवेदन आज दाखिल हो जाये तो इन राज्यों को नोटिस भेजी जाये। मामले को आगे विचार के लिए 20 अगस्त 2001 की सूची में डाला जाये।

भारत का सर्वोच्च न्यायालय

रिट याचिका (सी) न. 2001 की 196

पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज

बनाम

भारत संघ एवं अन्य

दिनांक 20.08.2001

पीठासीन न्यायाधीश :

1. मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बी.एन.किरपाल
2. जस्टिस एन.संतोष हेगड़े
3. जस्टिस बृजेश कुमार

आदेश

अदालत की चिन्ता यह देखना है कि गरीब लोग, दरिद्रजन तथा समाज के कमजोर वर्ग भूख और भुखमरी से पीड़ित न हों। इसे रोकना सरकार का एक प्रमुख दायित्व है, चाहे वह केन्द्र हो या राज्य। इसे सुनिश्चित करना नीति का विषय है, जिसे सरकार पर छोड़ दिया जाये तो बेहतर। अदालत को बस इससे सन्तुष्ट होना चाहिए और इसे सुनिश्चित भी करना पड़ सकता है कि जो अन्न भण्डारों में, खासकर भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में, भरा पड़ा है, वह समुद्र में डुबोकर या चूहों द्वारा खाया जाकर बर्बाद न किया जाये। इस मामले में भारत सरकार एक संक्षिप्त शपथ पत्र दाखिल कर सकती है। जिन अन्य राज्यों ने शपथ पत्र दाखिल नहीं किये, उन्हें 10 दिन के अन्दर शपथ पत्र दाखिल कर देने चाहिए।

भारत का सर्वोच्च न्यायालय

रिट याचिका (सी) न. 2001 की 196
पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज
बनाम
भारत संघ एवं अन्य
दिनांक 17.09.2001

पीठासीन न्यायाधीश :
माननीय न्यायाधीश जस्टिस बी.एन.किरपाल
माननीय अशोक भान

आदेश

3 सितम्बर, 2002 के न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में, एटॉर्नी जनरल के अनुसार, वे 16 राज्यों व केन्द्र शासित क्षेत्रों, जिन्होंने अन्त्योदय अन्य योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों का चिह्निकरण शुरू नहीं किया है, हम इस दिशा में कोई उचित कदम व प्रक्रिया शुरू करने को लेकर संतुष्ट नहीं हैं। कुछ राज्यों ने प्रक्रिया शुरू होने की बात कही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए, 16 राज्यों व केन्द्र शासित क्षेत्रों को पुनः एक मौका दिया जाता है कि वे तीन सप्ताह के अंदर केन्द्र सरकार के निर्देशों को लागू करें और अंत्योदय अन्य योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों की संख्या के बारे में केन्द्र सरकार को सूचित करें। 16 राज्यों व संघ शासित राज्यों द्वारा एटॉर्नी जनरल को सूचित किया जाय कि वे अगली सुनवाई पर न्यायालय को बताये कि आदेश लागू किया गया या नहीं।

आई.ए. संख्या/2001 में पेज संख्या 66–68 पर, केन्द्र सरकार को निर्धारित स्कीमों का राज्य सरकारों द्वारा लागू किया जाना जरूरी है। यह योजना है– रोजगार गारंटी योजना (जिसे सम्पूर्ण ग्रामीण योजना द्वारा बदला गया है), मिड डे मील योजना, समेकित बाल विकास सेवा, राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना (गरीबी रेखा के नीचे की महिलाओं को), 65 वर्ष से ऊपर के निराश्रित व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, अन्नपूर्णा योजना, अंत्योदय अन्न योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना एवं बीपीएल व एपीएल परिवारों के लिए

सार्वजनिक राशन वितरण प्रणाली। राज्यों व संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य सचिवों द्वारा कैबिनट सचिव व एटॉर्नी जनरल को इन योजनाओं को उसी तरह या फिर कुछ संशोधन के साथ सभी या कोई योजना के लागू करने की सूचना तीन सप्ताहों के भीतर प्रेषित करे, इसके साथ न लागू कर पाने का कारण भी प्रेषित करें।

केन्द्र सरकार तथ्यों को संकलित करे और उसके अनुसार इन योजनाओं को लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए निर्देश पारित करे। पांच सप्ताह के भीतर स्थिति–रपट न्यायालय में प्रस्तुत करे। स्थिति–रपट देने से पूर्व, विभिन्न योजनाओं के वास्तविक रूप से लागू होने के संबंध में प्रयास करे। इसी के साथ हम सभी राज्य सरकारों को निर्देश देते हैं कि केन्द्र सरकार द्वारा आबंटित खाद्यान्न को उठाएं और योजनाओं के अनुसार उसे वितरित करे।

अकालग्रस्त क्षेत्रों में काम के बदले अनाज योजना विभिन्न राज्यों द्वारा लागू किया जाय। अगली सुनवाई 5 नवम्बर, 2002 की होगी।

भारत का सर्वोच्च न्यायालय

रिट याचिका (सी) न. 2001 की 196
पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज
बनाम
भारत संघ एवं अन्य
दिनांक 28.11.2001

पीठासीन न्यायाधीश :

1. मुख्य न्यायाधीश
2. जस्टिस के.जी.बालाकृष्णन

आदेश

विभिन्न पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के बाद हम, अंतरिम व्यवस्था के तौर पर, निम्नलिखित निर्देश जारी करते हैं :

1. लक्ष्य आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टी.पी.डी.एस)

(i) भारतीय संघ का कहना है कि टीडीपीएस के संदर्भ में खाद्यान्न के आवंटन के मामले में पूर्ण अनुपालन हुआ है। फिर भी यदि कोई राज्य पूर्ण अनुपालन न होने की किसी विशेष घटना को प्रकाश में लाता है तो इस कार्यक्रम के दायरे में भारतीय संघ आवश्यक कार्रवाई करेगा।

(ii) राज्यों को निर्देश दिया जाता है कि वे 1 जनवरी, 2002 तक गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की शिनाख्त पूरी कर लें, राशन कार्ड जारी कर दें और प्रतिमाह प्रति परिवार 25 किलो खाद्यान्न का वितरण आरंभ कर दें।

(iii) दिल्ली सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि टीडीपीएस के आवेदन फॉर्म आसानी से उपलब्ध हैं तथा उन्हें प्राप्त करने और जमा करने के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा। दिल्ली सरकार शिकायतों

के त्वरित और प्रभावी निवारण के लिए एक प्रभावी व्यवस्था भी सुनिश्चित करेगी।

2. अन्त्योदय अन्न योजना

(i) भारतीय संघ का कहना है कि अन्त्योदय अन्न योजना के लिए खाद्यान्न के आवंटन के मामले में पूर्ण अनुपालन हुआ है। परन्तु यदि कोई राज्य पूर्ण अनुपालन न होने की कोई विशेष घटना प्रकाश में लाता है तो इस स्कीम के दायरे में भारतीय संघ आवश्यक कार्रवाई करेगा।

(ii) हम राज्यों और केन्द्र शासित क्षेत्रों को निर्देश देते हैं कि वे 1 जनवरी 2002 तक इस स्कीम के तहत लाभार्थियों की शिनाख्त, कार्ड जारी करने और अनाज के वितरण का काम पूरा कर दें।

(iii) यह प्रतीत होता है कि अन्त्योदय लाभार्थी अति निर्धनता के कारण अनाज उठाने में असमर्थ हो सकते हैं। ऐसे मामलों में केन्द्र, राज्यों और केन्द्र शासित क्षेत्रों से अनुरोध है कि वे अपनी पूर्ण संतुष्टि के बाद अनाज का कोटा निःशुल्क देने पर विचार करें।

3. मध्याह्न भोजन योजना (एम.डी.एम.एस.)

(i) भारतीय संघ का कहना है कि मध्याह्न भोजन योजना (एमडीएमएस) के मामले में पूर्ण अनुपालन हुआ है। परन्तु यदि कोई राज्य अनुपालन न होने की कोई विशेष घटना प्रकाश में लाता है तो भारतीय संघ इस स्कीम के दायरे में आवश्यक कदम उठायेगा।

(ii) हम राज्य सरकारों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को निर्देश देते हैं कि सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में हर बच्चे को तैयार किया हुआ मध्याह्न भोजन देकर मध्याह्न भोजन योजना क्रियान्वित करें। यह मध्याह्न भोजन कम से कम 300 कैलोरी और 8 से 12 ग्राम प्रोटीन वाला होना चाहिए तथा कम से कम 200 दिनों तक विद्यालय में प्रतिदिन देना चाहिए। जो सरकारें पके हुए भोजन के बदले सूखा राशन दे रही हैं, वे तीन महीने में सभी सरकार और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में कम से कम राज्य के आधे जिलों में (गरीबी

के क्रमानुसार) पका हुआ भोजन देना शुरू कर दें और अगले तीन महीनों में राज्य के शेष हिस्सों में पका हुआ भोजन देना शुरू कर दें।

(iii) हम भारतीय संघ और भारतीय खाद्य निगम को निर्देश देते हैं कि इस स्कीम के लिए वे समय पर औसत अच्छे किस्म का अनाज उपलब्ध करायें। राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों और भारतीय खाद्य निगम को निर्देश दिया जाता है कि वे खाद्यान्न का संयुक्त निरीक्षण करें। यदि संयुक्त निरीक्षण में खाद्यान्न औसत किस्म का नहीं पाया जाता तो उठाव के पहले उसे भारतीय खाद्य निगम बदल देगा।

4. राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (एनओएपीएस)

(i) भारतीय संघ का कहना है कि राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के मामले में पूर्ण अनुपालन हुआ है। परन्तु कोई राज्य अनुपालन न होने की कोई विशेष घटना प्रकाश में लाता है तो भारतीय केन्द्र इस स्कीम के दायरे में आवश्यक कार्रवाई करेगा।

(ii) राज्यों को निर्देश दिया जाता है कि वे 1 जनवरी, 2002 तक लाभार्थियों की पहचान कर लें और भुगतान करना शुरू कर दें।

(iii) हम राज्य सरकारों/केंन्द्र शासित क्षेत्रों को निर्देश देते हैं कि प्रतिमाह 7 तारीख तक भुगतान जरूर कर दिया करें।

5. अन्नपूर्णा योजना

राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को निर्देश दिया जाता है कि वे 1 जनवरी, 2002 तक लाभार्थियों की पहचान कर लें और अनाज वितरित कर दें।

6. समेकित बाल विकास सेवा (आईसीडीएस)

(i) हम राज्य सरकारों और केन्द्र शासित क्षेत्रों को निर्देश देते हैं कि समन्वित शिशु विकास योजना (आईसीडीएस) को पूरी तरह क्रियान्वित करें और सुनिश्चित करें कि देश में सभी आईसीडीएस वितरण केन्द्र निम्नलिखित उपलब्ध करायेंगे –

(क) छः वर्ष तक की उम्र के हर बच्चे को 300 कैलोरी 8–10 ग्राम प्रोटीन

(ख) हर किशोरी बालिका को 500 कैलोरी और 20–25 ग्राम प्रोटीन

(ग) हर गर्भवती महिला और दूध पिलाने वाली माँ को 500 कैलोरी और 20–25 ग्राम प्रोटीन

(घ) हर कुपोषित बच्चे को 600 कैलोरी और 16–20 ग्राम प्रोटीन

(ड़) राज्य सरकारें/केन्द्र शासित क्षेत्र सुनिश्चित करेंगे कि हर बस्ती में एक आईसीडीएस वितरण केन्द्र होगा।

(ii) भारतीय केन्द्र का कहना है कि इस स्कीम के तहत उसके दायित्वों को पूर्ण अनुपालन हुआ है। परन्तु कोई राज्य अनुपालन न होने की किसी विशेष घटना को प्रकाश में लाता है तो भारतीय केन्द्र इस स्कीम के दायरे में आवश्यक कार्रवाई करेगा।

7. राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना (एनएमबीएस)

(i) हम राज्य सरकारों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को निर्देश देते हैं कि गरीबी रेखा से नीचे की हर गर्भवती महिला के पहले दो प्रसवों में हर प्रसव के 8–12 सप्ताह पहले सरपंच के जरिये 500 रू का भुगतान कर राष्ट्रीय मातृत्व योजना (एनएमबीएस) को क्रियान्वित करें।

(ii) भारतीय केन्द्र का कहना है कि इस स्कीम के तहत उसके दायित्वों का पूर्ण अनुपालन हुआ है। परन्तु कोई राज्य अनुपालन न होने की किसी विशेष घटना को प्रकाश में लाता है तो भारतीय केन्द्र इस स्कीम के दायरे में आवश्यक कदम उठायेगा।

8. राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना

(i) हम राज्य सरकारों और केन्द्र शासित क्षेत्रों को निर्देश देते हैं कि राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना को क्रियान्वित करें और 4 सप्ताह के अन्दर स्थानीय सरपंच के जरिये गरीबी रेखा से नीचे के प्रत्येक परिवार को उसके मुख्य कमाऊ व्यक्ति की मृत्यु की हालत में 10,000 रू का भुगतान करें।

9. हम निर्देश देते हैं कि इस आदेश की प्रति को प्रादेशिक भाषाओं और अंग्रेजी में सम्बद्ध राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र सभी ग्राम पंचायतों, सरकारी विद्यालय भवनों और उचित मूल्य की दुकानों पर चस्पां करें।

10. लाभार्थियों के चयन में पारदर्शिता तथा योजनाओं तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए ग्राम पंचायतें विभिन्न योजनाओं के तहत् लाभार्थियों की सूची भी प्रदर्शित करेंगी। योजनाओं की प्रतियाँ और लाभार्थियों की सूची की प्रतियाँ ग्राम पंचायतें नागरिकों को निरीक्षण के लिए उपलब्ध करायेगी।

11. हम दूरदर्शन एवं आकाशवाणी को निर्देश देते हैं कि विभिन्न योजनाओं और इस आदेश का पर्याप्त प्रचार--प्रसार करें। हम हर राज्य और केन्द्र शासित क्षेत्र के मुख्य सचिवों को निर्देश देते हैं कि इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करें। अनुपालन की सूचना भी इस अदालत में आज के 8 सप्ताह के अन्दर शपथ पत्र दाखिल करके दें, जिसकी प्रतियाँ महाधिवक्ता और याचिकाकर्ता के वकील को भेजी जाएं।

हम भारतीय केन्द्र को यह छूट देते हैं कि इस न्यायालय के 21 नवम्बर, 2001 के आदेश के संबंध में शपथ पत्र दाखिल कर सके।

इस मामले को आगे और आदेशों के लिए 11 फरवरी, 2002 के लिए सूचीबद्ध किया जाय। इस बीच पक्षों को यह छूट दी जाती है कि वे और निर्देशों के लिए चाहें तो आवेदन करें।

भारत का सर्वोच्च न्यायालय

रिट याचिका (सी) न. 2001 की 196
पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज
बनाम
भारत संघ एवं अन्य
दिनांक 08 मई 2002

पीठासीन न्यायाधीश :

1. मुख्य न्यायाधीश
2. जस्टिस अरिजित पसायत
3. जस्टिस एच.के.सेमा

विभिन्न पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के बाद हम निम्नलिखित निर्देश जारी करते हैं:-

(क) उपयोगी सामुदायिक परिसम्पत्तियाँ, जिनमें टिकाऊ और लाभकारी रोजगार पैदा करने की क्षमता है, जैसे जल या भू–संरक्षण, वनीकरण और कृषि–वानस्पतिकी, चारागार, लघु सिंचाई और सम्पर्क सड़कें, सृजित करने के सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के दिशा–निर्देशों के अनुरूप ग्राम पंचायतें रोजगार पैदा करने के प्रस्ताव बनायेंगी। इस प्रस्तावों को ग्राम पंचायतें तुरन्त अनुमति और स्वीकृति देकर काम शुरू करेंगी।

(ख) सभी वादी सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना कार्यक्रमों को खेत मजदूरों, अकृषि व अकुशल मजदूरों, सीमांत किसानों और खासकर उन अनुसूचित जाति/जनजाति व्यक्तियों पर केन्द्रित करेगी जिनकी मजदूरी से आय उनकी घरेलू आय का एक अच्छा हिस्सा है। इन्हें रोजगार में प्राथमिकता दी जाये और इस क्षेत्र के अंतर्गत महिलाओं का प्राथमिकता दी जाये।

(ग) सभी वादी साप्ताहिक आधार पर मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करायें।

(घ) सभी वादी सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में ठेकेदारों का उपयोग वर्जित करें।

(ड़) यदि राज्य सरकारें सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के तहत निर्धारित शर्तें

पूरी करें तो केन्द्र सरकार हर राज्य सरकार को रोजगार पैदा करने के विभिन्न कार्यक्रमों के तहत धन समय पर जारी करेगी। राज्य सरकारों को निर्देश दिया जाता है कि वे शर्तें पूरी करें और सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना को शीघ्रता से लागू करें। राज्य सरकार उपयोग प्रमाण पत्र मुहैया करायेगी और इसे मुहैया कराने पर ही आगे की राशि जारी की जायेगी। उपलब्ध करायी गयी राशि सम्पूर्ण रोजगार योजना कार्यक्रमों में इस्तेमाल की जायेगी।

(च) सभी खाद्य/रोजगार कार्यक्रमों के सामाजिक अंकेक्षण और कोष के दुरूपयोग के हर मामले को अधिकारियों को सूचित करने का ग्राम सभाओं को अधिकार है। ये शिकायतें प्राप्त होने पर सम्बद्ध अधिकारी उनकी जांच कर कानून के अनुरूप उचित कार्रवाई करेंगे।

(छ) इस अदालत में आदेशों के उल्लंघन के बारे में जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी/कलेक्टर को शिकायत करने पर सम्बद्ध मुख्य कार्यकारी अधिकारी/कलेक्टर इस शिकायत के प्रमुख तत्वों को एक बही में दर्ज करेगा जो इसी उद्देश्य से रखी जायेगी। वह इस शिकायत की रसीद भी देगा और इस अदालत के आदेश का अविलंब पालन सुनिश्चित करेगा।

(ज) इस आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के सभी जिलों में मुख्य कार्यकारी अधिकारी/कलेक्टर कार्यक्रम लागू करने वाली उन सभी एजेन्सियों का कामकाज पर नजर रखेंगे, जो उनके अधिकार के क्षेत्र में आती हैं। इसकी रिपोर्ट वे मुख्य सचिव को देंगे।

(झ) इस अदालत का आदेश लागू कराने की जिम्मेदारी मुख्य कार्यकारी/अधिकारी कलेक्टर पर होगी। मुख्य सचिव इस अदालत के आदेश का पालन सुनिश्चित करेंगे।

(ञ) उपर्युक्त शिकायत निवारण प्रक्रिया के बावजूद कोई शिकायत रह गयी तो उसे देखने के लिए भारत सरकार पूर्व योजना सचिव डॉ. एन.सी. सक्सेना और भारत सरकार के पूर्व ग्रामीण विकास सचिव श्री एस.आर. शंकरण इस अदालत के आयुक्त के तौर पर काम करेंगे।

(ट) ये आयुक्त अदालत के आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए यदि

कोई सुझाव देंगे तो राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासन इन सुझावों पर अविलम्ब कार्रवाई कर आदेश पालन की सूचना देगी।

(ठ) इन आयुक्तों को छूट होगी कि वे राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों में व्यक्तियों और विश्वसनीय संगठनों की सहायता लें। सभी अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि वे इन व्यक्तियों/संगठनों के साथ, इस अदालत के आदेश पर अमल तथा उसकी प्रभावकारी निगरानी के लिए, पूर्ण सहयोग करें।

(ड़) ग्राम सभाओं को विभिन्न कार्यक्रमों पर अमल को मोनिटर करने का अधिकार दिया जाता है। इसके लिए उन्हें लाभार्थियों के चयन तथा लाभों के वितरण संबंधी सभी सूचनाएं उपलब्ध करायी जायेंगी। ग्राम सभाएं अपनी शिकायतें उपयुक्त प्रक्रिया के तहत उठायेंगी और इन शिकायतों का निपटारा इस प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

(ढ) वादी के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों का चयन सही ढंग से नहीं हो रहा है और इन परिवारों के चयन के लिए नियम न तो स्पष्ट हैं और न ही एकरूप। केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश दिया जाता है कि वे गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों के सही चयन के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश बनायें।

(ण) प्रतिवादीगण सुनिश्चित करेंगे कि राशन दुकानें पूरे महीने निश्चित घंटों में खुली रहेंगी। इसका ब्यौरा सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किया जायेगा।

बारह सप्ताह बाद आगे निर्देश के लिए फिर पेश किया जाये।

भारत का सर्वोच्च न्यायालय

रिट याचिका (सी) न. 2001 की 196
पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज
बनाम
भारत संघ एवं अन्य
दिनांक 29.10.2002

पीठासीन न्यायाधीश :

1. मुख्य न्यायाधीश
2. जस्टिस वाई.के. सबरवाल
3. जस्टिस अरिजित पसायत

आदेश

दिनांक 8 मई 2002 को इस न्यायालय ने गरीबों, कुपोषित एवं बुभुक्षितों को राहत देने के लिए चालू की गई विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के संदर्भ में विस्तार के साथ निर्देश जारी किए थे। इस आदेश में डा. एनसी सक्सेना और एसआर शंकरण को अदालत के कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया था, ताकि 8 मई के आदेशों को पालन करने के संदर्भ में आने वाली दिक्कतों को देखा जा सके। डा. सक्सेना ने अपनी पहली रिपोर्ट 12 अक्टूबर 2002 को पेश की है। इस रिपोर्ट में राजस्थान में अनाज की जरूरत का भी संदर्भ शामिल है। हम इस संदर्भ पर चर्चा नहीं करेंगे लेकिन अपनी इस रिपोर्ट में कमिश्नरों ने जिन निर्देशों की अपेक्षा की है, उन पर विचार करने की जरूरत है।

हमने विद्वान अटार्नी जनरल, श्री कोलिन गोन्जालविस और डॉ. ए.एन. सिंघवी के पक्षों को सुना और अब अपने 8 मई 2002 के आदेश के ही संदर्भ में कुछ अतिरिक्त निर्देश प्रसारित करते हैं।

- सभी राज्यों के मुख्य सचिवों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को निर्देश दिया जाता है कि वे कमिश्नरों द्वारा उन्हें सम्बोधित किए गए पत्र व्यवहार का त्तपरता के साथ जबाव दें और जितनी भी जानकारियाँ चाही गई है, उन्हें प्रदान करें।

- अगर अब न्यायालय के आदेशों को मनवाने में हीला हवाली की गयी तो इसके लिए राज्यों के मुख्य सचिव और केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासक जिम्मेदार होंगे।
- मुख्य सचिवों या प्रशासकों को यह आखिरी मौका है कि वे न्यायालय के 28 नवम्बर 2001 तथा 8 मई 2002 के आदेशों को अनुवादित कराकर प्रमुखता के साथ उनका सभी ग्राम पंचायतों, स्कूल भवनों तथा राशन दुकानों पर स्थायी तरीके से प्रदर्शन करें। रेडियो और दूरदर्शन से भी उनका खूब प्रचार कराया जाय। यह काम आठ सप्ताह के भीतर हो जाना चाहिए।
- यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि अदालत द्वारा नियुक्त कमिश्नरों का काम है कि वे अदालत के आदेशों के क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग करने के साथ ही विभिन्न कल्याणकारी उपायों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति से अदालत को अवगत कराते रहें।
- संबंधित राज्य सरकारों का दायित्व है कि वे कमिश्नरों के सहयोग के लिए सरकारी अधिकारियों को सहायक के रूप में नियुक्त करें। यह काम भी आठ सप्ताह के भीतर हो जाना चाहिए। इन सहायकों की नियुक्ति राज्यों के मुख्य सचिव एवं केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासक डा. एनसी सक्सेना के परामर्श के तहत करेंगे। जो भी सहायक नियुक्त किए जाएंगे उनका दायित्व होगा कि वे कमिश्नरों को दिए गए दायित्व के निर्वहन में यथावांछित सहयोग करें।
- सरकारी योजनाएं सही ढंग से लागू हों, इसके लिए भारत सरकार और राज्य सरकारें अपने–अपने स्तर पर नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करें। कमिश्नरों के सहयोग के लिए नियुक्त सहायक (असिस्टेन्ट) इन नोडल अधिकारियों के लगातार संपर्क में रहेंगे तथा नोडल अधिकारी कमिश्नरों को जरूरी दस्तावेज और सूचनाएं उपलब्ध कराने का काम देखेंगे।
- जब भी केन्द्र या राज्य सरकार अनाज संकट को लेकर बैठक करे तो अच्छा होगा यदि इनमें कमिश्नरों या उनकी अनुपस्थिति में सहयोगियों को भी बुलाया जाए।

- प्रत्येक राज्य सरकार और केन्द्र सरकार की ड्यूटी है कि वे भूख या कुपोषण से होने वाली मौतों की रोकथाम करें। अगर कमिश्नर ऐसी कोई रिपोर्ट देता है और न्यायालय को भी लगता है कि वाकई में कोई भूख से मरा है तो माना जाएगा कि आदेशों का पालन नहीं हो रहा तथा इसके लिए राज्यों के मुख्य सचिव तथा केन्द्रशासित प्रदेशों के प्रशासक को जिम्मेदार माना जाएगा।

हम अपने 8 मई 2002 के आदेश को पुनर्घोषित करते हुए संबंधित पक्षों को निर्देश देते हैं कि वे इन आदेशों का पालन करें और खासतौर से भारत सरकार को चाहिए कि वह जनसंख्या के असहाय वर्ग को अन्त्योदय अन्न योजना के तहत दिए जा रहे लाभ की योजना का विस्तार करे। भारत सरकार अदालत द्वारा नियुक्त कमिश्नरों को समुचित कोष मुहैया कराए ताकि वे अपने दायित्वों का निर्वहन कर सके। कमिश्नरों की अगली रिपोर्ट की प्रतीक्षित देखते हुए अगले आदेशों के लिए चार माह बाद जारी किए जाएंगे। ये आदेश वह पीठ जारी करेगी जिसमें जस्टिस वाई.के. सबरवाल भी सदस्य होंगे।

भारत का सर्वोच्च न्यायालय

रिट याचिका (सी) न. 2001 की 196
पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज
बनाम
भारत संघ एवं अन्य
दिनांक 02.05.2003

पीठासीन न्यायाधीश :
माननीय न्यायमूर्ति वाई.के.सबरवाल,
माननीय न्यायमूर्ति डॉ. एच.के.सोमा

आदेश

यह याचिका जो दो साल पहले सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी, बहुत से ऐसे मुद्दे उठाती है, जिनका गरीब लोगों पर, उनके जीने के अधिकार पर तथा उनके भोजन के अधिकार के मामले में सीधा और महत्वपूर्ण असर हो सकता है। खासकर उन लोगों पर जो अपने परिवार के लिए बमुश्किल दो वक्त की रोटी जुटा पाते हैं। इन व्यक्तियों की हालत अकाल और सूखे के दिनों में और भी ज्यादा खराब हो जाती है। याचिकाकर्ताओं ने यह मांग की है कि अकाल कोड को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए यह कोर्ट दिशा–निर्देश दे। याचिकाकर्ताओं की मांग है कि केन्द्र सरकार के गोदामों में भरे पड़े अतिरिक्त अनाज को तुरंत सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में उपलब्ध करवाया जाए। साथ ही कोर्ट सरकार को सार्वजनिक वितरण व्यवस्था को प्रभावी व वैज्ञानिक बनाने के लिए नई स्कीम तैयार करने की बाबत निर्देश दें। संक्षेप में केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा सूखा के दिनों में व्यक्तियों को बिना देरी के तुरंत और असरकारक मदद उपलब्ध करवाने के मकसद से याचिकाकर्ता ने कई आवेदन कोर्ट में दाखिल किये हैं। इस विषय के महत्व को देखते हुए, खासकर उन व्यक्तियों के संदर्भ में, जो गरीबी रेखा के नीचे जिंदगी बिता रहे हैं, कोर्ट ने 3 मार्च, 2003 को यह आदेश दिया था कि संबधित पक्ष (यानि सरकार) आवेदनों को जवाब दे और कोर्ट के सामने आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करे जिन पर सुनवाई 8 अप्रैल को होगी। कोर्ट के इस आदेश के जवाब में, जिसमें केन्द्र सरकार को अन्त्योदय

अन्न योजना के लाभों को समाज के वंचित वर्ग तक पहुंचाने के संबंध में स्कीम बनाने को कहा गया था, भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल ने 3 मार्च को सूचित किया कि वर्ष 2003–2004 के बजट में इस संबंध में आवश्यक प्रावधान कर दिया गया है। लेकिन कोर्ट के आदेश के बावजूद इस संबंध में चाहे गए दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। सरकार का रवैया मामले में अत्यधिक निराशाजनक है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि 8 अप्रैल, 2003 को जब से यह मामला कोर्ट में आया, आज के दिन तक ना तो मांगे गए दस्तावेज कोर्ट को सौंपे गए हैं और न ही इस मामले के किसी भी पहलू पर, जैसा कि कोर्ट के पूर्व आदेश में कहा गया था, सरकार ने कोई कार्यवाही की है। आई.ए. 25 में यह कहा गया है कि जानबूझकर बीपीएल सूची में से कई व्यक्तियों के नाम हटा दिये गए हैं। आई.ए. 26 में यह मुद्दा उठाया गया है कि किसी भी बी.पी. एल. परिवार द्वारा की गई मजदूरी की एवज में उसे दिये जाने वाले 10 किलो अनाज की निर्धारित मात्रा को भी घटाकर 5 किलो प्रति परिवार कर दिया जाए, यह सिफारिश की गई है।

आखिरी आदेश के संबंध में कोर्ट से खासतौर पर आदेश लिया जाना जरूरी था। इस संदर्भ में दिए गये आदेश में केन्द्र सरकार से 20 लाख टन अनाज प्रतिवर्ष बिना मूल्य के काम के बदले अनाज कार्यक्रम के तहत राज्यों को उपलब्ध करवाने को कहा गया था जो कि सरकार द्वारा दी जा रही अन्य राहतों के अतिरिक्त होगा। इस संबंध में सरकार से तीन सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा गया था।

अब सरकार द्वारा जवाब दाखिल करने की अवधि बढ़ाने के अनुरोध को स्वीकार करते हुए कोर्ट यह आदेश जारी कर रहा है। चूंकि कुछ निर्देश बिना देरी किये देने की जरूरत है ताकि उन व्यक्तियों को अंतरिम राहत दी जा सके, जो हमारी सहानुभूति के हकदार हैं। हम याचिकाकर्ताओं के वकील कोलिन गोंजालविस, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल मुकुल रस्तोगी व बिहार राज्य से श्री बी.बी. सिंह, उत्तर प्रदेश के अशोक श्रीवास्तव व सुश्री इंदिरा साहनी, भारतीय खाद्य निगम का पक्ष सुन चुके हैं।

इस कोर्ट ने पिछले दो वर्षों में भी अपने विभिन्न आदेशों में इस मामले पर गहरी चिंता जाहिर की है। एक आदेश में कोर्ट ने यह कहा कि बूढ़े व लाचार

व्यक्तियों, विकलांगों, बेसहारा महिलाओं व बूढ़े पुरुषों, जो कि भुखमरी के कगार पर हों, गर्भवती महिलाओं व बच्चों को दूध पिलाने वाली माताओं तथा बेसहारा बच्चों को भोजन उपलब्ध हो, यह सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। खासकर उन मामलों में जहां उनके पास या उनके परिवार के पास इतना भोजन उपलब्ध नहीं है कि उन्हें पर्याप्त भोजन मिल सके। अकाल के समय में खाने की कमी हो सकती है, लेकिन यहां वास्तविक स्थिति यह है कि काफी मात्रा में भोजन उपलब्ध है, पर उसका विवरण बहुत गरीब व बेसहारा लोगों के मामलों में यह तो बहुत कम हैं या बिल्कुल ना के बराबर है। इसकी वजह से कुपोषण, भुखमरी व इनसे जुड़ी दूसरी समस्याएं पैदा हो रही हैं। कोर्ट की मुख्य चिंता यह है कि समाज का कमजोर तबका भुखमरी से त्रस्त न हो। लोगों को भूख से बचाना केन्द्र व राज्य सरकार दोनों की मुख्य जिम्मेदारी है। केवल योजना बना देना, जिनका क्रियान्वयन न हो, किसी काम का नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि भोजन भूखे तक पहुंचे।

संविधान के 21 वें अनुच्छेद में हर नागरिक को "मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार" दिया गया है। क्या वे परिवार जो गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं, अपने जीने के लिए सही किस्म की योजनाओं और उनके क्रियान्वयन की कमी में संविधान में दिए गए इस अधिकार से वंचित नहीं हैं ? क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि इन्हें जरूरी मदद दी जाए ताकि ये जी सकें। इसी संदर्भ में संविधान के अनुच्छेद 47 का हवाला भी दिया जा सकता है जिसमें यह कहा गया है कि अपने नागरिकों के पोषण स्तर को उंचा उठाना, उनके जीवन स्तर को बढ़ाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी होगी।

उपरोक्त दोनों अनुच्छेदों को मद्देनजर रखते हुए हमारा यह मानना है कि मई, जून व जुलाई, 2003 के लिए कुछ निर्देश इस कोर्ट द्वारा दिये जाने चाहिए ताकि जिन्हें तुरंत राहत व मदद की जरूरत है, उन्हें राहत दी जा सके। हमारा ध्यान अकाल कोड बिल की तरफ दिलाया गया है जिसे राजस्थान सरकार ने बनाया है। इसी प्रकार के कोड दूसरे राज्यों द्वारा भी बनाए गए हैं। इस कोड बिल के पहले तीन अध्यायों में उन कदमों के बारे में लिखा गया है जो सरकार द्वारा अकाल व सूखे की स्थिति में शुरू किये जाने वाले राहत कार्यों व इनके लिए जिम्मेदार अधिकारियों का ब्यौरा दिया गया है।

इस याचिका में मांगी गई राहतों में से एक राहत यह भी है कि अकाल कोड को तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने इस संबंध में सरकार की ओर से दिए गए जवाब में यह बताया है कि अकाल पहलुओं का सरकार की विभिन्न योजनाओं खासकर "सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना" में शामिल कर लिया गया है व इससे मौजूदा समय के लिए अकाल कोड को लागू करने में कोई समस्या नहीं होगी। वर्तमान परिस्थितियों में मई, जून व जुलाई 2003 की अवधि के लिए जब, जहां व जैसे जरूरी हो, कोर्ट का आदेश है कि फेमिन कोड को लागू किया जाय। यदि कोई ऐसी स्थिति हो कि जिसमें अकाल कोड में उल्लिखित बचाव व राहत उपायों से बेहतर बचाव व राहत के तरीके उसके बाद की योजनाओं में दिये गए हों तो अकाल कोड की बजाय उन्हें लागू किया जाए।

अगला पहलू "काम के बदले अनाज" के अधिकार से जुड़ा है। हमने भारत सरकार की रोजगार गारंटी को ध्यान से पढ़ा है। लेकिन याचिकाकर्ता के वकील का कहना है कि सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में राहत उपायों को बेहतर बनाने की बजाय उन्हें कम कर दिया गया है। सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को 4500 करोड़ रुपये व 5 मिलियन टन अनाज उपलब्ध कराने की बात कही गई है। यह भी बताया गया है कि रोजगार गारंटी योजना में गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवार के एक सदस्य को 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है जबकि संपूर्ण अनाज रोजगार योजना में यह अवधि 10 दिन (राज्य सरकारों के हिसाब से) ही रखी गई है। हमारा ध्यान "दीर्घावधि अनाज नीति रोजगार 2002" के संबंध में बनाई गई उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट की तरफ भी दिलाया गया है। इसके संदर्भ में आई.ए. 25 में काफी विस्तार से लिखा गया है। यह समिति खाद्य व सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले तथा खाद्य व सार्वजनिक वितरण व्यवस्था मंत्रालय द्वारा गठित की गई थी। अपनी सिफारिशों में समिति ने यह साफ तौर पर कहा है कि इस संदर्भ में सार्वजनिक कार्यों में लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाना सामाजिक सुरक्षा का सबसे कारगर तरीका है।

यद्यपि भोजन की उपलब्धता इस प्रकार की रोजगार उपार्जन योजनाओं का एक हिस्सा हो सकता है जिससे छोटी अवधि में यह बड़ी अवधि में खाने की

कमी के समय में लोगों को मदद पहंचाई जा सके। लेकिन "भोजन वितरण की व्यवस्था" व लोगों को रोजगार मुहैया करवाना इन दोनों जिम्मेदारियों को अलग–अलग करके देखा जाना चाहिए। इसके बावजूद किसी भी रूप में भूख व कुपोषण को दूर करने में रोजगार व आय उपार्जन के महत्व को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। इस रिपोर्ट में दो साल की एक कार्य योजना भी दी गई है, जिसमें बड़े स्तर पर काम के बदले अनाज कार्यक्रम शुरू करके, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था का प्रभाव दूसरी अनाज आधारित योजनाएं शुरू करके जरूरतमंद व्यक्तियों का काम व अनाज मुहैया करवाया जा सकता है। इसमें छोटी अवधि के लिए अनाज आधारित एक बड़ा रोजगार कार्यक्रम चलाने की भी सिफारिश की गई है। कुल मिलाकर अपनी सिफारिशों में समिति ने खासतौर पर कहा है कि वर्तमान संपूर्ण अनाज रोजगार योजना का भी विस्तार किया जाना चाहिए व इसमें लिखी गई 5 मिलियन टन अनाज केन्द्र द्वारा राज्य सरकारों को उपलब्ध करवाने की सीमा को बढ़ाकर 10 मिलियन टन कर देना चाहिए। साथ ही, राज्यों को दी जाने वाली नकद सहायता भी बढ़ाकर कम से कम 5,000 करोड़ कर दी जानी चाहिए।

याचिकाकर्ताओं की प्रार्थना है कि 20 मिलियन टन अनाज तुरंत उपलब्ध करवाया जाए, यद्यपि जरूरत 40 मिलियन टन की है। इस संबंध में सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति गठित की थी। इस समिति ने जुलाई 2002 में अपनी रिपोर्ट दी। तब से दस महीने गुजर चुके हैं। हम नहीं जानते कि इस रिपोर्ट पर सरकार ने कितना ध्यान दिया है। रिपोर्ट में यह भी उल्लिखित है कि अभी भोजन अनुदान के रूप में दी जा रही राशि का आधा हिस्सा उन अनाज के भंडारण में खर्च किया जा रहा है, जो कि खाद्य सुरक्षा के लिए जरूरी अनाज भंडारण की सीमा को बनाए रखने के लिए जरूरी है। अगर ये स्टॉक सामान्य स्तर तक कर दिया जाए, तो बहुत अच्छी खासी रकम (अंदाजन 10,000 करोड़ रुपये वार्षिक) अकाल राहत के लिए उपलब्ध हो सकती है।

यह कोर्ट सरकार को यह आदेश देता है कि 8 अगस्त, 2003 तक वह यह सूचित करे कि उपरोक्त रिपोर्ट पर सरकार ने क्या निर्णय लिये। साथ ही मई, जून व जुलाई महीने के लिए जैसा कि सिफारिश की गई है, मौजूदा संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के प्रावधानों को दुगुना कर दिया जाए। राज्य सरकारों

को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस स्कीम के तहत उन्हें जो सुविधाएं अनाज या नकद सहायता के रूप में केन्द्र द्वारा दी जाती है, वे उन्हें लें तथा उनका लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचे, यह सुनिश्चित करें। केन्द्र सरकार द्वारा दाखिल किये गये जवाब को ध्यान में रखते हुए कोर्ट का यह फैसला है कि संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के तहत राज्यों को दी जाने वाली सहायता को अन्यथा दुगुना करने की जरूरत नहीं है।

यह भी जरूरी है कि तुरन्त यह निर्देश जारी किए जाए कि सरकार ऐसी व्यवस्था बनाए जिससे वे परिवार जो कि बीपीएल सूची में आने चाहिए, चाहे वे उस सूची में हो या नहीं, उन्हें उस सूची में जोड़ा जाए व राशन की दुकानों व अन्य दुकानों पर उन परिवारों के हिस्से का अनाज इन्हें उपलब्ध हों। अभी हम इस सवाल पर नहीं जाना चाहते कि केवल 41 प्रतिशत निर्धनतम परिवारों के नाम ही बीपीएल सूची में दर्ज हैं। हम याद दिलाना चाहेंगे कि पिछले साल मई में यह आदेश दिया गया था कि राशन की दुकानें पूरे महीने कुछ निर्धारित घंटों के दौरान खुले व इसकी सूचना नोटिस बोर्ड पर जन सामान्य को दी जाए।

अनाज के वितरण के लिए हम निम्न निर्देश दे रहे हैं –

1. राशन की दुकानों के वे संचालनकर्ता –
   (क) जो अपनी दुकानें पूरे माह निर्धारित समय तक न खोलते हों
   (ख) गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों को उनके लिए निर्धारित दरों पर अनाज उपलब्ध न करवाते हों।
   (ग) बीपीएल परिवारों के कार्ड अपने पास रखते हों।
   (घ) बीपीएल कार्ड में गलत सूचनाएं भरते हों।
   (ड़) राशन के अनाज को खुले बाजार में बेचते हों या उन व्यक्तियों को बेच देते हों जो बीपीएल सूची के बाहर हों और राशन की दुकानों दूसरे व्यक्तियों/संस्थाओं को चलाने के लिए देते हों।

   उनका लाईसेंस तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया जाना चाहिए। संबंधित अधिकारी इस संबंध में कोई ढिलाई नहीं देंगे।
2. गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों को अपने हिस्से का अनाज किस्तों में खरीदने की अनुमति होगी।

3. इस आदेश को बड़े स्तर पर प्रसारित किया जाए ताकि बीपीएल परिवार 'अनाज' के अपने अधिकार के बारे में जान सकें।

23 जुलाई, 2001 के आदेश में गरीब, लाचार व विकलांग व्यक्तियों के लिए भोजन उपलब्ध करवाने के बारे में जा कहा गया था, उसे भी यहां लिखा जा रहा है। याचिकाकर्ता के अनुसार लगभग 15 करोड़ व्यक्ति अन्त्योदय अन्न योजना कार्ड के हकदार हैं। भारत को निर्देशित किया जाता है कि वे निम्न श्रेणियों के व्यक्तियों को भी अन्त्योदय अन्न योजना में शामिल करें –

1. बूढ़े, लाचार, विकलांग, बेसहारा पुरूष व महिलाएं, गर्भवती महिलाएं व बच्चों को दूध पिलाने वाली माताएं
2. विधवा व वे एकल महिलाएं जिनका कोई सहारा नहीं है
3. 60 साल व उससे ऊपर के व्यक्ति जो बेसहारा हैं व जिनके पास आजीविका का कोई नियमित जरिया नहीं है
4. वे परिवार जिनमें कोई विकलांग व्यक्ति है
5. ऐसा परिवार जहां वृद्धावस्था, शारीरिक व मानसिक बीमारी, सामाजिक रीति–रिवाजों, विकलांग व्यक्ति को देखभाल तथा अन्य किन्हीं वजहों से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हो जो घर के बाहर कमाई के लिए जा सके।

6. आदिम (Primitive) जनजातियां

उसके अलावा, ऊपर हमने बीपीएल कार्ड धारकों को अनाज की प्रभावी वितरण के संदर्भ में जो बातें कहीं, वे सभी उन पर भी लागू होंगी, जो अन्त्योदय अन्न योजना में शामिल हैं।

मध्याह्न भोजन के संबंध में 28 नवम्बर, 2001 के अपने आदेश में इस कोर्ट ने राज्य सरकारों व केन्द्र शासित प्रदेशों को निर्देशित किया था कि वह कम से 200 दिनों तक प्रत्येक सरकारी सहायता से चलने वाले प्राथमिक स्कूलों में हर बच्चे को कम से 300 कैलोरी व 8–12 ग्राम प्रोटीन युक्त भोजन उपलब्ध करवायें। यह भी कहा गया था कि वे सरकारें जो कि पके हुए खाने की

बजाय कच्चा अनाज बच्चों को दिलवा रही हैं, वे इस आदेश के जारी होने के तीन महीनों के भीतर अपने राज्य के आधे जिलों के सभी सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों को पके हुए भोजन को देना शुरू कर देंगी व इस अवधि के तीन महीने के भीतर बचे हुए जिलों में भी पका हुआ भोजन देने का प्रावधान लागू हो जाएगा। कुछ सरकारें इस आदेश के पालन में विद्यार्थियों को पका हुआ भोजन दे रही हैं। लेकिन हमें कहा गया है कि डेढ़ साल गुजर जाने के बाद भी कुछ राज्यों में इस दिशा में शुरूआत भी नहीं हुई है। इस मामले में बिहार, झारखण्ड व उत्तर प्रदेश का नाम खासतौर पर सामने आया है। इन तीनों राज्यों में अभी यह काम शुरू भी नहीं हुआ जबकि कुछ राज्य पकाए हुए भोजन के वितरण के आदेश की पूरी तरह पालन कर रहे हैं। झारखंड व उत्तर प्रदेश के वकील कोर्ट के आदेश को लागू न कर पाने की कोई संतोषजनक वजह नहीं बता सके। इन राज्यों ने कोई शपथ–पत्र या जवाब भी नहीं दिया। बिहार के वकील बी.बी. सिंह ने बिहार सरकार के राहत व पुनर्वास विभाग के सचिव व राहत कमिश्नर के हवाले से यह सूचना दी है कि बिहार सरकार प्रायोगिक रूप से इस योजना को पंचायतों के माध्यम से कुछ ब्लाकों में लागू करने का विचार कर रही है। अभी तक यह आदेश लागू न हो पाने की दो वजह बताई गई है –

पहली, कच्चे अनाज को पके हुए भोजन में तब्दील करने पर आने वाले खर्च की व्यवस्था के संबंध में फैसला न हो पाना व दूसरी, पंचायती राज संस्थाओं द्वारा बच्चों की पढ़ाई के साथ समझौता किये बिना सभी ''योग्य'' विद्यार्थियों को नियमित रूप से पका हुआ खाना उपलब्ध करवाने की क्षमता बढ़ाने में हुई देरी।

इससे अस्पष्ट जवाब नहीं हो सकता। मसलन, जब वे इस योजना को लागू करना चाहते हैं तो कितने जिलों में लागू करेंगे, इसके लिए क्या योजना बनाई गई है यह सारा ब्यौरा भी सरकार की ओर से दिये गए जवाब में नहीं दिया गया है। हमें बताया गया है कि बिहार में 38 जिले हैं। अतः हम सरकार को यह आदेश देते हैं कि तुरन्त कम से कम 10 जिलों में, जो कि सरकार के हिसाब से सबसे गरीब हों, उपरोक्त स्कीम को कोर्ट के निर्देशानुसार लागू करें। इसी प्रकार उत्तरप्रदेश, झारखंड व अन्य राज्यों को भी निर्देशित किया जाता है कि वे अपने हिसाब से सबसे गरीब कम से कम 25 प्रतिशत जिलों में इस योजना को लागू करें।

8 मई, 2002 के आदेश के जरिए डॉ. एन सी सक्सेना, पूर्व नियोजन सचिव, भारत सरकार व श्री एस.आर, शंकरण, पूर्व सचिव, ग्रामीण विकास, भारत सरकार को इस कोर्ट के कमिश्नरों के तौर पर नियुक्त किया गया था। इनसे अपेक्षा थी कि वे इस मामले में शिकायतों के निबटारे की प्रक्रिया पूरी होने के बाद यह देखेंगे कि कोई ऐसा मुद्दा तो शेष नहीं रहा जिस पर कार्यवाही होना शेष हो। बाद के आदेशों में सरकार को यह कहा गया था कि वे इन दोनों कमिश्नरों को उनकी जिम्मेदारियों को निभाने में सहयोग करें। श्री शंकरण ने पूर्व में सरकार को पत्र लिखकर अपनी खराब सेहत की वजह से कमिश्नर के रूप में काम करने में असमर्थता व्यक्त की थी। श्री गोंजालविस (याचिकाकर्ता के वकील) ने कहा कि शंकरण से अनुरोध करते हैं कि वे डा. सक्सेना के साथ कमिश्नर के रूप में काम शुरू करें, जिसके संबंध में पहले ही आदेश दिया जा चुका है।

इस आदेश की प्रतियां सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को भेजी जाएं। राज्य सरकारों व केन्द्र शासित प्रदेशों को निर्देशित किया जाता है कि वे इन आदेशों की पालन के संदर्भ में की गई कार्यवाही से कोर्ट को शपथ–पत्र के जरिये सूचित करें। यह शपथ–पत्र 8 अगस्त, 2003 या उससे पूर्व दाखिल करेगी। इस मामले में आगामी सुरवाई दिनांक 19 अगस्त, 2003 को होगी।

भारत का सर्वोच्च न्यायालय

रिट याचिका (सी) न. 2001 की 196
पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज
बनाम
भारत संघ एवं अन्य
दिनांक 05.05.2003

पीठासीन न्यायाधीश :

1. माननीय न्यायमूर्ति श्री वाय.के.सभरवाल,
2. माननीय न्यायमूर्ति श्री एच.के.सेमा,

आदेश

यह मुद्दा विद्वान अधिवक्ता मि. कॉलिन गोंसाल्विस द्वारा उठाया गया। इन्होंने उस पत्र की सच्ची प्रतिलिपि भी दिखाई जो कि उन्होंने 3 मई, 2003 को भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल को लिखा था। यह पत्र 2 मई, 2003 के जारी आदेश के उपलक्ष्य में था। कोई भी अधिवक्ता भारत सरकार की ओर से उपस्थित नहीं हुआ। अधिवक्ताओं को सुनने के बाद हम भारत सरकार को आदेश देते हैं कि जब तक इस मुद्दे पर अगली सुनवाई नहीं हो जाती तब तक किसी भी व्यक्ति को तत्कालीन गरीबी रेखा की सूची से बाहर नहीं निकाला जाए।

भारत का सर्वोच्च न्यायालय

रिट याचिका (सी) न. 2001 की 196
पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज
बनाम
भारत संघ एवं अन्य
दिनांक 20.04.2004

पीठासीन न्यायाधीश :

1. माननीय न्यायमूर्ति श्री वाय.के. सभरवाल,
2. माननीय न्यायमूर्ति श्री बी.एन. अग्रवाल

आदेश

हमने श्री कॉलिन गोन्जाल्वेस, याचिकाकर्ता के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राजू रामचंद्रन, भारतीय केन्द्र के अतिरिक्त महान्यायवादी, श्री एम.एल. वर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता मध्यस्थ हेल्थ इन्डिया तथा विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ताओं को सुना। हमने समिति की दिनांक 28 जनवरी, 2004 की विशेष रिपोर्ट तथा प्रस्तुत की गई अन्य प्रासंगिक सामग्रियों को भी देखा है। पूर्व में पारित अपने एक आदेश में न्यायालय ने गौर किया था कि गरीबों के अधिसंख्यक भाग के अस्तित्व पर इस जनहित याचिका का, उनके जीवन के अधिकार पर तथा जो लोग अपने परिवारों के लिए दो वक्त का भोजन नहीं जुटा सकते उनके भोजन के अधिकार पर और सूखे तथा अकाल के कारण उनकी और अधिक गंभीर होती जा रही स्थिति पर प्रभाव पड़ेगा।

28 नवम्बर 2001 को इस न्यायालय ने राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया था कि वे प्रत्येक सरकारी तथा सरकारी सहायता से चल रही प्राथमिक शाला में पढ़ रहे प्रत्येक बालक/बालिका के लिए मध्याह्न भोजन की व्यवस्था करे, जिसमें कम से कम 300 कैलोरी तथा 8–12 ग्राम प्रोटीन हो तथा जो वर्ष में कम से कम 200 दिन तक उपलब्ध करवाया जाए। उक्त आदेश में यह भी कहा गया था कि जो सरकारें पके हुए भोजन के बदले मात्र राशन उपलब्ध करवा रही हैं, वे भी आदेश के तीन माह के अंदर प्रदेश के आधे जिलों

(उनका क्रम गरीबी के आधार पर तय किया जाए) में चल रही सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक शालाओं में पके हुए भोजन की व्यवस्था करे तथा आगामी तीन माह में शेष जिलों में भी पका भोजन ही उपलब्ध करवाया जाए।

29 नवम्बर 2002 के आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया था कि अगर इन आदेशों के पालन में लगातार कोताही बरती जाती है, तो संबंधित राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव/प्रशासक इसके लिए जिम्मेदार ठहराए जाएंगे। न्यायालय का ध्यान इस ओर बंटाया गया है कि इन आदेशों के जारी होने के बावजूद कुछ राज्यों ने तो इस दिशा में शुरूआत ही नहीं की है। 2 मई, 2003 के आदेश में इस न्यायालय ने गौर किया था कि किस प्रकार कुछ राज्यों में इन आदेशों की खुली अवहेलना की जा रही है। इस आदेश में बिहार, झारखण्ड तथा उत्तर प्रदेश का विशेष उल्लेख किया गया था। जिस प्रकार का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया, उस पर भी टिप्पणी की गई क्योंकि बिहार ने अपने शपथ पत्र में यह उल्लेख नहीं किया कि वह मध्याह्न भोजन का प्रावधान कब से प्रारंभ करेगा, कितने जिलों में इसे प्रारंभ करना प्रस्तावित है तथा इसके लिए क्या योजना बनाई गई है। आदेश में इस बात पर गौर किया गया कि उक्त शपथ पत्र में हर संभव जानकारी गायब है। अंततः बिहार राज्य को निर्देश दिया गया कि वह यह योजना दस जिलों, जो उसकी नजर में गरीब हों, में क्रियान्वित करे। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश, झारखण्ड तथा अन्य राज्यों को भी कम से कम 25 फीसदी गरीबतम जिलों में योजना की सार्थक शुरूआत करने का आदेश दिया गया।

2 मई, 2003 के आदेशों के बाद शालाओं में पके हुए मध्याह्न भोजन के क्रियान्वयन तथा दिशा के संबंध में कई रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है जो 28 नवंबर 2001 के आदेश की दिशा में हुई प्रगति के संबंध में है।

हमने बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश तथा हरियाणा द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्रों को पढ़ा तथा उनका प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ताओं को सुना। अन्य राज्य तथा केन्द्र शासित प्रदेश भी हैं जिनके विषय में उक्त आयुक्तों की रिपोर्ट में टिप्पणी की गई है। कुछ राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों ने इतने वर्ष बीत जाने के बावजूद कोई शुरूआत नहीं की है। केवल कुछ ही राज्य ऐसे हैं जिन्होंने 28 नवम्बर, 2001 के पारित पके हुए मध्याह्न भोजन के आदेश को पूरी तरह लागू किया है।

जिन राज्यों ने शुरूआत करने का दावा किया है और जो इस योजना को आंशिक रूप से लागू कर रहे हैं, उनमें से भी कुछ ने इस न्यायालय को समूची जानकारी नहीं दी है जिससे, क्रियान्वयन के विस्तार को जाना जा सके। अधिकांश शपथ पत्रों में केवल स्कूलों तथा छात्र–छात्राओं की संख्या दी गई है, जहां योजना लागू की जा रही थी। आवश्यकता इस बात की थी कि मात्र यह उल्लेख किया जाता कि किसी राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश विशेष में, कितनी शालाओं में पके हुए मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की जाएगी तथा उन शालाओं के कितने छात्र–छात्राओं को इस योजना के तहत योग्य मान कर भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा। शपथ–पत्रों में अधूरी सूचना दी गई है तथा योग्य शालाओं तथा छात्र–छात्राओं की संख्या का उल्लेख नहीं किया गया है।

बहरहाल, आयुक्तों की द्वितीय रिपोर्ट की तालिका – 1 दर्शाती है कि कुल राज्यों में से कितने राज्यों ने योजना को पूरी या आंशिक तौर पर लागू किया है और कितने राज्यों ने आयुक्तों की पूछताछ पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की है। फिर भी उक्त रिपोर्ट के बाद यह कहा जा सकता है कि स्थिति में कुछ सुधार अवश्य हुआ है व कुछ राज्यों ने सांकेतिक शुरूआत की है। पूर्व अनुभव के आधार पर आयुक्तों की रिपोर्ट कहती है कि पौष्टिक मध्याह्न भोजन बच्चों को भूख से बचाने में प्रभावी सिद्ध हुए हैं तथा इनसे स्कूलों में बालिकाओं की उपस्थिति में इजाफा हुआ है। रिपोर्ट यह भी गौर करती है कि कुछ शालाओं में अवकाशों के दौरान भी मध्याह्न भोजन उपलब्ध करवाया जाता है, विशेषकर सूखाग्रस्त इलाकों में। सूखाग्रस्त क्षेत्रों में अवकाशों के दौरान भी मध्याह्न भोजन उपलब्ध करवाने की वांछनीयता पर कोई प्रश्न उठा नहीं सकता, जहां बच्चे एक समय के भोजन से भी वंचित हैं।

यह पीड़ादायक विषय है कि साढ़े तीन वर्ष गुजर जाने के बावजूद 28 नवंबर, 2001 के आदेश को सभी राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों ने पूरी तरह लागू नहीं किया है। जैसा पहले कहा जा चुका है कि कई राज्यों ने इसे लागू करने से संबंधित आधी–अधूरी जानकारी और आंकड़े दिए हैं। हम यह भी स्पष्ट करना चाहते हैं कि अगर 2 मई, 2003 के आदेश द्वारा कुछ राज्यों को शुरूआत में कुछ जिलों से प्रारंभ करने की छूट दी गई है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि अदालत ने 28 नवम्बर 2001 के आदेश में निहित अपनी मंशा को संशोधित कर

दिया है या बदल लिया है। यह प्रत्येक राज्य तथा सभी केन्द्र शासित प्रदेशों का संवैधानिक दायित्व है कि वे 28 नवंबर 2001 के आदेश में निहित निर्देशों को शब्दशः व उसकी मंशा को पूर्णतः लागू करें। यहां यह भी गौर किया जाए कि हेल्थ इन्डिया द्वारा दिए गए सुझावों पर उपयुक्त समय में विचार किया जाएगा।

याचिकाकर्ता ने इस ओर ध्यान बंटाया है कि प्रधानमंत्री द्वारा 15 अगस्त 2003 को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में मध्याह्न भोजन की योजना को दसवीं कक्षा तक के छात्र–छात्राओं को विस्तृत करने का उल्लेख किया गया था। सुझाव यह है कि यह विस्तार जल्द से जल्द किया जाए। जवाब में यह कहा गया है कि एक बार प्राथमिक स्तर के लिए जब इस योजना का पुख्ता तौर पर लागू कर लिया जाएगा, तब दसवीं कक्षा तक के लिए इसे चरणबद्ध रूप से फैलाने के प्रश्न पर विचार होगा। इस संबंध में विभिन्न राज्यों को कहा गया है कि वे दसवीं कक्षा तक के छात्र–छात्राओं के लिए योजना लागू करने पर आने वाले खर्च व अन्य व्यवस्थात्मक आवश्यकताओं पर अपने नजरिए को सामने रखें।

आगे याचिकाकर्ता ने भारत सरकार मध्याह्न भोजन योजना के रूपान्तरण व्यय में बंटवारे के विषय में नियुक्त अभिजित सेन समिति के सुझावों का भी हवाला देते हुए सुझाया है कि सरकार को उस योजना को लागू करना चाहिए। सरकार वर्तमान में इसको लागू करने के पक्षों पर संबंधित मंत्रालयों तथा योजना आयोग के साथ मिलकर योजना क्रियान्वयन के रूपान्तरण व्यय पर आंशिक सहायता उपलब्ध करवाने के विषय में विचार कर रही है।

अब तक जो कहा गया उसे मद्देनजर रखते हुए पके हुए मध्याह्न भोजन योजना के विषय में हम निम्न निर्देश जारी करते हैं :

1. जिन राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों ने 28 नवंबर 2001 को दिए गए निर्देशों को अब तक पूरी तरह से लागू नहीं किया है, वे उसे समूचे राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश में अवकाश के बाद प्राथमिक शालाएं खुलने पर पूर्णतः लागू करेंगे, जो किसी हालत में 1 सितम्बर 2004 के पहले लागू किए जाएं।
2. सभी मुख्य सचिव/प्रशासकों को निर्देश दिया जाता है कि वे निर्देश संख्या 1 के संबंध में अपनी–अपनी अनुपालन रिपोर्ट 15 सितम्बर, 2004 को या उससे पहले प्रेषित करेंगे।

3. पके हुए भोजन का रूपान्तरण व्यय, किसी भी हालत में छात्र–छात्राओं या उनके माता–पिता से नहीं वसूला जाए।

4. भोजन पकाने वाले रसोइयों या उनके सहायकों की नियुक्ति में दलितों, अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लोगों को प्राथमिकता दी जाए।

5. केन्द्र सरकार शेड वाले रसोईघरों का प्रावधान करेगी तथा मध्याह्न भोजन को पकाने पर आने वाले रूपान्तरण व्यय के लिए राशियां उपलब्ध करवाएगी। समय–समय पर केन्द्र सरकार खाद्यान्न कम मात्रा में उठाने पर निगहबानी करे।

6. उत्तराखंड के विषय में यह बताया गया है, वहां यह योजना सभी स्कूलों में लागू की जा रही है। आयुक्तों को छूट है कि वे वहां निरीक्षण करें तथा अगर ऐसा नहीं है तो न्यायालय को सूचित करें।

7. सूखाग्रस्त इलाकों में मध्याह्न भोजन गर्मी के अवकाश के दौरान भी उपलब्ध करवाया जाए।

8. भारत सरकार तीन माह के अंदर एक शपथ पत्र प्रस्तुत करे, जिसमें वह बताए कि प्रधानमंत्री की घोषणा के अनुरूप मध्याह्न भोजन योजना को कब से दसवीं कक्षा तक के लिए विस्तृत किया जाना संभव होगा। शपथ पत्र यह भी बताए कि किस समय सीमा के अंदर सरकार अभिजित सेन समिति के सुझावों को लागू करने वाली है, जिस विषय में वह संबंधित मंत्रालय तथा योजना आयोग से चर्चाएं भी कर चुकी है।

9. बेहतर ढांचे, बेहतर सुविधाएं (सुरक्षित पेयजल आदि), करीबी निगहबानी (नियमित निरीक्षण आदि) तथा योजना की गुणवत्ता के लिए अन्य सुरक्षात्मक उपायों तथा भोजन में जो दिया जाए उसे सुधारने के प्रयास किए जाएं ताकि प्राथमिक शालाओं के बच्चों को पौष्टिक भोजन मिल सके।

इस योजना के क्रियान्वयन के मुद्दे पर सितम्बर 2004 में विचार किया जाएगा।

सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना - रोजगार गारंटी

इस योजना के विषय में निम्नांकित निर्देश जारी किए जाते हैं :

1. 2 मई 2003 के आदेश में खाद्यान्न तथा राशि को दुगना करने के जो निर्देश दिए गए थे, वे इस वर्ष भी लागू होंगे।

2. राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों को निर्देशित किया जाता है कि वे मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करें तथा ऐसी मशीनों का उपयोग बंद करें जो मजदूरों को विस्थापित करती हों।

3. सभी सार्वजनिक दस्तावेज, मस्टर रोल को उन लोगों को जो उन्हें चाहते हों, दस्तावेजों को उपलब्ध करवाने की कीमत पर उपलब्ध करवाए जाएं, यह कीमत उन दस्तावेजों की प्रतियों की कीमत से अधिक न हो।

4. केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को समय पर राशियां तथा खाद्यान्न आवंटित करे।

5. राज्य सरकारों को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त राशियों तथा खाद्यान्नों के समुचे आवंटन का उपयोग करें तथा न तो उन्हें वर्ष के अंत में अनुपयुक्त (लैप्स) बताए, न आगामी वर्षों में उनमें कोई कटौती होने दे।

6. अगर कुछ अन्य राज्य सरकारें अपनी वित्तीय सीमाओं के कारण मजदूरी का भुगतान आंशिक रूप से अनाज व आंशिक रूप से रुपयों के बदले 100 प्रतिशत खाद्यान्न के रूप में करना चाहें, तो वे इस विषय में केन्द्र सरकार से संपर्क करें। ऐसे प्रत्येक मामले पर विचार कर केन्द्र सरकार उन्हें 100 प्रतिशत मजदूरी का भुगतान खाद्यान्न के रूप में करने की अनुमति दे सकती है।

अन्त्योदय अन्न योजना :

इस योजना के संबंध में निम्नांकित निर्देश जारी किए जाते हैं :–

1. भारत सरकार दो माह की अवधि में ऐसे दिशानिर्देश जारी करे ताकि अन्त्योदय अन्न योजना में शामिल किए जाने के लिए बीपीएल कार्डों की मौजूदा स्थिति का निपटारा हो जाए।

2. केन्द्र सरकार सभी राज्यों को निर्देश दे कि वे अन्त्योदय योजना संबंधी कार्ड जारी करने की प्रक्रिया को तेज करें, विशेषकर पिछड़ी जनजातियों को। राज्य सरकारों को दिए गए निर्देशों को उन्हें शब्दशः व मंशा के अनुरूप लागू करना होगा।

   अन्य योजनाओं के संदर्भ में विचार के लिए इस याचिका को 27 अप्रैल 2004 को सूचीबद्ध किया जाए।

भारत का सर्वोच्च न्यायालय

रिट याचिका (सी) न. 2001 की 196
पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज
बनाम
भारत संघ एवं अन्य
दिनांक 27.04.2004

पीठासीन न्यायाधीश :

1. माननीय न्यायमूर्ति श्री वाय.के.सभरवाल,
2. माननीय न्यायमूर्ति श्री बी.एन.अग्रवाल

आदेश

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम

हमने कुछ समय तक श्री गोन्साल्विस, वरिष्ठ अधिवक्ता तथा श्री राजू राजचंद्रन अतिरिक्त महान्यायवादी को सुना। इस देश के गरीब नागरिकों के लिए बनाई गई योजनाओं पर इस न्यायालय ने समय–समय पर कुछ आदेश पारित किए हैं। यह लगता है कि कुछ राज्यों ने ऐसी कुछ योजनाओं को बंद कर दिया है। एक अंतरिम उपाय के रूप में, जब तक इस मामले की विस्तृत सुनवाई नहीं हो जाती, हम निर्देश देते हैं कि ऐसी कोई भी योजना जो इस न्यायालय के आदेशों के अंतर्गत आती हो, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, खासतौर से अन्नपूर्णा तथा राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना का, बिना इस न्यायालय की पूर्व अनुमति के न तो बंद किया जाए, न किसी प्रकार से सीमित किया जाए। अन्य शब्दों में इसका अर्थ है कि आगामी आदेशों तक ये योजनाएं चालू रहेंगी और उन सबको लाभ पहुंचाती रहेंगी, जो इन योजनाओं के तहत आते हैं। हम आशा करते हैं कि भारत सरकार तथा राज्य सरकारें अपनी प्रक्रियाओं को अधिक सरल बनाएंगी, ताकि अधिक से अधिक योग्य व्यक्तियों को इन योजनाओं का लाभ मिलता रहे।

इस आदेश की प्रति प्रत्येक राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश के मुख्य सचिव/प्रशासक को भेजी जाएगी। भारतीय केन्द्र, संबंधित मंत्रालयों के माध्यम से

स्वयं भी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को निर्देशित करेगी कि वे आदेश का अनुपालन करें।

समेकित बाल विकास सेवा

समेकित बाल विकास योजना के संदर्भ में 28 नवंबर 2001 को निर्देश जारी किए गए थे। आभास होता है कि इस आदेश के तहत आने वाले अधिकांश लाभार्थियों को उपरोक्त योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। हमने श्री गोन्जाल्विस के निवेदनों को सुना है तथा आयुक्तों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदन को पढ़ा है। हमारे सम्मुख जो तथ्य व आंकड़े प्रस्तुत किए गए, उनसे यह स्पष्ट है कि 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों की भारी संख्या कुपोषित है। ये आंकड़े राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य योजना द्वारा किए गए सर्वेक्षणों पर आधारित हैं। ये नन्हें बालक हमारे देश का भविष्य हैं। साथ ही, यह आभास भी होता है कि केरला तथा तमिलनाडु के अलावा, जहां इस योजना का लाभ 50 प्रतिशत योग्य बालकों को मिल रहा है, देश के शेष राज्यों में औसतन लाभ 25 फीसदी से भी कम बालकों को पहुंच रहा है। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड तथा उत्तराखंड की स्थिति चिंताजनक लगती है। 2002–2003 के सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में कुल योग्य बच्चों में मात्र 12.6 प्रतिशत बच्चों तक पूरक पोषण पहुंच रहा है। श्री राजू रामचंद्रन, अतिरिक्त महान्यायवादी ने अल्पकालिक स्थगन की प्रार्थना की है कि वे इस मसले पर संबंधित अधिकारियों से चर्चा कर निवेदन प्रस्तुत करेंगे, ताकि 28 नवंबर 2001 के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के संबंध में निर्देश जारी किए जा सकें।

प्रार्थना के अनुरूप यह मामला 29 अप्रैल 2004 तक के लिए स्थगित किया जाता है।

यह मामला, ग्रीष्मावकाश के बाद अदालत खुलने पर सुना जाएगा।

भारत का सर्वोच्च न्यायालय

रिट याचिका (सी) न. 2001 की 196
पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज
बनाम
भारत संघ एवं अन्य
दिनांक 29.04.2004

पीठासीन न्यायाधीश :

1. माननीय न्यायमूर्ति श्री वाय.के.सभरवाल,
2. माननीय न्यायमूर्ति श्री बी.एन.अग्रवाल

आदेश

अधिवक्ता की सहायता से हमने विभिन्न दस्तावेजों पर गौर किया जिसमें सी. ए.जी. द्वारा सन् 2000 में तैयार की गई रिपोर्ट संख्या 1 तथा भारत सरकार के योजना आयोग द्वारा स्वास्थ्य, पोषण एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम की प्रगति समीक्षा (फरवरी 2001) भी शामिल थे। योजना आयोग के उपरोक्त दस्तावेज से यह स्पष्ट है कि समेकित बाल विकास योजना संभवतः दुनिया का सबसे बड़ी पूरक आहार कार्यक्रम है, जिसे 1975 में निम्नांकित लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए प्रारंभ किया गया था।

1. 0–6 वर्ष की आयु के बालकों के स्वास्थ्य व पोषण स्तर को पूरक आहार द्वारा सुधारना और राज्य के स्वास्थ्य विभागों द्वारा आवश्यक स्वास्थ्य निवेश सुनिश्चित करना,
2. शाला पूर्व आयु के बालकों को उत्प्रेरण व शिक्षा द्वारा मनोवैज्ञानिक व सामाजिक विकास के लिए आवश्यक परिस्थितियां उपलब्ध करवाना,
3. गर्भवती व स्तनपान करवाने वाली माताओं को पूरक आहार उपलब्ध करवाना,
4. बालकों की समुचित देखभाल को बेहतर बनाने के लिए माताओं को स्वास्थ्य तथा पोषण संबंधी शिक्षा देना,
5. बाल विकास को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न विभागों के बीच नीति व क्रियान्वयन का प्रभावी समन्वय स्थापित करना।

उपरोक्त दस्तावेज के तथ्यों व आंकड़ों से लगता है कि यद्यपि यह योजना बालकों के विकास, विशेषकर कुपोषित व अल्पपोषित बालकों के विकास की, विस्तृत योजना है और इसमें 0 से 6 वर्ष की आयु के सभी बालकों को शामिल करने की मंशा प्रकट की गई है, फिर भी अल्पपोषित या कुपोषित बालकों व योजना के अन्य लाभार्थियों तक पोषाहार पहुंचे, यह सुनिश्चित करने के लिए जमीनी स्तर पर काफी कुछ किया जाना चाहिए।

यह पोषाहार आंगनबाड़ी केन्द्रों के मार्फत बच्चों तक पहुंचाया जाता है। देश में कुल छह लाख केन्द्र हैं। भारत सरकार के मानकों के अनुसार 1000 की आबादी (आदिवासी क्षेत्रों में 700) पर एक केन्द्र है। याचिकाकर्ता के अनुसार इसी मानक के हिसाब से चले, तो देश में कुल 14 लाख आंगनबाड़ी केन्द्र होने चाहिए। भारत सरकार के अनुसार आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या 12 लाख ही होगी। हम भारत सरकार को निर्देश देते हैं वह 3 माह की अवधि में एक शपथ पत्र प्रेषित करे तथा उसमें यह उल्लेख करे कि किस अवधि में वह आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या बढ़ाकर 14 लाख करेगी। हमने गौर किया है कि पोषाहार की लागत का मानक 1 रुपये प्रति बालक है जो 1991 में निर्धारित किया गया था। भारत सरकार को इस 1 रुपये के मानक संशोधित करने पर विचार करना चाहिए तथा अपने सुझाव शपथ पत्र में शामिल करने चाहिए।

स्वीकृत आंगनबाड़ी केन्द्रों के संबंध में हम निर्देश देते हैं कि उन्हें 30 जून 2004 तक पूर्णतः कार्यान्वित कर दिया जाए। हम आगे यह निर्देश भी देते हैं कि स्वीकृत आंगनबाड़ी केन्द्र, बालकों, किशोरी बालिकाओं तथा गर्भवती व स्तनपान करवाने वाली माताओं को इस योजना के तहत वर्ष में 300 दिन पोषाहार/पूरक आहार उपलब्ध करवाएं।

हम सभी मुख्य सचिवों को निर्देश देते हैं कि वे 1 अप्रैल 2003 से 31 मार्च 2004 की अवधि के दौरान स्वीकृत आंगनबाड़ी केन्द्रों में कितने बालक–बालिकाओं, किशोरियों, गर्भवती व स्तनपान कराती माताओं को पोषाहार/पूरक आहार दिया गया, तथा उपरोक्त अवधि में कितने दिनों तक दिया गया, यह जानकारी दें। यह रिपोर्ट 31 जुलाई 2004 तक प्रेषित की जाए। यह मामला अगस्त 2004 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए।

गरीबी रेखा वाले प्रश्न पर भी जुलाई 2004 के बदले, उसी दिन विचार किया जाएगा।

भारत का सर्वोच्च न्यायालय

रिट याचिका (सी) न. 2001 की 196
पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज
बनाम
भारत संघ एवं अन्य
दिनांक 07.10.2004

आदेश

हमने आयुक्तों श्री डॉ. एन.सी.सक्सेना व एस.आर.शंकरण 5 अगस्त 2004 के प्रतिवेदन को देखा। सर्वप्रथम हम आयुक्तों को उनके इस महती कार्य के लिए बधाई देना चाहेंगे तथा उनके प्रतिवेदन की प्रशंसा करना चाहेंगे।

यह प्रतिवेदन तीन भागों में है। प्रथम भाग के 14 हिस्से हैं जिनमें 14 विभिन्न योजनाओं को समेटा गया है। प्रथम हिस्से में समेकित बाल विकास योजना पर विचार किया गया है, द्वितीय हिस्से में उन्होंने जो पाया, उसका सार–संक्षेप है तथा तृतीय भाग में सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं।

हम सर्वप्रथम समेकित बाल विकास सेवा के विभिन्न पक्षों पर विचार करेंगे। इस योजना से संबंधित समस्या को पूरी तरह समझने के लिए इसकी पृष्ठभूमि पर गौर करना आवश्यक होगा।

समेकित बाल विकास सेवा, जैसा कि दिनांक 29.04.2004 के आदेशों में भी कहा गया था, संभवतः विश्व की सबसे बड़ी भोजन व पूरक आहार योजना है, जिसे 1975 में योजना आयोग के दस्तावेजों के अनुसार निम्नोक्त लक्ष्यों के साथ प्रारंभ किया गया था,

1. 0–6 वर्ष की आयु के बालकों के स्वास्थ्य व पोषण स्तर को पूरक आहार द्वारा सुधारना और राज्य के स्वास्थ्य विभागों के समन्वय द्वारा आवश्यक स्वास्थ्य निवेश सुनिश्चित करना,
2. शाला पूर्व आयु के बालकों को उत्प्रेरण व शिक्षा द्वारा बालकों के मनोवैज्ञानिक व सामाजिक विकास के लिए आवश्यक परिस्थितियां उपलब्ध करवाना,
3. गर्भवती व स्तनपान करवाने वाली माताओं को पूरक आहार उपलब्ध करवाना,

4. बालकों की देखभाल को बेहतर बनाने के लिए माताओं को स्वास्थ्य तथा पोषण संबंधी शिक्षा देना,
5. बालकों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न विभागों के बीच नीति व क्रियान्वयन संबंधी प्रभावी तालमेल स्थापित करना।

यह योजना 0 से 6 वर्ष के आयुवर्ग के सभी बालकों के लिए है। पोषाहार आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से उपलब्ध करवाया जाता है। भारत सरकार के मानकों के अनुसार प्रति 1000 की आबादी पर (आदिवासी क्षेत्रों में 700 की आबादी पर) एक केन्द्र है। इस बात पर कोई गंभीर विवाद नहीं, जैसा श्री मोहन पराशारन, अतिरिक्त महान्यायवादी ने दावा किया है, कि मानकों के अनुसार लगभग 14 लाख आंगनबाड़ी केन्द्र होने चाहिए। यह स्वीकारा गया है कि तकरीबन 6 लाख केन्द्र स्वीकृत किए गए हैं। कई स्वीकृत केन्द्र भी काम नहीं कर रहे हैं, जैसा कि विचाराधीन प्रतिवेदन से स्पष्ट है। यह समस्या बिहार, उत्तर प्रदेश तथा झारखण्ड जैसे राज्यों में और गंभीर है। यहां इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित करना जरूरी है कि समेकित बाल विकास सेवा के संबंध में निर्देश पूर्व में 28.11.2001 को ही पारित कर दिए गए थे। दिनांक 27.04.2004 के आदेश में यह टिप्पणी की गई थी कि 28.11.2001 के आदेश के तहत जो लोग आते हैं, उन्हें भी समेकित बाल विकास सेवा का लाभ नहीं मिल रहा है। यह अवलोकन टिप्पणी राष्ट्रीय परिवार लाभ स्वास्थ्य योजना के सर्वेक्षण आंकड़ों पर आधारित थी। फलस्वरूप 0 से 6 वर्ष की आयु के बालक कुपोषित रह गए।

उक्त आदेश में यह भी कहा गया था कि उपरोक्त तीन राज्यों के अलावा उत्तराखंड राज्य में भी स्थिति सोचनीय है। 29.04.2004 के आदेश द्वारा भारत सरकार को निर्देशित किया गया था कि वह तीन माह की अवधि में सूचित करे कि वह शेष आंगनबाड़ियों की स्वीकृति कब प्रस्तावित कर रही है। भारत सरकार को यह निर्देश भी दिया गया था कि वह पोषाहार पर व्यय किए जाने वाले प्रति बालक एक रुपये के मानक को संशोधित करने पर भी विचार करे, जो 1991 में तय किया गया था, और त्तसंबंधी सुझावों को शपथ–पत्र में शामिल करे।

यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि तीन के बजाए तकरीबन छह माह की अवधि बीत जाने पर भी भारत सरकार ने अब तक शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया है और इसके बदले अतिरिक्त महान्यायवादी ने मौखिक आवेदन द्वारा 29.04.2004 के आदेश

में चाहे गए शपथ पत्र के लिए और समय मांगा है।

हम केन्द्र सरकार के इस नजरिए से हैरान हैं। जहां तक बालकों को पौष्टिक आहार उपलब्ध करवाने का प्रश्न है, वह व्यवहार में समाज के केवल उस अभागे हिस्से को ही पौष्टिक आहार उपलब्ध करवाती है जो अपने बालकों को ऐसा आहार उपलब्ध नहीं करवा सकते। शपथ पत्र के अभाव में, हम सीधे ही ये निर्देश जारी कर सकते थे कि सरकार तत्काल शेष आंगनबाड़ी केन्द्रों को स्वीकृत करे तथा प्रति बालक एक रुपये के मानक को बढ़ा कर दो रुपये कर दे। परन्तु समूची स्थिति को ध्यान में रखते हुए हम केन्द्रीय सरकार को शपथ पत्र प्रस्तुत करने का एक और अवसर देते हैं कि वह दो सप्ताह के अंदर उक्त शपथ पत्र पेश करे, जिसके बाद हम इन दो पक्षों (1) 14 लाख आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्वीकृति, (2) मानक को एक से दो रुपये बढ़ाने पर विचार करेंगे।

अब हम स्वीकृत आंगनबाड़ी केन्द्रों तथा उनके संचालन के पक्ष पर आते हैं। 29.04.2004 के आदेश में यह निर्देश दिया गया था कि सभी स्वीकृत केन्द्रों को 30 जून 2004 तक पूर्णतः सक्रिय बनाया जाए। इसके आगे यह निर्देश भी जारी किया गया था कि स्वीकृत आंगनबाड़ी केन्द्रों में बालकों, किशोरी बालिकाओं तथा गर्भवती व स्तनपान करवाने वाली माताओं को वर्ष में 300 दिन पोषाहार/पूरक आहार उपलब्ध करवाया जाए। प्रतिवेदन उत्तर प्रदेश, बिहार तथा झारखण्ड जैसे राज्यों में स्वीकृत आंगनबाड़ी केन्द्रों के संचालन की, तथा जिस स्थिति में वे चल रहे हैं, सोचनीय छवि प्रस्तुत करता है। प्रतिवेदन में ऐसे कई उदाहरण दिए गए हैं, जहां महीनों तक बालकों को पोषाहार नहीं दिया गया। उदाहरण के लिए झारखण्ड में स्वीकृत आंगनबाड़ी केन्द्र मई से दिसम्बर 2003 तक ठप्प पड़े थे। राज्य ने इस संबंध में कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। इसके साथ ही राज्य ने जो दो शपथ पत्र प्रस्तुत किए हैं, एक सितंबर में तथा दूसरा जो आज न्यायालय में दिया गया, उनमें अंतर है। सितंबर में शपथ पूर्वक कहा गया था कि 16689 आंगनबाड़ी केन्द्र कार्य कर रहे हैं। आज के शपथ पत्र में सक्रिय आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या 7429 बताई गई है। प्रतिवेदन के अनुसार झारखण्ड राज्य में प्रति दिन प्रति भोजन पर 1 रुपये के मानक के बजाए औसतन 42 पैसे खर्चा जा रहा है। बिहार तथा उत्तर प्रदेश की स्थिति भी इससे अधिक बेहतर नहीं है। बिहार में 349 स्वीकृत आंगनबाड़ी केन्द्रों में

मात्र 249 काम कर रहे थे। 30 सितम्बर 2004 के शपथ पत्र में कहा गया था कि सभी परियोजनाओं को 4 अक्टूबर 2004 से कार्यान्वित कर दिया जाएगा। ऐसा दरअसल हुआ या नहीं, यह राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता श्री बी.बी.सिंह स्पष्ट नहीं कर पाए हैं क्योंकि उनको राज्य की ओर से कोई सूचना नहीं मिली है। बहरहाल अगर सभी केन्द्र 4 अक्टूबर 2004 से चालू नहीं किए गए हों, तो वह तिथि बीत ही चुकी है, अतः हम यह निर्देश देते हैं कि उन्हें आज से एक सप्ताह की अवधि में चालू किया जाए।

प्रतिवेदन के अनुसार उत्तर प्रदेश में बंद पड़ी/अक्रियान्वित आंगनबाड़ी केन्द्रों का प्रतिशत यद्यपि अधिक है, फिर भी राज्य ने स्वयं माना है कि 24 प्रतिशत केंद्र अब तक क्रियान्वित नहीं हुए हैं। शपथ पत्र में यह दावा किया गया है कि नवंबर 2004 तक शेष केंद्रों को चालू कर दिया जाएगा। हम राज्य सरकार को निर्देश देते हैं कि 30 नवंबर 2004 तक सभी स्वीकृत आंगनबाड़ी केन्द्रों को चालू कर दिया जाए। इस तिथि के बाद समयावधि बढ़ाने का कोई आवेदन हम नहीं स्वीकारेंगे।

प्रतिवेदन में यह भी कहा गया है कि कुछ आंगनबाड़ी केन्द्र व्यक्तिगत घरों से, जिसमें अनाज डीलरों के घर भी हैं, चलाए जा रहे हैं, यह काम करने का स्वस्थ तरीका नहीं है और इससे अनाज आदि की चोरी की संभावना बढ़ती है। हम उत्तर प्रदेश के शपथ पत्र में दिए गए इस बयान से प्रसन्न हैं कि आंगनबाड़ी केन्द्रों को प्राथमिक शालाओं में लाने का प्रयास किया गया है। यह एक अच्छा उदाहरण है जिसका अन्य राज्य भी अनुसरण कर सकते हैं। प्रतिवेदन कुछ राज्यों में केंद्रित खरीद के प्रयासों का भी उल्लेख करना है, जिससे कई विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। एक शपथ पत्र में यह स्पष्ट किया गया है कि खरीदारी राज्य नहीं बल्कि जिला स्तर पर की जा रही है। साथ ही प्रतिवेदन में खरीदारी के लिए ठेकेदारों का उपयोग करने की समस्या का भी उल्लेख है, जिससे लगता है कि यह काम सरकारी एजेन्सियों व अधिकारियों के स्तर पर ही किया जाना चाहिए।

उपरोक्त वर्णन प्रतिवेदन के प्रथम हिस्से में समेकित बाल विकास सेवाओं के विषय में दिए गए तथ्यों व आंकड़ों के दृष्टांत मात्र हैं। याचिकाकर्ता के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गोन्जालिविस, केन्द्र सरकार का पक्ष रख रहे अतिरिक्त

महान्यायवादी तथा विभिन्न राज्य सरकारों, विशेषकर बिहार, झारखण्ड तथा उत्तरप्रदेश के अधिवक्ताओं को सुनने के बाद हम निम्नांकित निर्देश जारी करते हैं :

1. 14 लाख आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्वीकृति तथा प्रति बालक व्यय के मानक को एक से बढ़ा कर दो रुपये करने के पक्ष पर यह न्यायालय दो सप्ताह बाद विचार करेगा।

2. यह प्रयास किया जाएगा कि देश की सभी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की ढाणियों/बस्तियों में जल्द से जल्द आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित किए जाएं।

3. आंगनबाड़ियों तक पोषाहार पहुंचाने के लिए ठेकेदारों का उपयोग नहीं किया जाएगा तथा समेकित बाल विकास योजना की राशियां ग्राम समितियां, स्वयं सहायता केन्द्रों और महिला मंडलों द्वारा अनाज की खरीदारी तथा भोजन की तैयारी के लिए व्यय की जाएगी।

4. सभी राज्य सरकारें/केन्द्र शासित प्रदेश अपनी–अपनी वेबसाईट पर समेकित बाल विकास योजना से संबंधित संपूर्ण आंकड़े उपलब्ध करवाएं, जिसमें कितने आंगनबाड़ी केन्द्र चल रहे हैं, श्रेणीवार लाभार्थियों की संख्या, आवंटित राशियों व अन्य संबंधित विषयों पर सूचना शामिल होगी।

5. सभी राज्य सरकारें/केन्द्र शासित प्रदेश प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की राशियों का उपयोग राज्य के अपने आवंटन के अतिरिक्त करे, न कि राज्य अनुदान के एवज में।

6. जहां तक संभव हो, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत आने वाले बालकों को केन्द्र पर ही अच्छा भोजन उपलब्ध करवाया जाए।

7. सभी राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश समेकित बाल विकास सेवा के लिए निर्धारित मानक के आधार पर प्रति बालक प्रति दिन एक रूपया तथा प्रति आंगनबाड़ी 100 लाभार्थियों के हिसाब से प्रति वर्ष 300 दिवस के लिए वित्त का आवंटन करें, केन्द्र भी इसी अनुसार आवंटन करें।

8. समेकित बाल विकास सेवा में लाभार्थियों के चयन के लिए गरीबी रेखा के मानक का उपयोग नहीं किया जाए।

9. सभी स्वीकृत परियोजनाएं कार्य करें तथा उनमें मानक के अनुरूप भोजन उपलब्ध करवाया जाए तथा जहां बर्तन–भांडो की व्यवस्था नहीं है, वहां वे भी उपलब्ध करवाए जाएं। प्रतिवेदन में झारखण्ड के दृष्टांत में कहा गया था कि वहां बर्तन उपलब्ध नहीं करवाए गए हैं। सभी चालू केन्द्रों में रिक्त पद तत्काल भरे जाएं। उत्तर प्रदेश के उदाहरण में ये रिक्त स्थान नहीं भरे गए हैं तो चिंताजनक है, यद्यपि शपथ पत्र में कहा गया है कि रिक्त पदों की पूर्ति के लिए मुहिम प्रारंभ की गई है।

10. सभी राज्य सरकारें/केन्द्र शासित प्रदेश, राज्य तथा केन्द्र द्वारा समेकित बाल विकास सेवा/प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के लिए आवंटित समूची राशियों का उपयोग करें तथा उन्हें केन्द्र को अप्रत्युक्त वापस नहीं लौटाएं, अगर राशि लौटाई जाए तो न्यायालय को इसका विस्तृत स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए।

11. सभी राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश यह प्रयास करें कि कच्ची बस्तियों को समेकित बाल विकास सेवा के तहत शामिल किया जाए।

12. केन्द्र सरकार तथा राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश यह सुनिश्चित करें कि सभी राशियों का समय से आवंटन हो तथा बालकों को भोजन उपलब्ध करवाने में कोई व्यवधान न आए।

प्रतिवेदन के पृष्ठ 20 पर बॉक्स संख्या 2 द्वारा हमारा ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया गया है कि आयुक्तों के हस्तक्षेप के बावजूद मध्यप्रदेश में संबंधित क्षेत्र में कार्यकर्ताओं का भुगतान नहीं किया गया। हम राज्य सरकार को निर्देश देते हैं कि वह दो सप्ताह के अंदर या तो मजदूरों को भुगतान कर दे, अन्यथा विस्तृत स्पष्टीकरण देते हुए शपथ पत्र प्रस्तुत करे।

भारत का सर्वोच्च न्यायालय

रिट याचिका (सिविल) न. 196/2001

पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज

बनाम

भारत संघ एवं अन्य

दिनांक 17 नवम्बर 2004

पीठासीन न्यायाधीश :

1. माननीय न्यायमूर्ति श्री वाय.के.सभरवाल,
2. माननीय न्यायमूर्ति श्री एस.एच.कपाडिया

आदेश

सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी.आर.वाई.)

7 अक्टूबर 2004 के आदेश में इस तथ्य को ध्यान में लाया गया था, जिसका उल्लेख पृष्ठ 20 के बॉक्स नं. 2 में है कि मध्य प्रदेश में आयुक्त के हस्तक्षेप के बावजूद भी श्रमिकों को वेतन देने में अधिकारीगण असफल रहे हैं और मध्य प्रदेश राज्य को अपना स्पष्टीकरण देते हुए एक शपथ पत्र प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था। हमारा ध्यान इस न्यायालय द्वारा नियुक्त आयुक्त द्वारा 22 सितम्बर 2004 को राज्य के मुख्यमंत्री को लिखे एक पत्र की ओर दिलाया गया है जिसमें लिम्बी में किये गये काम के एवज में भुगतान करने के लिये 88996 रुपये की व्यवस्था करने का अनुरोध किया गया था। इस पत्र में वेतन का भुगतान न होने की शिकायत की गई है, और संयुक्त जाँच का भी हवाला दिया गया है। हमने भी उस प्रतिवेदन का अवलोकन किया है। रिकार्ड में प्रस्तुत सामग्री से ये प्रतीत होता है कि दिनांक 14 अप्रैल 2003 से ग्राम सभा ने लिम्बी ग्राम में संबंधित बाँध का निर्माण करने का प्रस्ताव पारित किया था। यह भी प्रकट होता है कि निर्माण कार्य 22 मई 2004 से शुरू हुआ और 2 जून 2004 में पूरा हो गया था, जिसका उद्घाटन नायब तहसीलदार ने किया था। सामग्री से यह भी प्रकट होता है कि निर्माण पश्चात् आकलन के अनुसार भी ये

कार्य 80000 रुपये से ज्यादा का था। 10 सितम्बर 2004 के प्रतिवेदन में निम्न संक्षिप्त सिफारिशें की गई हैं :

1. बडवानी के जिलाधीश को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जिले की सभी ग्राम पंचायतें सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया को गंभीरतापूर्वक लें। ग्राम सभाएं नियमित रूप से हों और उनमें सभी रिकार्ड उपलब्ध कराया जाए, मांगने पर किसी भी नागरिक को रिकार्ड की प्रति उपलब्ध कराई जाए तथा इस संबंध में कर्तव्य का पालन न करने पर कड़ी कार्यवाही की जाए।

2. जिलाधीश बडवानी को उन सभी व्यक्तियों व संगठनों के साथ सहयोग करना चाहिए जो प्रशासन में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को लागू रखना चाहते हैं।

3. किये गये कार्यों के रिकार्ड के अनुसार उन सभी श्रमिकों को कुल 88995 रुपये 78 पैसे का भुगतान किया जाए, जिन्होंने ग्राम लिम्बी, ब्लॉक पाटी, तहसील बडवानी, जिला बडवानी में ददवानी फलिया के बाँध स्थल पर (हीरा गोत्र लोहानिया के खेत के पास) काम किया था।

4. ये भुगतान कम से कम तहसीलदार स्तर के अधिकारी की उपस्थिति में जनता के समक्ष ग्राम लिम्बी में पारदर्शी तरीके से होना चाहिए।

5. जिलाधीश इस भुगतान होने के संबंध में 20 सितम्बर 2004 तक उच्चतम न्यायालय के द्वारा नियुक्त आयुक्त को सूचित करेगा। यदि इस आदेश का पालन नहीं होता है तो इस तथ्य को माननीय उच्चतम न्यायालय के ध्यान में लाने की आवश्यकता होगी।

हमने आयुक्त के 22 सितम्बर 2004 के पत्र का जिलाधीश द्वारा भेजे गये जवाब दिनांक 8 अक्टूबर 2004 का भी अवलोकन किया। ये जवाब राज्य सरकार के शपथ पत्र के साथ संलग्न किया गया, जो खण्ड (1) के पृष्ठ संख्या 4003 से शुरू होता है। बाँध के निर्माण होने के तथ्य के संबंध में कोई विवाद नहीं हैं। कार्य में हुए खर्च में भी कोई विवाद नहीं है। कुछ तकनीकी विवाद जरूर उठाये गये हैं। जैसे कि ग्राम पंचायत के प्रस्ताव की अवधि का समाप्त हो जाना, नायब–तहसीलदार की अधिकारिता आदि।

उपरोक्त संक्षिप्त सिफारिशों के संबंध में उपयुक्त निर्देश जारी करने तथा अन्य व्यापक प्रश्नों को तय करने के लिये हमने विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल से पूछा कि क्या केन्द्र सरकार ने विभिन्न योजनाओं को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने के लिये क्या कोई निर्णय लिया है और आदेश जारी किये हैं? यहां हम सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी.आर.वाई) की बात कर रहे है। इन योजनाओं को सही ढंग से क्रियान्वित होना चाहिये, राशि को सही ढंग से जारी करना व खर्च करना चाहिये। हमने विद्वान अधिवक्ता से यह भी पूछा कि ये योजना अन्य राज्यों में विशेषकर आन्ध्र प्रदेश में किस प्रकार कार्य कर रही है ताकि हम समस्त पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त निर्देश जारी कर सकें। श्री परासरण प्रधान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने निर्देशन प्राप्त करने और शपथ पत्र के रूप में सारी सामग्री रिकार्ड में प्रस्तुत करने के लिये समय दिये जाने की प्रार्थना की। अतः ये कार्यवाही वे तीन सप्ताह में कर दें।

उपरोक्त व्यापक प्रश्न के विचाराधीन रहते हुए हमें ऐसा कोई कारण नजर नहीं आता कि श्रमिकों को 88996 रुपये के भुगतान में और देरी क्यों की जाए, विशेषकर जबकि बाँध के निर्माण एवं लागत में कोई विवाद नहीं है। इसलिये पक्षकारों के अधिकारों एवं दलीलों को सुरक्षित रखते हुए और ये स्पष्ट करते हुए कि इसे उदाहरण न माना जाए, हम मध्य प्रदेश सरकार को ये निर्देश देते हैं कि जागृति आदिवासी दलित संगठन को उपरोक्त रकम जारी करे और फिर ये संगठन इस रकम को संबंधित श्रमिकों को रसीद प्राप्त कर उन्हें उनकी राशि का भुगतान करे। संगठन जो रसीद प्राप्त करेगा वो राज्य सरकार के संबंधित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर देगा। राज्य सरकार को राशि का भुगतान संगठन को करने के लिये दो सप्ताह का समय दिया जाता है और उसके बाद दो सप्ताह के अंदर संगठन रसीदों को राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत कर देगा।

मध्याह्न भोजन

28 नवम्बर 2001 के आदेश में यह निर्देश दिया गया था कि सरकारी एवं सरकारी मदद से संचालित प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत पके हुए भोजन की आपूर्ति एवं इसका क्रियान्वयन तीन माह के अंदर शेष विद्यालयों में कर दी जानी चाहिये। इस आदेश का अनुपालन मई 2002

तक हो जाना चाहिये। 20 अप्रैल 2004 के आदेश में इस तथ्य को लिखित किया गया था कि साढ़े तीन वर्ष बीतने के बाद भी 28 नवंबर 2001 का आदेश पूरी तरह से कुछ राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में लागू नहीं किया गया है। इस बात पर रोष प्रकट करते हुए आगे और भी निर्देश दिये गये थे कि जिन राज्यों में पके हुए मध्याह्न भोजन की आपूर्ति के संबंध में 28 नवंबर 2001 का आदेश लागू नहीं किया गया है, वहां तत्काल लागू किया जाए और किसी भी हालत में 1 सितम्बर 2004 तक लागू हो जाना चाहिए। आयुक्त की रिपोर्ट से ये प्रदर्शित होता है कि कई राज्यों में या तो ये आदेश बिल्कुल ही क्रियान्वित नहीं हुई है या तो बहुत ही नगण्य रूप में हुई है। उदाहरण के लिये, आयुक्तों की अगस्त 2004 में पेश हुई पाँचवी रिपोर्ट में मणिपुर, नागालैण्ड, उत्तर प्रदेश, और असम में बिल्कुल ही क्रियान्वित नहीं हुई है। उसके बाद उत्तर प्रदेश और आसाम में जरूर कुछ प्रगति हुई है, अगस्त 2004 तक हिमाचल प्रदेश में 3.14 प्रतिशत, आसाम में 18 प्रतिशत, झारखंड में 15 प्रतिशत और बिहार में 24 प्रतिशत तक अधूरी क्रियान्वित हुई है। पके हुए भोजन की आपूर्ति करने में उसमें जो खर्च होता है, उसे एक कठिनाई बताया गया है। केन्द्र सरकार ने दिनांक 06 अक्टूबर 2004 को सभी राज्यों और अण्डमान निकोबार, पांडिचेरी और दिल्ली के मुख्य सचिवों, चण्डीगढ़ केन्द्रीय क्षेत्र के प्रशासक व सलाहकार तथा दामन दीव, दादर नागर और लक्ष्यदीप के प्रशासकों को सूचित किया है कि केन्द्र सरकार ने मध्याह्न भोजन योजना के लिये केन्द्रीय सहायता में और सहयोग देने का निर्णय लिया है कि भोजन पकाने के खर्च के लिये 1 सितम्बर 2004 से प्रत्येक स्कूल को प्रत्येक बालक पर 1 रुपया और उपलब्ध कराया जायेगा। इस पत्र में यातायात अनुदान को और बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया है। इसे देखते हुए वर्तमान में पिछली क्रियान्वित न होने के प्रश्न को विचार न करते हुए हम ऐसा कोई कारण नहीं देखते कि 28 नवंबर 2001 के पके हुए भोजन उपलब्ध कराने के आदेश को क्यों नहीं पूर्ण रूप से लागू किया जाए।

6 अक्टूबर 2004 के पत्र से यह बात भी स्पष्ट होती है कि संसद द्वारा अपने शीतकालीन सत्र में केन्द्र सरकार के प्रथम पूरक बजट में पारित होने और आवश्यक अधिनियम लागू होते ही भोजन पकाने के लिये केन्द्रीय सहायता जारी कर दी जायेगी। इस पत्र में ये भी कहा गया है कि ऐसा होते ही भोजन

पकाने के खर्चे की राशि भूतलक्षी प्रभाव से 1 सितम्बर 2004 से दे दी जायेगी।

इस पत्र में यह भी कहा गया है कि अगले कुछ सप्ताहों में विस्तृत नवीकृत मध्याह्न भोजन के दिशा निर्देश जारी कर दिये जायेंगे, जिसमें भोजन पकाने के खर्च को प्राप्त किये जाने की प्रक्रिया निश्चित कर दी जायेगी। इस पत्र में राज्य सरकारों व केन्द्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया गया है कि वे इस पत्र में अभिव्यक्त प्रतिबद्धता को देखते हुए तत्काल अपने उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हुए सभी स्कूलों और ई.जी.एस. व एआईई केन्द्रों में कक्षा एक से पाँच तक पढ़ने वाले स्कूलों में मध्याह्न भोजन की व्यवस्था करें।

उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए हम ये निर्देश देते हैं कि इस योजना के अंतर्गत आने वाले सभी बच्चों को राज्य सरकारें व केन्द्र शासित प्रदेश मध्याह्न भोजन उपलब्ध करायेंगे, और इसमें जनवरी 2005 से देरी नहीं होनी चाहिए। सभी मुख्य सचिव 16 दिसम्बर 2004 तक इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करेंगे कि इस आदेश के क्रियान्वयन के संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं। जनवरी 2005 के दूसरे सप्ताह तक वे आगे ये शपथपत्र प्रस्तुत करेंगे, जिनमें सभी योग्य बालकों को पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने का विवरण होगा।

योजना के क्रियान्वयन की देख–रेख की जिम्मेदारी अनिवार्य रूप से केन्द्र सरकार की है क्योंकि केन्द्र सरकार ही इसके लिये सहायता उपलब्ध करवा रही है। 6 अक्टूबर 2004 के पत्र से संकेत मिलता है कि कार्यक्रम के प्रबंधन, देख–रेख व आकलन के उद्देश्य से दिशा–निर्देशों को नवीकरण किया जा रहा है। हम ये निर्देश देते हैं कि केन्द्र सरकार चार सप्ताह के अंदर ये दर्शाते हुए एक शपथ पत्र प्रस्तुत करे कि किस प्रकार मध्याह्न भोजन की योजना का प्रबंधन, देख रेख, व आकलन करना प्रस्तावित करती है, ताकि इस योजना का लाभ उन तक पहुंच पाये जिनके लिये यह बनाई गई है। हम ये स्पष्ट कर देना चाहते है कि राज्य सरकारें व केन्द्र शासित प्रदेश इस योजना के क्रियान्वयन को जनवरी 2005 से अधिक समय इस आधार पर नहीं ले सकेंगे कि केन्द्र सरकार ने आवश्यक सहायता उपलब्ध नहीं कराई है। योजना का क्रियान्वयन तुरंत होना चाहिए और भोजन पकाने का खर्च 6 अक्टूबर 2004 के पत्र के आधार पर केन्द्र सरकार से प्राप्त किया जा सकता है। वास्तव में इस पत्र की ये मंशा

है कि ये सरकारें अपने उपलब्ध संसाधनों को काम में ले, बाद में वो राशि केन्द्र सरकार से वसूल कर लें।

अन्त्योदय अन्न योजना

ये योजना सबसे गरीब व्यक्तियों के लिये बनाई गई है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के अधिकारी व्यक्ति को एक लाल कार्ड जारी किया जाता है। इस लाल कार्ड से वो सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान से अत्यंत अनुदानित दर पर अनाज व चावल प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। ये दर वर्तमान में गेहूं के लिये 2 रुपये प्रति किलोग्राम तथा चावल के लिये 3 रुपये प्रति किलोग्राम है।

सर्वप्रथम सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जिन व्यक्तियों को लाल कार्ड जारी किया जा चुका है, उन्हें उनके हक के मुताबिक चावल और गेहूं उपलब्ध कराया जाए। ये भी महत्वपूर्ण है कि इस वर्ग में जो लोग आते हैं, उनकी तुरंत पहचान की जाए। विशेष ध्यान उन घुमक्कड़ समूह पर दिया जाए, जिनके बारे में बताया गया है कि ये महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, झारखण्ड और मध्य प्रदेश में हैं, जिनकी अभी भी बड़ी संख्या में पहचान की जानी हैं, कार्ड जारी करने हैं, और अनाज उपलब्ध कराने हैं। हम सभी राज्य सरकारों को ये निर्देश देते हैं कि इस वर्ष के अंत तक इस योजना के अंतर्गत आने वाले लोगों की पहचान करने व कार्ड जारी करने की प्रक्रिया पूरी कर दी जाए, ताकि उसके तुरंत बाद उन्हें अनाज उपलब्ध कराना प्रारंभ किया जा सके।

हमें यह बताया गया है कि लाल कार्ड धारकों को अनाज उपलब्ध कराने पर दुकानदारों को कोई कमीशन नहीं दिया जाता है। विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री परासरण का कहना है कि इस संबंध में दिशा–निर्देश बनाये जा रहे हैं। केन्द्र सरकार 8 सप्ताह के भीतर इन दिशा निर्देशों के संबंध में शपथ पत्र रिकार्ड पर पेश करेगी।

उद्देश्य ये है कि लाल कार्ड धारकों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में उससे अधिक राशि न देनी पड़े, जो उन्हें मिलने वाले अनाज के लिये देनी है।

मामले की अगली सुनवाई 18 नवम्बर 2004 को होगी।

भारत का सर्वोच्च न्यायालय

(कार्यवाही का रिकार्ड)

रिट याचिका (सिविल) न. 196/2001

पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज

बनाम

भारत संघ एवं अन्य

दिनांक 18 नवम्बर 2004

पीठासीन न्यायाधीश :

1. माननीय न्यायमूर्ति श्री वाय.के.सभरवाल,
2. माननीय न्यायमूर्ति एस.एच.कपाडिया

आदेश

आई.ए.सं. 41/2004

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

इसका नोटिस भारत का केन्द्र व दिल्ली सरकार को जारी किया जाता है, उनके विद्वान अधिवक्ता ने नोटिस स्वीकार किया। प्रत्युत्तर में शपथ पत्र चार सप्ताह में दाखिल हो, जैसा विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है। अपने शपथ पत्र में, दिल्ली सरकार यह भी कहेगी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2001 के तहत नियत सतर्कता समितियों का गठन किया गया, ऐसी उक्त समितियों की कितनी संख्या है, तथा पिछले एक वर्ष में उन समितियों द्वारा किये गये कार्यों का विवरण, प्रत्युत्तर में शपथ पत्र दायर करने के दो सप्ताह की अवधि में वादी प्रत्युत्तर दाखिल करे।

यह आई ए छह सप्ताह पश्चात् प्रस्तुत हो।

आयुक्त के पांचवें प्रतिवेदन में लक्षित जन वितरण प्रणाली के पहलुओं का भी आई.ए.संख्या 41/2004 के साथ ही विचार किया जायेगा।

विभिन्न योजनाओं के तहत रिसाव व असंचालित समस्ताओं तथा सार्वजनिक

वितरण प्रणाली की कार्य विवरण के संबंध में हमें यह बताया गया है कि इन पहलुओं की जांच श्री अभिजीत सेन गुप्ता सदस्य योजना आयोग, तथा डा. स्वामीनाथन, अध्यक्ष कृषक आयोग द्वारा की जा रही है। हम केन्द्रीय सरकार को निर्देशित करते हैं कि वे अपने शपथ पत्र में श्री अभिजीत सेन गुप्ता तथा डा. स्वामीनाथन द्वारा किये जा रहे कार्यों के विषय क्षेत्र का उल्लेख करें क्योंकि हमारे मत में यह सूचना वितरण प्रणाली में सुधार के संबंध में निर्देश जारी करने में सहायक होगी।

वृद्ध निराश्रित की सामाजिक सुरक्षा - अन्नपूर्णा व पेंशन

सामाजिक सहायता के मुद्दे आयुक्त के पांचवे प्रतिवेदन दिनांक अगस्त 2004 के पैरा पांच में सम्मिलित हैं। उस पैरा में राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत् अपर्याप्त आवंटन का वितरण, अपर्याप्त निधि आवंटन, कुछ राज्यों द्वारा अन्नपूर्णा योजना कार्यान्वित करने से पीछे हट जाना, अन्नपूर्णा अन्न योजना में उठान, तथा वृद्ध निराश्रितों का अपर्याप्त आच्छादन जिन्हें पृष्ठ संख्या 3421 से 3427, खण्ड 1 – एच. पेपर बुक पैराग्राफ 5.1 से 5.5 में वर्णित किया गया है तथा इसे नीचे दिया गया है :

पैरा 5 - राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए अपर्याप्त आवंटन

5.1 राष्ट्रीय वृद्ध निराश्रित की सामाजिक सुरक्षा अन्नपूर्णा तथा पेंशन योजना में अपर्याप्त आवंटन – 1998 में राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन के तहत् 'संख्या सीमा' तथा तदनुरूप अर्हक वित्तीय उपायुक्त की गणना 1993–94 के गरीबी आकलन पर आधारित थी। आकलन यह दर्शाता है कि 69 लाख लाभार्थियों को इसके दायरे में लाने की आवश्यकता है। इसके लिये 620 करोड़ का वार्षिक आवंटन राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में आवश्यक है। तथापि न केवल लाभार्थियों की संख्या सीमित है बल्कि ये प्रतिवर्ष घटती जा रही है। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अधीन सहायता प्राप्त कर रहे, पेंशनरों की संख्या वर्ष 2001–2002 में 54 लाख से घटकर वर्ष 2002–2003 में 38 लाख रह गई है, जिसमें महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा उत्तरांचल इस गिरावट में प्रमुख राज्य हैं।

तालिका 1.4

राष्ट्रीय समाज सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत आवश्यकता एवं आवंटन

	कुल आवंटन (राशि करोड़ में)	प्रतिवर्ष कुल आवश्यकता (राशि करोड़ में)	केन्द्रीय आकलन के अनुसार आवश्यकता (राशि करोड़ में)		
वर्ष			रा.वृ.पें.यो.	रा.प.स.यो.	अन्नपूर्णा
2003–04	680	1209	620	572	17
2002–03	680				
2001–02	732				

स्रोत : राष्ट्रीय समाज सहायता योजना एवं अन्नपूर्णा के मार्ग निर्देशिका, ग्रामीण विकास मंत्रालय।

जैसा कि तालिका 1.4 में देखा जा सकता है, केन्द्र द्वारा वर्तमान में निर्धारित संसाधन कहीं भी आवश्यकताओं के समीप नहीं टिकते हैं तथा आवश्यकता के मात्र आधे की ही पूर्ति हो रही है। सभी तीनों योजनाओं के लिये वर्ष 2003–2004 के लिये कुल आवंटन 1209 करोड़ रुपये की आवश्यकता के विरूद्ध मात्र 680 करोड़ रुपये था।

योजना को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से आयुक्त तथा योजना आयोग के मध्य एक सहमति बनी कि राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में आवंटन बढ़ाने के लिये आवश्यक कदम उठाये जाएं। तथापि इस आश्वासन के बावजूद, कि यह वर्तमान वर्ष में ही प्रभाव में लाये जायेंगे, यह अभी तक नहीं किया गया है। जैसा तालिका संख्या 1.5 में देखा जा सकता है। केन्द्र तथा राज्यों द्वारा अपर्याप्त आवंटन ने इस योजना के दायरे को सीमित कर दिया है। बिहार, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश राज्यों में सरकारों की स्वयं की गणनानुसार दायरे में कमी 2 लाख पेंशनभोगी से अधिक है। भारत सरकार के लिये ये आवश्यक है कि केन्द्र के स्वयं के फार्मूलानुसार आवंटन को चालू वर्ष से ही दोगुना किया जाय। राज्यों को समावेश क्षमता में सुधार के लिये सुझावों को दिये जाने के साथ–साथ सम्पूर्ण आवंटन जारी/निर्गत करने का भी आश्वासन भी देना चाहिए।

तालिका 1.5

राष्ट्रीय एवं राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत सीमित विस्तार वर्ष 2003-04

चयनित राज्य	प्रतिवेदित पेंशनर्स की संख्या	पेंशनर्स की निर्धारित की गई सीमा	पेंशन दी जाने वाले संख्या की कमी
वर्ष			
अरूणाचल प्रदेश	715	9200	8485
असम	423	133200	132777
बिहार	419287	1107700	645946
गोवा	3763	4500	737
गुजरात	1673	221600	219927
हरियाणा	50372	86300	35928
हिमाचल प्रदेश	22700	38100	15400
जम्मू–कश्मीर	31404	51100	19696
कर्नाटक	44829	340200	295371
केरल	152475	224900	72425
मध्य प्रदेश	389679	599000	67979
महाराष्ट्र	29447	669800	640353
नगालैंड	3555	13000	9445
पंजाब	45265	62300	17035
राजस्थान	101460	237500	136040
तमिलनाडु	314362	430300	115938
उत्तर प्रदेश	944758	1255200	306702
पश्चिम बंगाल	183333	478400	295067
कुल (भारत)	**4151635**	**6881000**	**2729365**

नोट : पेंशनर्स की निर्धारित की गई सीमा एवं पेंशन दी जाने वाले संख्या में कमी, अविभाजित बिहार, मध्य प्रदेश, तथा उत्तर प्रदेश का है।

स्रोत : ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार

आगे केन्द्र द्वारा 75 रुपये प्रति लाभार्थी मानक का प्रयोग करने हुए पेंशन हेतु आवश्यकता का प्राक्कलन किया गया है। जबकि कई राज्यों द्वारा इस केन्द्रीय

सहायता में योगदान किया गया है फिर भी लाभार्थियों को भुगतान की गई पेंशन का राष्ट्रीय औसत मात्र 120 रुपये प्रति माह पर टिका है। यद्यपि अधिकतर राज्यों में कुल भुगतान की गई राशि (केन्द्र एवं राज्यों का अंशदान) काफी कम है।

जैसा परिशिष्ट तालिका 2.3 में देखा जा सकता है, आन्ध्र प्रदेश, मणिपुर तथा असम जैसे राज्यों ने केन्द्रीय नीति में 1 रुपया भी अंशदान नहीं किया गया है। ओड़िसा, पश्चिम बंगाल, झारखण्ड, बिहार तथा कर्नाटक में पेंशनभोगी मात्र 100 रुपये प्रतिमाह प्राप्त कर रहे हैं, जबकि राज्य निधि में अंशदान किया जा रहा है। केन्द्रीय आबंटन में कम से कम 200 रुपये प्रति पेंशनभोगी प्रति माह की बढ़ोत्तरी आवश्यक है, जिसमें राज्यों का अंश को कम से कम 50 रुपये तक बढ़ाना जरूरी है, जिससे कि कुल राशि सम्मानजनक 250 रुपये प्रति पेंशनभोगी हो जाए। अंत में केन्द्र का लाभार्थियों की संख्या तथा प्रति पेंशनभोगी प्रति माह आवंटित राशि में वृद्धि करना आवश्यक हो गया है। आगे केन्द्र द्वारा आवंटन में वृद्धि, पहचान किये गये पात्र व्यक्तियों की संख्या में तदनुरूप गिरावट की ओर नहीं जानी चाहिये अथवा राज्यों द्वारा अपने स्वयं की निधियों से आबंटित राशि में गिरावट नहीं होनी चाहिए।

5.2 राज्यों द्वारा निधि का अपर्याप्त उपयोग

कुछ राज्य न केवल केंद्रीय पूल में कम योगदान करते हैं, बल्कि वे केन्द्रीय निधियों के शत् प्रतिशत राशि उपयोग को भी सुनिश्चित करने में अक्षम रहते हैं। व्ययों के कम होने के साथ आवंटन भी नीचे की ओर जाता है, जो दुष्चक्र बन जाता है। यह स्थिति पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, बिहार, मेघालय तथा कर्नाटक राज्यों में प्रतिवेदित पेंशनभोगियों की संख्या में गिरावट को काफी सीमा तक स्पष्ट कर सकती है जैसा कि निम्न तालिका संख्या 1.6 में दर्शाया गया है।

पेंशनभोगियों का भुगतान भी अनियमित किया जाता है, वह भी तब तक निधियाँ जिलों तक पहुंचती है। इसका तात्पर्य यह है कि जैसा उच्चतम न्यायालय ने निर्देशित किया है, पेंशन का भुगतान प्रति माह नहीं किया जाता है। बिहार में अगस्त 2003 तक वित्तीय स्वीकृति जारी होने में विलम्ब होने के कारण वित्तीय वर्ष 2003–04 में पेंशन का वितरण नहीं किया गया था। समर्थ समिति द्वारा पेंशन 14 मई को स्वीकृति की गई परन्तु कैबिनेट की मंजूरी दो माह विलम्ब के

पश्चात् 15 जुलाई को ही ली जा सकी। वित्त विभाग द्वारा 4 अगस्त को पेंशन को अनुमोदित किया गया तथा 8 अगस्त को जारी करने का सरकारी आदेश जारी किया और राज्य के अंश को अंततः 12 अगस्त को निर्गत किया गया। बिहार सरकार ने यह कहा है कि 10.56 करोड रुपये जिलों को वर्ष 2002–03 में नहीं भेजा जा सका क्योंकि भारत सरकार से आबंटन केवल 29 मार्च को प्राप्त हो सका। तद्यापि यह तर्क मान्य नहीं है क्योंकि राज्य अपने स्वयं के आयोजन निधियों से राशि निर्गत कर सकता था। क्योंकि वर्ष में पहले ही योजना आयोग ने यह अनुमोदित कर दिया था और तत्पश्चात् उसकी प्रतिपूर्ति का दावा भारत सरकार से कर सकता था।

तालिका संख्या 1.6
भारत एवं चयनित राज्यों में राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत प्रतिवेदन लाभान्वितों की संख्या में कमी

चयनित राज्य	प्रतिवेदित लाभार्थी (संख्या लाखों में)	
	2002–03	2001–02
सम्पूर्ण भारत	38	54
पश्चिम बंगाल	1.8	3.3
बिहार	4.1	6.3
महाराष्ट्र	0.29	3.9
कर्नाटक	0.44	1.8
उत्तराखंड	0.04	0.45
मेघालय	0.26	0.3

स्रोत : ग्रामीण विकास मंत्रालय, द्वारा राष्ट्रीय समाज सहायता एवं अन्नपूर्णा योजना के लिये जारी दिशा निर्देश और प्रस्तुत प्रतिवेदन।

गत वित्तीय वर्ष से झारखण्ड की स्थिति अपेक्षाकृत अधिक दुखद है। मार्च 2004 में झारखण्ड सरकार वित्तीय वर्ष 2003–04 की वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं कर सकी थी। अतः झारखण्ड के पेंशनभोगी को पूरे साल अपनी अधिकारिता से वंचित रहना पड़ा है। इस वर्ष मार्च माह में डॉ. एन. सी. सक्सेना के राज्य दौरे के पश्चात् ही श्रम सचिव को अहसास हुआ कि योजना परिवर्तित हो चुकी थी

और अब यह राज्य के आयोजन का एक हिस्सा बन गई है। राज्य सरकार के कर्मचारियों की उदासीनता व निष्ठुरता ने लाखों गरीब, वृद्ध व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा लाभों से वंचित कर दिया, जो अक्षम्य है।

5.3 अन्नपूर्णा योजना से पीछे हटने की स्थिति :

वर्ष 2002 में केन्द्रीय मार्गदर्शिका में संशोधन किये गये, जिसमें राज्यों को अन्नपूर्णा व पेंशन से चुनने का लचीलापन प्रदान किया गया। फलस्वरूप, मध्य प्रदेश, असम, गुजरात, तमिलनाडु, दिल्ली व कर्नाटक सहित कुछ राज्यों में अन्नपूर्णा योजना को समाप्त कर दिया गया। आयुक्त की पूर्व रिपोर्ट में तथ्य को उजागर किया गया था कि कुछ राज्यों ने किसी विकल्प को प्रदान किये बिना न्यायालय के आदेशों से आच्छादित योजनाओं को बन्द कर दिया। मध्य प्रदेश के मामले को पूर्ण रूप से उठाया गया था जिसमें अन्नपूर्णा को पेंशन योजना से प्रतिस्थापित के आदेश जारी होने के पश्चात् भी एक वर्ष से अधिक अवधि में भी ऐसा करने में विफल रहा है। एक तरफ अन्नपूर्णा योजना को राज्य ने दिनांक 31 जनवरी 2003 से बन्द कर दिया था, इस आश्वासन के साथ कि समस्त पूर्व लाभार्थियों को पेंशन प्रदान की जाएगी। परन्तु यह कार्यवाही मार्च 2004 तक एक वर्ष से अधिक की अवधि के उपरान्त भी शुरू नहीं की गई। इसके अतिरिक्त आयुक्त के प्रतिनिधियों के दौरों के पश्चात् धार जिले में वास्तविक लाभार्थियों की पहचान का काम भी प्रारंभ किया गया। यहां तक कि धार जिले में केवल वास्तविक लाभार्थियों का प्रतिस्थापन किया जा रहा है और उनको बिना किसी मदद के छोड़ दिया गया है। आयुक्त को पात्र व्यक्तियों से चयनात्मक पहचान के कारण पेंशन प्रदान न करने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। उपरोक्त जिले में 2928 अन्नपूर्णा लाभार्थियों में से मात्र 1499 ही पेंशन हेतु पहचान किये गये। यद्यपि मध्य प्रदेश का मामला उजागार किया गया है, परन्तु अन्य जगहों में भी स्थिति ऐसी ही है। असम के बोनगाई गांव, गोलपाड़ा, डुबरी और कोकराझार जिलों में हाल में ही किये गये सर्वेक्षण से पता चलता है कि अन्नपूर्णा योजना जिसे नवम्बर 2001 में बंद कर दिया गया था, को प्रतिस्थापित करने का कोई भी उपाय नहीं किया गया है।

इस बीच न्यायालय के आदेश जो अप्रैल 2004 में पारित हुए हैं, उनके अनुसार योजना की बहाली अभी करना शेष है व आदेश में यह निर्देश दिये गये हैं –

''कोई भी योजना जिसमें राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार सुविधा योजना, विशेषकर अन्नपूर्णा तथा राष्ट्रीय लाभ योजना सम्मिलित है, जो इस न्यायालय के आदेशों के दायरे में हैं। उसे बंद अथवा समाप्त नहीं की जायेगी। इसका तात्पर्य यह है कि अगले आदेशों तक ये योजनाएं चालू रखते हुए उन लोगों को जो योजना के दायरे में आते है, उन्हें लाभ प्रदान करते रहेंगे।

वास्तव में अन्नपूर्णा योजना की कल्पना पेंशन के लिये पात्र समूह के हितार्थ की गई थी, जिन्हें कि यह प्राप्त नहीं हो रही है। राष्ट्रीय व राज्य दोनों की पेंशन येाजना एक है जो सापेक्ष दक्षता से काम कर रही प्रतीत हो व अन्नपूर्णा को पेंशन में परिवर्तित करने का विचार मूल्यवान परीक्षण साबित हो। तथापि यदि राज्य सरकारें अन्नपूर्णा योजना को चालू रखने की इच्छुक ना हो, तो इस आश्वासन के साथ ही किया जा सकता है कि पूर्व योजना के दायरे में आये प्रत्येक व्यक्ति की पेंशन योजना में होगी। यह भी न्यायालय के अनुमोदन के पश्चात् किया जा सकेगा। यह स्थिति पेंशनभोगियों की संख्या में पर्याप्त बढ़ोतरी के रूप में प्रतिबिंबित होना चाहिए जो अभी तक नहीं हो सका है। जो वास्तव में पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, उनकी संख्या जैसे पहले ही उजागार किया जा चुका है, जो पहले तीन वर्षो में नीचे की ओर चली गई है।

5.4 अन्नपूर्णा के अंतर्गत उठान

जैसा तालिका 1.7 में देखा जा सकता है, अन्न का उठान व आवंटन की प्रतिशत्ता में 97 प्रतिशत रहा। तथापि इस प्रभाव पूर्ण राष्ट्रीय आंकड़े के विस्द्ध उठान का औसत 42 प्रतिशत जिसमें महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार व अरूणाचल प्रदेश में रहा और दिल्ली में यह नगण्य था। इसका कारण केंद्र द्वारा आवंटन में विलम्ब है। पश्चिम बंगाल सरकार के अनुसार योजना अप्रैल से लेकर जून 2003 के मध्य क्रियान्वित नहीं रही, क्योंकि उक्त अवधि का आवंटन भारत सरकार ने नहीं किया। उसके पश्चात् आवंटन जुलाई व अगस्त का ही प्राप्त हुआ। अल्प उठान के अन्य कारण जो ध्यान में आए हैं, उनमें लाभार्थियों की अपूर्ण पहचान की समस्या (पश्चिम बंगाल), समन्वयता की समस्या और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उपरोक्त लिखित पैरा में वर्णित अनावश्क क्रियावधि नियमावली है।

तालिका 1.7
अन्नपूर्णा के अंतर्गत आवंटन और उठान वर्ष 2003-04

राज्य/संघ राज्य	आवंटन (संख्या '000 टन में)	उठान (संख्या '000 टन में)	उठान (प्रतिशत में)
अरूणाचल प्रदेश	1	0	28
बिहार	20	10	69
दिल्ली	0	0	0
जम्मू–कश्मीर	1	0	0
महाराष्ट्र	4	1	20
मेघालय	1	0	0
पश्चिम बंगाल	10	4	50
सम्पूर्ण भारत	123	90	97

स्रोत : मासिक खाद्यान्न बुलेटिन, मार्च 2004

5.5 वृद्धों का अपर्याप्त समावेश

राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन में अल्प आवंटन तथा अन्नपूर्णा प्रत्याहरण के फलस्वरूप, दोनों कल्याणकारी योजनाओं के दायरे में पहचान किये गये व्यक्तियों की संख्या अत्यधिक सीमित स्तर पर है। अगस्त 2003 में उत्तराखंड, गुजरात, पंजाब, असम, मणिपुर, झारखंड व नागालैंड सरकारों द्वारा राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना व अन्नपूर्णा में वर्ष 2003–04 के लिये कोई भी राशि प्रदान नहीं की गई। इसका तात्पर्य है कि इन कार्यक्रमों में पहचान किए गए व्यक्तियों को कोई भी सहायता वित्तीय वर्ष के प्रथम पाँच माह में प्राप्त नही हो सकी। कम से कम झारखंड के मामले में वर्ष 2003–04 की अधिकांश अवधि में इस स्थिति में परिवर्तन नहीं हुआ और अनेकों व्यक्तियों को पेंशन लाभ से पूरे वर्ष वंचित रहना पड़ा।

जहां तक वृद्ध निराश्रित के वास्तविक समावेश का प्रश्न है, मंत्रालय के प्रारंभिक लक्ष्य से संख्या काफी कम रही है। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना व अन्नपूर्णा के अन्तर्गत आकलित पात्र 82 लाख लाभार्भियों की संख्या के विरूद्ध, दोनों योजनाओं में से किसी एक योजना में पहचान किये लाभान्वित व्यक्तियों की

कुल संख्या 73 लाख है। यह भी तब है, जबकि कुछ राज्यों में जैसे कि मध्य प्रदेश व तमिलनाडु में एक सार्थक संख्या की पहचान की गई, जिसके लिये बिना किसी केंद्रीय सहायता के राज्य बजट से प्रावधान किया गया है। जैसा तालिका 1.8 में देखा जा सकता है: गुजरात, महाराष्ट्र, असम, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार में इन योजनाओं में समावेश की गई वृद्धों की संख्या बहुत कम है।

तालिका 1.8
अन्नपूर्णा पेंशन योजना के अंतर्गत राज्यवार स्थिति

राज्य	राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन और अन्नपूर्णा योजना की तय सीमा	अन्नपूर्णा के अंतर्गत प्रतिवेदित लाभार्थी (03-04)	राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना और राज्य पेंशन योजना के प्रतिवेदित लाभार्थी (03-04)	दोनों योजनाओं के अंतर्गत कवर हुई कुल संख्या	कवर होने वालों का प्रतिशत
असम	159840	0	423	423	0
बिहार	1329240	166601	492000	658601	50
गोवा	5400	0	3763	3763	70
गुजरात	265920	65051	1673	66724	25
हरियाणा	103560	0	50372	50372	49
हिमाचल प्रदेश	45720	5484	22700	28184	62
जम्मू–कश्मीर	61320	0	31404	31404	51
कर्नाटक	408240	0	340000	340000	83
केरल	269880	44500	152475	196975	73
महाराष्ट्र	803760	20000	29447	49447	6
नागालैंड	15600	0	3555	3555	23
पंजाब	74760	0	45265	45265	61
उत्तर प्रदेश	1506240	0	944758	944758	63
पश्चिम बंगाल	574080	65000	316698	381698	66
सम्पूर्ण भारत	8267824	655730	6673646	7329376	89

स्रोत : अन्नपूर्णा और रा.वृ.पें.यो. की मार्गदर्शिका और राज्यों द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के साथ ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार तथा राज्यों से किये गये पत्राचार।

राष्ट्रीय समाज सहायता कार्यक्रम का हिस्सा है जो 15 अगस्त 1995 से प्रभाव

में आया है। यह एक केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रम है, जिसमें राज्यों, केन्द्र राज्य क्षेत्रों को केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित मार्गदर्शिका सिद्धांतों, शर्तों, व मानकों के अनुसार लाभ प्रदान करने हेतु 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी गई है। योजना आयोग ने ग्रामीण विकास मंत्रालय से विचार–विमर्श कर इस योजना की समीक्षा की, जिसके फलस्वरूप यह निर्णय किया गया कि राष्ट्रीय समाज सहायता कार्यक्रम तथा अन्नपूर्णा योजना की वित्तीय वर्ष 2002–03 से राज्य आयोजन में हस्तांतरण कर दिया जाए। अन्य के साथ–साथ योजना के हस्तांतरण करने के निर्देशों में यह भी कहा गया है कि राज्यों, केंद्र राज्य क्षेत्रों को योजनाओं को चुनने व कार्य निर्गत करने में अपेक्षित लचीलापन प्रदान करेगा।

यह भी प्रावधान है कि राज्यों/केन्द्र शासित राज्यों के क्षेत्रों को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में वित्त मंत्रालय योजना को चलाने हेतु निधियां प्रदान करेगा। सुनवाई के समय हस्तांतरण के संबंध में कुछ संदेह उत्पन्न हुए कि क्या केन्द्र द्वारा राष्ट्रीय समाज सहायता कार्यक्रम के अतिरिक्त केंद्रीय सहायता 100 प्रतिशत जारी रहेगी या कम कर दी जायेगी। श्री मोहन परासरण, विद्वान अतिरिक्त महा सॉलिसिटर संबंधित विभाग से प्राप्त निर्देशों पर हमें यह सूचित किया है कि 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता राष्ट्रीय समाज कार्यक्रम के तहत राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को जारी रखी जा सकती है।

समस्या की प्रकृति को समझने के लिये यह ध्यान में रखना होगा कि अन्नपूर्णा योजना में लाभार्थी निःशुल्क 10 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति माह प्राप्त करने का अधिकारी है तथा राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अधीन लाभार्थियों को 75 रुपये प्रति माह प्राप्त का अधिकारी है। लाभान्वित व्यक्ति अन्नपूर्णा योजना में खाद्यान्न प्राप्त करने अथवा राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में नगद पेंशन प्राप्त करने का अधिकारी है। आगे एक अन्य योजना राष्ट्रीय परिवार सुविधा योजना में परिवार का पोषण करने वाले व्यक्ति की मृत्यु होने पर आय के स्रोत के दृष्टिगोचर न होने की दशा में आश्रित परिवार एकमुश्त धनराशि 10 हजार रुपये प्राप्त करने का अधिकारी है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से अन्नपूर्णा राष्ट्रीय समाज सहायता कार्यक्रम के संबंध में 4 नवम्बर 2004 को दायर शपथ पत्र का हमने अवलोकन किया, उक्त शपथ पत्र का अंश निम्न है –

अन्नपूर्णा राष्ट्रीय समाज सहायता कार्यक्रम

अन्नपूर्णा एवं राष्ट्रीय समाज सहायता कार्यक्रम के संबंध में आयुक्त के निष्कर्ष के बारे में यह कथन है कि अन्नपूर्णा योजना तथा राष्ट्रीय समाज सहायता कार्यक्रम में सम्मिलित राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना तथा राष्ट्रीय परिवार सुविधा योजना को वर्ष 2002–03 से राज्य आयोजन में हस्तांतरण कर दिया गया था। योजनाओं के हस्तांतरण के पश्चात् राज्यों/केन्द्र राज्यों के क्षेत्रों में राष्ट्रीय समाज सहायता कार्यक्रम तथा अन्नपूर्णा योजना में दी जाने वाली कुल अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता योजना आयोग द्वारा निर्धारित की गई है। योजनाओं को लागू करने हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को प्रदान की जाने वाली निधियां वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय द्वारा दी जा रही है। इन योजनाओं के हस्तांतरण के पश्चात् राज्यों/केन्द्र राज्य क्षेत्रों को योजनाओं के चुनने व लागू करने में लचीलापन प्रदान किया गया है। योजनाएं लक्ष्य तथा इसका दायरा राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित व निश्चित किया जाता है और योजना आयोग द्वारा किये गये आवंटन के संबंध में राज्य सरकारों के प्रयत्नों के रूप में किया जाता है। जैसा कि योजना एवं राज्यों को हस्तांतरित की जा चुकी है, संबंधित राज्यों का यह दायित्व है कि वे यह सुनिश्चित करें कि माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का पालन हो और लाभार्थियों को उनके लाभ प्रदान किये जाएं।

हमने ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त शपथ पत्र में कहे गये उक्त मार्गनिर्देशिका सिद्धांत का भी अवलोकन किया जो उक्त योजनाओं के हस्तांतरण के समय जारी किये गये थे। उक्त मार्ग निर्देशिका सिद्धांत के पैरा (2), (6) व (8) में निधियों का आबंटन, निधियों का निर्गमन व देख–रेख करने का वर्णन है। उक्त पैराग्राफ निम्न प्रकार से है –

निधियों का आवंटन

2. राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के क्षेत्रों को राष्ट्रीय समाज सहायता कार्यक्रम व अन्नपूर्णा योजना में दिये जाने वाली कुल अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता, योजना आयोग द्वारा निर्धारित की जायेगी। राज्यवार अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता का आवंटन ग्रामीण विकास मंत्रालय व योजना आयोग द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रीय समाज सहायता

कार्यक्रम व अन्नपूर्णा योजना में अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता का प्रयोग राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के क्षेत्र के वृद्धावस्था पेंशन, परिवार सुविधा योजना, वृद्धों को मुफ्त अनाज वितरण में से किसी एक अथवा दो अथवा तीनों या अन्य किसी योजना के साथ अपने स्वयं की आवश्यकताओं व प्राथमिकताओं के अनुसार कर सकते हैं।

निधियों का निर्गमन

वित्त मंत्रालय द्वारा वित्तीय वर्ष के दिसम्बर माह तक समान मासिक किस्तों में अपने आप ही राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के क्षेत्रों को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता जारी कर दी जायेगी। यद्यपि वित्तीय वर्ष के अन्तिम तीन महीनों क्रमशः जनवरी, फरवरी व मार्च की त्रैमासिक अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता निधियों का 50 प्रतिशत राज्यों/केन्द्र राज्य के क्षेत्रों द्वारा वित्तीय वर्ष में 31 दिसम्बर तक अवश्य उपयोग कर लिया जाना होगा, ताकि वित्तीय वर्ष के शेष तीन माह जनवरी, फरवरी व मार्च के तिमाही की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की किस्त का भुगतान जारी करने से पहले राज्यों/केन्द्र राज्य के क्षेत्रों को पिछले वित्तीय वर्ष में जारी निधियों के उपयोग का प्रमाण पत्र ग्रामीण विकास मंत्रालय को प्रस्तुत करना होगा।

इस अंतिम दिवस की उपयोगिता की स्थिति ग्रामीण विकास मंत्रालय को आवश्यक रूप से राज्यों/केन्द्र राज्य के क्षेत्रों के द्वारा 15 जनवरी तक प्रस्तुत कर दी जानी है। तदुपरांत इन रिपोर्ट की जांच कर, वह विभाग वित्त मंत्रालय को अंतिम तिमाही की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की राशि जारी करने की सिफारिश करेगा।

देख-रेख (मॉनिटरिंग)

राज्यों/केन्द्र राज्य के क्षेत्रों को किसी भी राज्य सरकार के विभाग के माध्यम से योजनाओं को लागू करने की स्वतंत्रता रहेगी। यद्यपि वे राज्य स्तर पर योजनाओं को लागू करने से संबंधित विभिन्न विभागों में योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति रिपोर्ट हेतु समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से एक नोडल सचिव नियुक्त करेंगे। योजनाओं की प्रगति की रिपोर्ट त्रैमासिक रिपोर्ट द्वारा अगले माह की 15 तारीख तक देख–रेख (मॉनिटरिंग) फार्म पर प्रस्तुत की जानी है। भौतिक तथा वित्तीय प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत न करना, प्रगति रहित क्रियान्वयन

माना जायेगा और इसके कारण वित्तीय वर्ष के अंतिम त्रैमासिक की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता को जारी नहीं की जायेगी। जैसा कि योजनाओं हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता का आवंटन वित्तीय वर्ष के अंत में निष्प्रभावी हो जाएगा। अतः यह किस्तें अगले वित्तीय वर्ष में निर्गत नहीं की जा सकती, चाहे एक राज्य सरकार प्रगति रिपोर्ट उपरोक्त अंतिम तिथि के पश्चात् भी प्रस्तुत कर दें।

आगे यह प्रतीत होता है कि कुछ राज्यों में अन्नपूर्णा योजना बंद कर दी गई है। योजना बंद करने का प्रभाव यह है कि वृद्ध, निराश्रितों को खाद्यान्न की पूर्ति जो वह पहले प्राप्त कर रहे थे, वह प्राप्त नहीं कर सकेंगे। आवश्यकता इस बात की है कि राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत् पेंशन उन्हें प्रदान की जानी चाहिये। परन्तु हम नहीं जानते कि ऐसे लाभान्वित को राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में स्वयं पेंशन हेतु समावेश किया जाता है अथवा नहीं। राज्य सरकारें अपने शपथ पत्रों में यह कथन प्रस्तुत करेंगी कि वास्तव में अन्नपूर्णा योजना के बंद होने पर क्या स्थिति उत्पन्न हुई है। यह कहना आवश्यक नहीं है कि लाभान्वित अन्नपूर्णा या राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में से किसी एक योजना के तहत लाभ प्राप्त करते रहेंगे।

उपरोक्त विवरण तथा आयुक्त की रिपोर्ट से यह प्रतीत होता है कि पिछले तीन वर्षों 2001–02, 2002–03, व 2003–04 में कुल आवंटन लगभग 50 प्रतिशत रहा है। तालिका 14 में दिये गये आंकड़ों के अनुसार कुल आवश्यकता 1209 करोड़ रुपये प्रति वर्ष थी, जबकि आबंटन 680 करोड़ रुपये रहा। यह भी प्रतीत होता है कि अल्प आवंटन, प्रथम दृष्टया राज्य सरकारों द्वारा अंतिम तिथि को कम उपयोगिता के कारण हुआ। इसके मद्देनजर हमारे द्वारा अन्य निर्देश जारी करने से पहले सभी राज्य सरकारों/केन्द्र राज्य क्षेत्रों को निर्देश दिया जाना आवश्यक है कि वे राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत् केन्द्रीय सरकार से प्राप्त अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की प्राप्ति का तिथि सहित विवरण तथा उपरोक्त पिछले तीन वर्षों में इसके उपयोग का तिथिवार विवरण देते हुए अपने शपथ पत्र दायर करें, ऐसे शपथ पत्र चार सप्ताह के अंदर दायर किये जाने चाहिये।

निधियों के उपयोग किये जाने के संबंध में यह प्रतीत होता है कि लचीलेपन के नाम पर एक अधिकतम सीमा तक संदेह बना है कि उपरोक्त लिखित

मार्गदर्शिका में वर्णित है। जब तक कि मामले में उपयोगिता के संबंध में स्पष्टीकरण नहीं कर दिया जाता, हम यह आदेश देते हैं कि राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत् केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को दी जा रही अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता किसी अन्य योजना में हस्तांतरित नहीं की जायेगी। तथापि हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि उक्त योजना में लाभार्थियों को लाभ प्रदान किये जाते रहेंगे, जो लाभ राज्य सरकार उन्हें अन्य अतिरिक्त लाभ जो राज्य सरकार उन्हें दे रही थी, उसे निरंतर प्रदान करती रहेगी। इस आदेश के कारण कोई भी लाभ का प्रदान करना तथा अगले आदेशों तक किसी भी राज्य सरकारों/केन्द्र राज्य क्षेत्रों द्वारा बंद नहीं किया जायेगा।

इस प्रकरण को जनवरी 2005 के गैर विविध दिवस के दिन प्रस्तुत किया जाए।

भारत का सर्वोच्च न्यायालय

रिट याचिका (दिवानी) संख्या 196 – 2001

पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज – याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ एवं अन्य – प्रतिवादी

दिनांक 09.05.2005

(साथ में अंतरिम राहत, अंतरिम निर्देश, अवधि विस्तार, निर्देश, हस्तक्षेप, न्यायालय के आदेश दिनांक 7.10.04 में संशोधन, के लिए दायर याचिका और ऑफिस रिपोर्ट) (इनके अलावे भी विचार हेतु)

पीठासीन न्यायाधीश :

माननीय न्यायाधीश वाई. के. सभरवाल

माननीय न्यायाधीश एस. एच. कपाड़िया

आदेश

आईए संख्या 37 और 54

आईए संख्या 37 द्वारा राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना में परिवर्तन करने और जननी सुरक्षा योजना नामक नई योजना को लाभ करने की स्वीकृति मांगी गई। जबकि आईए 54 में प्रार्थना की गई कि राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना के तहत बीपीएल माताओं को मिलने वाली सामाजिक सहायता जिसमें 500 रू. की देयता भी शामिल है, को घटाकर या कम कर योजना में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। हमने अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल से अनुरोध किया कि वे हलफनामा दायर कर लागू की जाने वाली इस नई योजना के बारे में कुछ और जानकारी दें। कुछ और जानकारियों में शामिल होंगी आवासीय स्थल से लोक स्वास्थ्य केंद्र की दूरी और परिवहन की सुविधा। आयुक्त भी मामले की पूरी जांच करेंगे और रिपोर्ट दायर करेंगे। याचिका का जबाव आठ दिनों के भीतर दायर कर दिया जाना चाहिए। इस बीच, मौजूदा राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना जारी रहेगी।

श्री कोलिन गोंसाल्विस के मौखिक अनुरोध पर हम अनुमति देते हैं कि हर्ष मंदर आयुक्त डॉ. सक्सेना को सहायता प्रदान करते रहेंगे।

अगस्त 2004 की पांचवी रिपोर्ट में आयुक्त ने उल्लेख किया था कि जमीनी स्तर पर जन वितरण प्रणाली ढंग से काम नहीं कर रही है, गरीबी रेखा से नीचे जी रहे अधिकांश गरीब लोगों को बीपीएल राशन कार्ड जारी नहीं किया गया है। इस न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है और इस तथ्य की पुष्टि के लिए अनुशंसाओं के साथ विस्तृत जानकारी पृष्ठ संख्या 3411 से 3421 तक में दी गई है। अनुशंसा यह है कि मुख्य सचिव ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने में हिचकने वाले अधिकारियों के खिलाफ जरूरी कार्रवाई पक्की की जा सके, लोगों से प्राप्त शिकायतों को दूर करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और समय सीमा तय करने के लिए राज्य सरकार समितियों का गठन करेंगी, शिकायतों को सुनने और निश्चित समय के अंदर शिकायतों को दूर करने के लिए एक स्वतंत्र लोक सेवा आयोग का गठन किया जाए और उसे इतनी शक्ति और वित्त मुहैया किया जाए कि वह काम कर सके और न्यायालय के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कर सके। कुछ राज्यों का जो उल्लेख किया गया है राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, दिल्ली, बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और असम। राज्य सरकारों ने इस रिपोर्ट का कोई जवाब नहीं दिया। श्री गोंसाल्वेस ने शिकायत की कि न्यायालय के आदेश के हो रहे उल्लंघन को दर्शाते हुए लिखे गए आयुक्तों के पत्रों के बावजूद कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई। विद्वान अधिवक्ता ने सुझाव दिया कि उल्लंघन करने वालों का लाईसेंस रद्द कर दिया जाना चाहिए और जन वितरण का काम पंचायत या किसी अन्य निकाय को दे दिया जाना चाहिए। इसके पहले कि हम इस परिप्रेक्ष्य पर विचार करें, हम उचित समझते हैं कि रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए राज्य सरकारों को एक मौका और दिया जाना चाहिए, विशेषकर वे राज्य जिनका रिपोर्ट में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। वे आठ सप्ताह के भीतर अपना जबाव दायर करें।

आईए संख्या 45

सिर्फ दिल्ली राज्य को नोटिस जारी की जाती है। विद्वान अधिवक्ता श्री अशोक भान नोटिस स्वीकार करते हैं। जवाब आठ सप्ताह के भीतर दायर किए जाएं।

आईए संख्या 48

आठ सप्ताह के अंदर इस आवेदन का जवाब दायर किया जाए।

संख्या 50

इस आवेदन में जो प्रार्थना की गई है उसे मंजूर नहीं की जा सकती है। अगर आवेदन बीपीएल कार्ड जारी नहीं किए जाने से दुखी है तो वे कोई दूसरा उचित तरीका अपना सकती हैं। आईए खारिज किया जाता है। शेष मामला स्थगित किया जाता है।

भारत का सर्वोच्च न्यायालय

कार्यवाही का रिकॉर्ड
रिट याचिका (दिवानी) संख्या 196 – 2001
पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम
भारत संघ एवं अन्य
दिनांक 14.02.2006

(साथ में अंतरिम राहत, अंतरिम निर्देश, अवधि विस्तार, रिकॉर्ड पर अतिरिक्त कागजात लाने के लिए निर्देश एवं अनुमति, 7.10.2004 के न्यायालय के आदेश में बदलाव और अनुमति के लिए दायर याचिका और ऑफिस रिपोर्ट) साथ में विशेष अनुमति याचिका (दिवानी) संख्या 17906–2003 (साथ में विशेष अनुमति याचिका दायर करने में हुए विलंब को माफ करने के लिए दायर आवेदन और रिकॉर्ड पर अतिरिक्त कागजात लाने के लिए अनुमति और ऑफिस रिपोर्ट)

पीठासीन न्यायाधीश :

माननीय न्यायाधीशः अशोक भान
माननीय न्यायाधीशः एस.एच.कपाड़िया

आदेश

पक्षों के अधिवक्ताओं ने कहा कि याचिकाकर्ताओं और ग्रामीण विकास मंत्रालय, उपभोक्ता कार्यपालक, खाद्य एवं जन वितरण मंत्रालय, भारत सरकार के बीच समझौते हो गए हैं।

शर्तें इस प्रकार हैं :

1. लक्षित जन वितरण के तहत राज्यों को केन्द्रीय सरकार द्वारा अनाज का आवंटन 1993–94 में योजना आयोग द्वारा किए गए गरीबों के राशन का आकलन जो भारत के महाप्रबंधक के जनसंख्या रजिस्टर में 1.3.2000 में अंकित जनसंख्या का 36 प्रतिशत होता है या राज्य सरकार द्वारा चिह्नित किए गए परिवारों और जारी किए गए राशन कार्ड में से जिसकी भी संख्या कम होगी, उसी के आधार पर होगा।
2. ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना शुरू होने से पहले गरीबी रेखा से नीचे जीने वालों की गणना के तरीके का खाका भोजन का अधिकार के मामले में रिट संख्या 196–2001 में सर्वोच्च न्यायालय के आयुक्त से परामर्श कर ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा तैयार कर लिया जाएगा।
3. बीपीएल सूची को तैयार करने में यह प्रावधान रखा जाएगा कि उसके जारी रहने के दरम्यान भी उसमें नए नाम जोड़े जा सकें और अनुप्रयुक्त नामों को हटाया जा सके।

पक्षों के बीच हुए उपर्युक्त समझौते के मद्देनजर याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि जैसा कि 15.12.2005 को इस न्यायालय द्वारा अतिरिक्त हलफनामा दायर करने का कहा गया था, उसकी अब जरूरत नहीं है।

तमाम पक्षों के वकीलों ने कहा कि समझौते की शर्तें पर आईए संख्या 25, 26, 31, 32, 48 और 53 का निष्पादन कर दिया जाए। इसी अनुरूप आदेश दिया जाता है। 5 मई 2003 को दिया गया स्थगन आदेश रद्द किया जाता है।

चार सप्ताह के लिए मुकदमे की सुनवाई स्थगित की जाती है।

भारत का सर्वोच्च न्यायालय

रिट याचिका (दिवानी) संख्या 196 – 2001

पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज

बनाम

भारत संघ एवं अन्य

दिनांक 12.07.2006

(साथ में अंतरिम राहत, अंतरिम निर्देश, अवधि विस्तार और निर्देश और हस्तक्षेप और 07.10.04 को दिए गए इन न्यायालय के आदेश में संशोधन और एक पक्षीय स्थगन और आवश्यक निर्देश हेतु दायर याचिका)

साथ में विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) संख्या 17906–2003

(साथ में विशेष अनुमति याचिका दायर करने में हुई देरी को माफ करने और अतिरिक्त कागजात रिकॉर्ड पर लाने की अनुमति पाने और ओटी दायर करने से छूट और निर्देश के लिए दायर याचिका और ऑफिस रिपोर्ट)

पीठासीन न्यायाधीश

माननीय न्यायाधीश अरिजित पसायत

माननीय न्यायाधीश एस.एच.कपाड़िया

आदेश

रिट याचिका (दीवानी) संख्या 196–2001

बिलंब माफ किया जाता है।

अंतराक्षेपन स्वीकृत किया जाता है।

वकीलों को सुनने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जन वितरण प्रणाली के लिए केन्द्र द्वारा निर्गत किए गए धन और उसके इस्तेमाल पर व्यावहारिक रूप से कोई निगरानी नहीं रखी गई। जैसा कि बताया गया, इस योजना में सालाना करीब 30 हजार करोड़ रुपये शामिल हैं।

विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कोलिन गोंसावेल्स ने इस संदर्भ में कुछ सुझाव दिए। वर्तमान स्थिति में हम समझते हैं कि इस न्यायालय के किसी अवकाशप्राप्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक केन्द्रीय निगरानी कमेटी गठित की जाए जिसे इस न्यायालय द्वारा पहले ही नियुक्त किए गए आयुक्त डॉ. एन. सी. सक्सेना सहयोग करेंगे। हम माननीय न्यायाधीश डी. पी. यादव से अनुरोध करते हैं कि वे इस कमेटी की अध्यक्षता करें।

कमेटी उन बीमारियों की ओर ध्यान देगी जिसकी वजह से तंत्र उचित ढंग से काम नहीं कर पा रहा है, साथ ही उसे दूर करने के सुझाव भी देंगे। इस हेतु कमेटी अन्य चीजों के आलावा इन पर भी ध्यान केन्द्रीय करेगी :

(क) वितरक की नियुक्ति के तरीके,

(ख) उचित कमीशन या वितरकों को दिया जाने वाला अनुपात,

(ग) पहले से गठित कमेटियों का रूप क्या हो कि वे बेहतर ढंग से काम कर सकें, और

(घ) दुकानों में बिक्री हेतु दिए जाने वाले अनाज के स्टॉक के आवंटन में पारदर्शिता लाने के लिए कौन से तरीके अपनाए जाएं।

नियुक्ति के तरीके के सवाल पर विचार करते हुए कमेटी या भी सुझाव देती कि नियुक्ति के मामले में कैसे पारदर्शिता लाई जाए। कमेटी यह भी सुझाव देगी कि पहले से गठित निगरानी कमेटियों की रिपोर्ट पर कैसे प्रभावकारी ढंग से काम किया जा सकता है। यह कहने की जरूरत नहीं कि ये जो उपाय होंगे, वह इस देश में लागू कानूनी उपायों के अतिरिक्त होंगे। कमेटी से अनुरोध किया जाता है कि वह चार महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट दे दे ताकि आगे उसी अनुरूप निर्देश–आदेश दिए जा सकें।

कमेटी आम लोगों, संगठनों से सुझाव मांगेगी और अगर कोई सुझाव आता है तो उस पर सही परिप्रेक्ष्य में विचार करेगी।

हम ऐसा असाधारण निर्देश इसलिए दे रहे हैं क्योंकि यह सर्वविदित तथ्य है कि भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर व्याप्त है और इसको खत्म करने के लिए अभी तक शायद कोई कदम उठाया गया है। अंत: गरीब आदमी इसका शिकार होता है

और कानूनी हक रखते हुए भी जिसे अनाज नहीं मिल पाता है। जन वितरण प्रणाली यह निश्चित करने के लिए है कि आर्थिक क्षमता के हिसाब से कमेटी पर आने वाला खर्च जिसमें अध्यक्ष और सदस्यों का मानदेय भी शामिल हैं, केन्द्रीय सरकार का खाद्य मंत्रालय उठाएगा। मानदेय और दूसरे भत्ते वही होंगे जो इस न्यायालय के न्यायाधीशों का और भारत केन्द्र के संयुक्त सचिव का होता है। आवश्यक आधारभूत जरूरतें संबंधित विभाग आज से तीन सप्ताह के भीतर मुहैया करेगा। यह निर्देश शुरूआती तौर पर दिल्ली सरकार को दिया जाता है जिसे बाद में पूरे भारत में लागू किया जाएगा।

रिपोर्ट जमा किए जाने के बाद इस मामले की सुनवाई होगी।

आई.ए. संख्या 34, 35, 40 और 49

27 जुलाई 2006 को सुनवाई होगी

आई.ए. संख्या 58 और 59

महाराष्ट्र राज्य के विद्वान अधिवक्ता श्री रवीन्द्र के अदसुरे ने नोटिस स्वीकार किया। अगर कोई जवाब देना है तो उसे सुनवाई की अगली तारीख यानी कि 27 जुलाई, 2006 के पहले दायर कर दिया जाए।

आई.ए. संख्या 60 और 61

महाराष्ट्र राज्य के अधिवक्ता ने नोटिस नहीं स्वीकार किया। बहरहाल कहा गया कि सुनवाई की अगली तारीख 27.07.2006 के पहले वास्तविक स्थिति की जानकारी के साथ हलफनामा दायर कर दिया जाएगा।

विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) संख्या 17906–2003

बिलंब माफ किया जाता है।

हम पाते हैं कि इस याचिका में की गई शिकायत पर अधिकारीगण के संबंध में मामलों में दिए जाने वाले आदेश के आलोक में विचार कर सकते हैं। अगर ऐसा अवसर आता है तब तदनुरूप इस विशेष अनुमति याचिका का निष्पादन कियां जाता है।

भारत का सर्वोच्च न्यायालय

(मौलिक क्षेत्राधिकार)
रिट याचिका संख्या 196 – 2001
पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज
बनाम
भारत संघ एवं अन्य
दिनांक 13 दिसम्बर 2006

पीठासीन न्यायाधीश

माननीय अरिजित पसायत

आदेश

समेकित बाल विकास सेवा को लेकर इन न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश का केन्द्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा अनुपालन नहीं किए जाने की शिकायत याचिकाकर्ता ने की। 6 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं स्तनपान कराती माताओं और किशोरावस्था को प्राप्त लड़कियों के लिए यह योजना तैयार की गई है। इस योजना का लागू करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को निर्विवाद रूप से अनुदान भी जारी किए गए, जिसके ऊपर इस योजना को लागू करने की जवाबदेही है। आरोप यह लगाया गया कि राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार द्वारा दिए गए अनुदान का उपयोग नहीं किया।

इस विषय पर हम बाद में विस्तार से विचार करेंगे।

इस सवाल पर कि विभिन्न अवसरों पर इस न्यायालय द्वारा इस योजना को लागू करने के संबंध में जो आदेश दिए जाते रहे हैं, उन पर अमल किया जा रहा है या नहीं। रिपोर्ट देने के लिए इस न्यायालय ने डॉ. एन. सी. सक्सेना को आयुक्त और श्री हर्ष मंदर को विशेष आयुक्त के रूप में बहाल किया था।

योजना को लागू करने में कुछ राज्यों की कटु वास्तविकता और स्पष्ट निष्क्रियता का रिपोर्ट पढ़ने से पता चलता है।

दिनांक 19 जुलाई, 2006 की रिपोर्ट द्वारा कमेटी ने निम्नलिखित अनुशंसाएं हैं –

1. वर्तमान मानक के अनुसार समेकित बाल विकास सेवा को सार्वभौम तरीके से लागू करने के लिए कम से कम 14 लाख आंगनबाड़ी केन्द्रों की जरूरत कमेटी की पुष्टि करती है।

2. भारत सरकार को निर्देश देती है कि वह तीन वर्ष के भीतर आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 14 लाख करे।

3. इस रिपोर्ट के आलोक में और आयुक्तों के साथ परामर्श कर भारत सरकार को निर्देश दिया जाए कि वह आंगनबाड़ी केंद्रों के सृजन और स्थापना के लिए विकसित मानक तैयार करे। यह विकसित मानक सार्वभौमिकता के अनुरूप इस अर्थ में होना चाहिए कि इसके किए जाने पर आंगनबाड़ी केंद्रों (या लघु आंगनबाड़ी केंद्रों) तक सभी बच्चों और सभी वांछनीय स्त्रियों की पहुंच सुनिश्चित हो सके।

4. यह स्पष्ट किया जाए कि समेकित बाल विकास सेवा की सार्वभौमिकता का मतलब है कि समेकित बाल विकास सेवा की सभी सेवाएं (सिर्फ अतिरिक्त पोषण नहीं) 6 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों, सभी गर्भवती महिलाओं का स्तनपान कराती माताओं और सभी किशोरियों लड़कियों तक पहुंचे।

5. सभी राज्य सरकारों–केन्द्र शासित प्रदेशों के सभी मुख्य सचिवों को निर्देश दिया जाता है कि अनुसूचित जाति–जनजाति बहुल सभी आवासीय इलाकों, इन इलाकों में आंगनबाड़ी केन्द्रों की उपलब्धता और क्रियान्वयन की योजना, जिससे पक्का हो सके कि दो वर्षों के भीतर इन इलाकों में सभी आंगनबाड़ी केंद्र कार्य करने लगेंगे, की विस्तृत जानकारी के साथ सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा दायर करें।

6. सभी राज्य सरकारों–केन्द्र शासित प्रदेशों के सभी मुख्य सचिवों को निर्देश दिया जाए कि वे इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा दायर करें कि 7 अक्टूबर, 2004 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो अंतरिम आदेश पारित किया गया था कि आंगनबाड़ी केन्द्रों में राशन सप्लाई करने के लिए ठेकेदारों को इस्तेमाल नहीं किया जाएगा और बेहतर होगा कि अनाज खरीदने और खाना तैयार करने समेकित बाल विकास सेवा

अनुदान का इस्तेमाल ग्रामीण समुदायों, स्वयंसेवी समूहों और महिला मंडलों द्वारा लिया जाए। उसके क्रियान्वयन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। सभी राज्यों–केन्द्र शासित प्रदेशों के सभी मुख्य सचिवों को एक समयसीमा की पाबंदी तक करानी होगी जिसके अंदर उन्हें पूरी कोशिश करनी होगी कि ग्रामीण समुदायों के जरिए अतिरिक्त आहार कार्यक्रम के लिए सप्लाई के काम की विकेन्द्रीयता हो सके।

अध्याय 1.4 – ''क्या भारत पोषण के सहस्राब्दी विकास लक्ष्य को पा सकेगा'' में रिपोर्ट संकेत करती है कि :

सहस्राब्दी विकास लक्ष्य अंतराष्ट्रीय सहमति पर निर्धारित किए गए लक्ष्य हैं जिसे 2015 तक पाने का संकल्प सभी देशों और संस्थानों ने स्वीकारा। दूसरे सहस्राब्दी विकास लक्ष्य जिसे हम पोषण सहस्राब्दी विकास लक्ष्य कह रहे हैं, को 1990 से 2015 के बीच आधा पा लेना है :

(1) कम वजन के बच्चों की बहुलता (पाँच वर्ष से नीचे)

(2) न्यूनतम स्तर से भी नीचे ऊर्जा देने वाले भोजन पर रहने वाली आबादी का अनुपात।

विभिन्न माताओं पर किए गए कुछ अध्ययन में इस संभावना पर विचार किया गया कि क्या भारत दूसरे पोषण सहस्राब्दी विकास लक्ष्य को पा लेगा। यद्यपि उन्होंने भिन्न तस्वीरें प्रस्तुत की हैं, लेकिन सार यही है कि यह लगभग नामुमकिन है कि भारत में व्याप्त कुपोषण 1990 के अपने 54 प्रतिशत के स्तर से गिरकर 2001 में 27 प्रतिशत हो पाएगा। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सेवा द्वारा तैयार किया गया आंकड़ा दर्शाता है कि 1998–99 में, यहां तक कि धनी लोगों में भी प्रत्येक पांच पर एक (33 प्रतिशत) कुपोषण का शिकार हो जाएगा, जिसकी तादाद सहस्राब्दी विकास लक्ष्य से भी कही ज्यादा होगी। जो चित्र सामने आता है, उससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि आर्थिक विकास अकेला नाकाफी है कुपोषण की व्यापकता को कम करने के लिए। नीतियों के साथ मिलकर देखने में चित्र बड़ा गुलाबी दिखाई देता है, लेकिन स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा के स्तर को उठाने के लिए जबर्दस्त ढांचागत हस्तक्षेप की जरूरत है, अगर सहस्राब्दी विकास लक्ष्य को पाना है।

इसके पहले की रिपोर्ट यानी कि दिनांक 21.11.2005 की 6 वीं रिपोर्ट में आयुक्त द्वारा की गई निम्नलिखित टिप्पणी प्रासंगिक है :

"आईसीडीएस के क्रियान्वयन से संबंधित महत्वपूर्ण अदालती आदेश 28.11.2001 को पारित किए गए थे। इसमें कहा गया था कि आईसीडीएस की सेवाएं 6 साल तक के सभी बच्चों, छोटी लड़कियों, प्रत्येक गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माताओं को दी जानी चाहिए। प्रत्येक कुपोषित बच्चे को निश्चित रूप से अधिक राशन मिलना चाहिए। इसमें प्रत्येक क्षेत्र में एक आईसीडीएस केन्द्र निश्चित रूप से बनाए जाने की बात की गई थी। आईसीडीएस के क्रियान्वयन से संबंधित कई आदेशों में यह पहला आदेश था।

आईसीडीएस के अंतर्गत लाभार्थियों का राज्यवार कवरेज भारत सरकार के महिला और बाल विकास विभाग द्वारा दिए गए आंकड़े तालिका 1.1 में है। 0–6 साल के उम्र वर्ग के उन बच्चों की संख्या (403 लाख है) जिन्हें आईसीडीएस के तहत पूरक पोषक आहार दिया जा रहा है, इसकी तुलना में 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में 0–6 साल के बच्चों की संख्या 1578 लाख है। इस तरह से 1201 लाख यानी लक्षित बच्चों के 74 फीसदी बच्चों को आईसीडीएस की परिधि से बाहर छोड़ दिया गया है।

इस स्कीम के तहत 11–18 साल के बीच की लड़कियों का कवरेज 0–6 वर्ष उम्र वर्ग के बच्चों के कवरेज से खराब है। किशोरी शक्ति योजना (केएसवाई) जिसके अंतर्गत किशोरियों का कवर किया जाता है, 2000 आईसीडीएस परियोजनाओं तक सीमित रही है। किशोरियों का कुल कवरेज महज 2.4 लाख है जबकि 2001 की जनगणना के अनुसार 11–18 साल तक की उम्र की कुल लड़कियों की आबादी लगभग 844 लाख है। इस तरह कहा जा सकता है कि, किशोरियों का कवरेज वस्तुतः नहीं किया गया है क्योंकि महज 0.3 फीसदी किशोरियों को ही इसमें जगह दी गई। यह जानना महत्वपूर्ण है कि 35 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में सिर्फ छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, मेघालय, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और अंडमान–निकोबार द्वीप समूह ने ही सिर्फ आयुक्त को यह जानकारी दी है कि किशोरियों को आईसीडीएस की योजना के तहत कवर किया जा रहा है। अन्य राज्य जैसे बिहार, गोवा, झारखंड और उड़ीसा

ने स्पष्ट रूप से कहा कि किशोरियों को आईसीडीएस के अंतर्गत कवर नहीं किया जा रहा है, जबकि इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए 1991–92 में ही ब्लॉकों की पहचान कर ली गई थी। इस तरह से इस योजना से लाभान्वितों का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह से उपेक्षित रह गया।

गर्भवती महिलाओं और बच्चे का पोषण करने वाली माताओं की संख्या आईसीडीएस स्कीम के दिशा–निर्देशों के तहत अनुमानित रूप से पूरी जनसंख्या का 4 फीसदी है। इस श्रेणी में 81.05 लाख लाभान्वितों का वर्तमान कवरेज, उस संख्या की 20 फीसदी से भी कम है, जिसे इस योजना के तहत कवर किया जाना चाहिए।''

दिनांक 28.11.2001, 29.04.2004 और 07.10.2004 को इस न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश को इस प्रकार संक्षेप में कहा जा सकता है :

1. करीब पांच वर्ष पहले (28 नवम्बर, 2000 को) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने समेकित बाल विकास सेवा को सार्वभौम करने के लिए अंतरिम आदेश पारित किए ताकि 1. प्रत्येक आबादी में एक कार्यरत समेकित बाल विकास सेवा केन्द्र (आंगनबाड़ी) हो और 2. समेकित बाल विकास सेवा छह वर्ष तक के प्रत्येक बालक, सभी गर्भवती महिलाओं या स्तनपान कराती माताओं और सभी किशोरियों तक पहुंचे। इस आदेश को 29.04.2004 और 07.10.2004 के आदेश में भी दोहराया गया। साथ ही, समेकित बाल विकास सेवा पर कुछ और भी निर्देश दिए गए।

2. इन आदेशों के पालन में की गई बहुत थोड़ी प्रगति को देखते हुए हम चिंत्ति हैं। वित्तीय वर्ष 2004–05 में उपर्युक्त आदेश को लागू करने के लिए भारत सरकार ने 1.88 लाख रू. नए आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने की अनुमति दी। चिंता का विषय यह है कि इन आंगनबाड़ी केन्द्रों को अभी तक परिचालित नहीं किया जा सका है। माननीय न्यायालय इस संबंध में भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से पूछताछ कर सकता है।

3. वास्तव में, भारत सरकार न सिर्फ इन आदेशों को लागू करने में असफल रही है, बल्कि सार्वभौमिकता के मूल सिद्धांतों की रूपरेखा जो इन आदेशों

में खीची गई थी उसे भी वह चुनौती दे रही है। इसे चिह्नित करने का उद्देश्य कुछ मुख्य बिंदुओं को स्पष्ट करना और अगले आदेश के लिए अनुशंसाएं प्रस्तुत करनी है।

आंगनबाड़ी केन्द्रों को आगे से एडब्लूसी कहा जाएगा।

जैसा कि ऊपर चिह्नित किया गया, आयुक्त की रिपोर्ट दुखद तस्वीर सामने लाती है। यद्यपि इस संबंध में इस न्यायालय द्वारा निर्देश दिए गए कि समेकित बाल विकास सेवा सार्वभौमिकरण किया जाए, सभी अनुमोदित योजनाओं, केन्द्रों का परिचालन अविलंब किया जाए, आवंटित फंड का पूरा इस्तेमाल हो, केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा आदेशों का लागू किया जाना और उल्लंघन ज्यादा किया जाना। पहले के आदेशों दिनांक 29.04.2004 में सार्वभौमिकता को लेकर याचिकाकर्ता द्वारा किए गए निवेदन को इस हद तक स्वीकार किया गया कि करीब 14 लाख आंगनबाड़ी केन्द्रों को परिचालन योग्य बनाया जाए। जैसा कि उपलब्ध आंकड़ा दर्शाता है कि अभी तक सिर्फ 952764 केन्द्रों को खोलने की मंजूरी दी गई (इसमें 1.8 लाख नए आंगनबाड़ी केन्द्र भी शमिल हैं)। इसे विस्तार के पहले चरण के तहत 2005 में मंजूरी दी गई थी। ऐसा मालूम पड़ता है कि पिछले सप्ताह अगस्त, 2006 में केन्द्रीय सरकार ने 1.07 लाख नए केंद्र खोलने की घोषणा की थी, जिसका मतलब हुआ कि केंद्रों की कुल संख्या 10.5 लाख हुई यानी कि अभी भी 3.5 लाख केंद्रों की कमी है। यह भी मालूम पड़ता है कि विस्तार देते हुए पहले जो 1.58 लाख केन्द्रों को खोलने की मंजूरी दी गई थी उन्हें भी अभी तक परिचालित नहीं किया जा सका है।

आयुक्त को संबोधित 23.01.2006 के अपने पत्र में केन्द्रीय सरकार ने याचिकाकर्ता द्वारा सुझाए गए 14 लाख के आंकड़े को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह पेयजल सुविधाओं पर किए गए सर्वेक्षण पर आधारित है, जहां हर 250 लोगों के समूह को एक अलग आबादी मानी जाती है। मानक के अनुसार याचिकाकर्ता का सुझाव है कि प्रति 1000 की आबादी के लिए एक आंगनबाड़ी केंद्र होना चाहिए। यह सुझाव व्यावहारिक रूप से सही है क्योंकि एक आंगनबाड़ी केंद्र 1000 आदमी यानी कि करीब 200 परिवार से ज्यादा की देखभाल कर भी नहीं सकता है। चूंकि कई केंद्रों में सिर्फ एक कार्यकर्ता हैं, तो ऐसे में 1000 लोगों को संभावना भी एक केंद्र के लिए काफी ज्यादा मालूम पड़ती है।

अभी जो सुझाव दिया गया है वह है कि 300 या उससे कुछ ऊपर की आबादी पर एक आंगनबाड़ी केंद्र होना चाहिए। कहा गया कि यह सातवें अखिल भारतीय शैक्षणिक सर्वेक्षण पर आधारित है। यद्यपि केंद्रीय सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों के सृजन या स्थापन को लेकर मानक में संशोधन करने की बात स्वीकार तो की है, लेकिन अभी तक कुछ खास नहीं किया गया है। इस काम के लिए अंतर प्रशासनिक टास्क फोर्स का गठन किया गया था, जिसने अपनी रिपोर्ट में इस वर्ष के प्रारंभ में ही जमा कर दिया था।

चाहे जो भी मानक सुझाए जाएं, लेकिन जरूरी है कि स्वीकृत केंद्रों को परिचालित करने के लिए बिना किसी देरी के कदम उठाए जाएं। याचिकाकर्ता ने अपने तर्क के समर्थन में कई तथ्य प्रस्तुत किए कि विवेकपरक आधार मुहैया करने के लिए निर्देश चिह्न को घटाने की जरूरत है। जैसा कि उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि 79 प्रतिशत स्वीकृत केंद्रों को चालू कर दिया गया है।

याचिकाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से पता चलता है कि सिर्फ 69–4 प्रतिशत स्वीकृत केंद्र ही अतिरिक्त आहार मुहैया कर रहे हैं।

आवंटित अनुदान और उसके इस्तेमाल की स्थिति उपलब्ध कराए गए आंकड़े के अनुसार इस प्रकार है :

राज्य-केंद्र शासित प्रदेशों की योजनाओं के तहत प्रति लाभार्थी प्रति व्यक्ति के लिए अनुदान के आवंटन का मानक

लाभार्थी	पुरानी दर	नई दर
बालक (6–72 महीने)	0.95 रू.	2 रू.
बुरी तरह कुपोषण के शिकार बच्चे	प्रति बालक प्रतिदिन	प्रति बालक प्रतिदिन
(6–72 महीने),	1.3 रू.	2.70 रू.
गर्भवती महिलाएं और दुग्धपान	प्रति बालक प्रतिदिन	प्रति बालक प्रतिदिन
कराती माताएं, किशोरियां (केएसवाई)	1.15 रू.	2.3 रू.
	प्रति बालक प्रतिदिन	प्रति बालक प्रतिदिन

प्रति लाभार्थी प्रतिदिन के लिए 1991 में तैयार किए गए मानक के अनुसार ही वित्तीय वर्ष 2004–05 तक राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों ने अनुदान आवंटित किए। पिछले वित्तीय वर्ष में (दिसंबर 2004) महिला एवं बाल विकास

विभाग ने अतिरिक्त आहार मुहैया करने के लिए प्रति लाभार्थी प्रति व्यक्ति पर खर्च किए जाने वाले रूपयों के लिए वित्तीय मानकों में संशोधन करने हेतु बहुत दिनों से लंबित पड़ा निर्णय लिया। खर्च मानक में निम्नलिखित बदलाव किए गए :

समेकित बाल विकास सेवा के तहत अतिरिक्त आहार कार्यक्रम के लिए 2005-06 में राज्यों द्वारा बजट में किया गया आबंटन, भारत सरकार द्वारा जारी किया गया अनुदान और किए गए खर्च का ब्यौरा

	(रुपये लाख में)				
2005–06 में राज्य द्वारा अतिरिक्त आहार कार्यक्रम के लिए बजट में आवंटन		भारत सरकार द्वारा जारी किया गया फंड	कुल आवंटन	राज्य के हिस्से को मिलाकर होने वाला खर्च	उपयोग किया गया (प्रतिशत में)
योजना	गैर योजना	2005–06 के दौरान		2005–06 में राज्यों द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार	
1	2	3	4	5	6
197512.08	84351.13	07458.55	379321.76	218801.73	87.7
15.12.2006 तक किया गया खर्च					

स्रोत : *महिला एवं बाल विकास विभाग, भारत सरकार द्वारा आयुक्तों को लिखे गए पत्र संख्या 19.05.2003 सीडी–1 (वोल्यूम ।।) दिनांक 28.08.2006 पर आधारित*

जैसा कि आयुक्तों ने छठी रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि अतिरिक्त आहार योजना के लिए राज्य सरकारों द्वारा आवंटित किया जाने वाला अनुदान वर्षों से काफी कम है और आवंटित किए गए अनुदान का इस्तेमाल भी हमेशा काफी कम रहा है। महिला एवं बाल विकास विभाग के आंकड़ें के अनुसार 2005–06 में अतिरिक्त आहार योजना के लिए राज्यों और भारत सरकार द्वारा किए गए आवंटन और खर्च की स्थिति इस प्रकार है –

कुल आबंटन	06 वर्ष से नीचे के कुल बालकों की संख्या (2001 की जनगणना के अनुसार)	अपेक्षित आवंटन	कमी	कमी प्रतिशत में
379321.76	1578.6	947178.87	567857.11	59.95

इस तरह देखा जा सकता है कि अतिरिक्त आहार योजना के लिए आवंटित अनुदान का देश भर में उपयोग सिर्फ 57.7 प्रतिशत के औसत से किया गया। इसके बावजूद कि राज्य द्वारा आवंटन किया गया और उसी के अनुरूप वह उन्हें नहीं दी गई जबकि बहुत बड़ी राशि यूं ही नहीं पड़ी रह गई।

इसके अलावा अतिरिक्त कम उम्र के बच्चों की जरूरत को पूरा करने के लिए जितने आवंटन की जरूरत थी, उससे 60 प्रतिशत कम आवंटन किया गया।

300 दिनों के लिए प्रति बालक प्रति दिन 2 रु. के हिसाब से की गई यह गणना है। देश में 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त गणना की गई है। जबकि यह आवंटन समेकित बाल विकास सेवा के सभी अतिरिक्त आहार कार्यक्रम के लिए किया गया है जो अपने में गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराती माताओं और किशोर लड़कियों को भी अपने में समेटे हुए है। अगर इनको भी जोड़कर हिसाब निकाला जाए तो आवंटन में कमी और बढ़ जाएगी।

राज्य	स्वीकृत आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या	अतिरिक्त आहार मुहैया करने वाले आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या	सेवा प्रदान करने वालों का प्रतिशत
पंजाब	17421	14730	84.6
हरियाणा	16359	13546	82.8
उत्तर प्रदेश	137557	102881	74.8
झारखंड	30854	19571	63.4
बिहार	80415	50503	62.8
पश्चिम	74640	45285	60.7
बंगाल	59324	35549	59.9
मध्य प्रदेश	32075	4330	13.5
असम	4501	0	0.00

ऊपर दिए गए सूचकों के मामले में कुछ राज्यों का काम विशेष रूप से खराब रहा है। उन राज्यों के संबंध में आंकड़ा इस प्रकार है –

इसके अलावा कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहां यद्यपि अतिरिक्त आहार मुहैया करने वाले केंद्रों की संख्या ज्यादा है। फिर भी अनुदान के आवंटन और उसकी उपयोगिता के मामले में वे भी बड़े खराब ढंग से काम कर रहे हैं।

महिला एवं बाल विकास, भारत सरकार का आयुक्तों को लिखे पत्र (पत्र संख्या 19.05.2003 सीडी–1(वोल्यूम II), 288.2006) के आधार पर यह आंकड़ा तैयार किया गया है।

हालांकि, कोई भी राज्य अतिरिक्त आहार कार्यक्रम के लिए दी गई राशि का पूरा इस्तेमाल नहीं कर रहा है, लेकिन हरियाणा, पश्चिम बंगाल और पंजाब 30 प्रतिशत से भी कम उपयोग कर पा रहा है। मणिपुर के मामले में स्थिति बेहद संदेहास्पद है कि आखिर अनुदान कहां खर्च हो रहा है, क्योंकि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार वहां लाभार्थियों की संख्या शून्य है।

अनुदान संबंधी आवश्यकता

नीचे की तालिका में गणना की गई है कि 6 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों को लाभ पहुंचाने के लिए (300 दिनों के लिए प्रति बालक प्रति दिन 2 रूपया के मानक के आधार पर) कितने अनुदान की जरूरत है। जैसा कि नीचे की तालिका में देखा जा सकता है कि असम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल और हरियाणा में 6 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों तक पहुंचने के लिए वास्तव में जितने फंड की जरूरत है, उसमें 60 प्रतिशत कम फंड उनके पास उपलब्ध है।

इस तथ्य को अगर इस सच्चाई के साथ जोड़कर देखा जाए कि जितना भी अनुदान इन राज्यों को मिलता है उसका भी वे पूरा इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो इसका मतलब साफ है कि समेकित बाल विकास सेवा के अतिरिक्त आहार कार्यक्रम से बाहर बहुत सारे बेहद जरूरतमंद लाभार्थियों को छोड़ दिया जाता है।

राज्य	कुल आबंटन (केन्द्र-राज्य)	खर्च (15.02.2006 तक)	उपयोगिता (प्रतिशत में)
मणिपुर	1334.24	1329.16	99.6
झारखंड	16473.84	12711.01	77.2
उत्तर प्रदेश	67569.73	45916.19	68.0
असम	9666.67	5337.64	55.2
मध्य प्रदेश	20877.53	9457.82	45.3
बिहार	43040.62	18989.12	44.1
हरियाणा	13628.80	4046.03	29.7
पश्चिम बंगाल	45345.67	11845.38	26.1
पंजाब	14814.55	3599.65	24.3

समेकित बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) के संदर्भ में दिये गए फैसले के मुख्य तत्व :

न्यायालय के समक्ष रखी गई प्रार्थना रिकॉर्डस को ध्यान में रखते हुए हम निर्देशित करते हैं कि :

1. भारत सरकार दिसम्बर, 2008 तक कम से कम 14 लाख आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्वीकृति तथा संचालन अनिवार्य रूप से करे। ऐसा करते समय केन्द्र सरकार अनुसूचित जाति एवं जनजाति की बस्तियों को चिह्नित करके उन्हें वरीयता दें।

2. भारत सरकार अनिवार्य रूप से यह भी सुनिश्चित करे कि आंगनबाड़ी केन्द्रों को खोलने के लिए जनसंख्या के निर्धारित मापदंड को बरकरार रखते हुए नये आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने के लिए प्रति आंगनबाड़ी में जनसंख्या सीमा 1000 के मापदंड को बरकरार रखते हुए नये आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने के लिए प्रति आंगनबाड़ी केन्द्र 300 की आबादी का ध्यान नहीं है, तो वहां मांग करने पर तुरंत (3 महीने के अंदर) आंगनबाड़ी केंद्र खोला जाए।

3. आईसीडीएस के सर्वव्यापीकरण में आईसीडीएस के तहत सभी 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों, सभी गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं तथा सभी किशोरियों को, आईसीडीएस के अंतर्गत आने वाली सभी सेवाएं (पूरक

पोषण, विकास पर निगरानी, पोषण, स्वास्थ्य शिक्षा, टीकाकरण, पूर्व पाठशला शिक्षा) उपलब्ध होनी चाहिए।

4. सभी राज्य सरकार तथा केन्द्र शासित क्षेत्रों की सरकारें आईसीडीएस योजना को पूर्णतया लागू करें तथा प्रावधान करें –

(अ) पूरक पोषण के लिए प्रति बच्चा प्रतिदिन कम से कम 2 रूपया व्यय किया जाये जिसमें से केन्द्रीय सरकार प्रति बच्चा प्रतिदिन 1 रुपये का योगदान करे।

(ब) गंभीर रूप से कुपोषित बच्चे के पूरक पोषण हेतु प्रति बच्चे पर प्रतिदिन 2.70 रुपये का प्रावधान हो तथा व्यय किया जाये। इसमें केन्द्रीय सरकार प्रत्येक बच्चे पर 1.35 रुपये प्रतिदिन का योगदान करें।

(स) प्रत्येक गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं तथा किशोरियों के पूरक पोषण के लिए 2.30 रुपये प्रतिदिन का प्रावधान हो, जिसमें से केन्द्र सरकार 1.15 रुपये के हिसाब से योगदान करे।

5. बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, मणिपुर, पंजाब, पश्चिम बंगाल, असम, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों के मुख्य सचिव न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर यह स्पष्ट करें कि आईसीडीएस की योजना को पूर्णतया लागू करने के इस न्यायालय के आदेश पर अमल क्यों नहीं किया गया है।

6. सभी राज्य सरकारों तथा केन्द्र शासित क्षेत्रों की सरकारों के मुख्य सचिवों को यह निर्देश दिया जाता है कि वे शपथ पत्र दाखिल करके बतायें कि इस न्यायालय के 7 अक्टूबर 2004 के आदेश के अनुपालन में कौन–कौन से कदम उठाये गये जिसमें यह निर्देश दिया गया था – " पोषण सामग्री की आपूर्ति में ठेकेदारों का इस्तेमाल न किया जाये तथा आईसीडीएस फंड का व्यय अनाज की खरीद तथा भोजन तैयार करने में करें, ग्रामीण समुदायों, स्वयं सहायता समूह और महिला मंडल के द्वारा इसे वरीयतापूर्वक करें।" राज्यों तथा केन्द्र शासित क्षेत्रों क मुख्य सचिव समयबद्ध योजना बनाकर बतायें जिसमें पोषण सामग्री की आपूर्ति का विकेन्द्रीकरण इस प्रकार हो कि स्थानीय समुदाय के हाथों में पहुंच जाये।

7. यह एक गंभीर मामला है कि इस न्यायालय के 7 अक्टूबर 2004 के फैसले के अनुपालन के संदर्भ में 15 राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों ने अपना शपथ पत्र दाखिल नहीं किया है। वे राज्य हैं – उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, अरूणाचल प्रदेश, नगालैंड, गोवा, पंजाब, मणिपुर, तामिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मिजोरम, हरियाणा, बिहार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, लक्षदीप है। चार हफ्तों के अंदर इन राज्यों तथा केन्द्र शासित क्षेत्रों के मुख्य सचिव जवाब दें कि उनके खिलाफ की अवमानना करने के आरोप में क्यों न कार्रवाई की जाये ?

इस मामले पर तीन माह बाद सुनवाई होगी, इस समय तक केन्द्र सरकार, राज्य–केन्द्र शासित क्षेत्रों की सरकारें नवीनतम आंकड़ों के साथ रिपोर्ट दाखिल कर दें।

भारत का सर्वोच्च न्यायालय

रिट याचिका (सी) नं. 2001 की 196
पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज
बनाम
भारत संघ एवं अन्य
दिनांक 01 फरवरी 2007

आदेश

पीठासीन न्यायाधीश
माननीय न्यायालय अरिजित पसायत
माननीय न्यायालय एसएल कपाड़िया

याचिकाकर्ता की ओर से हाजिर हुए विद्वान वकील श्री कोलिन गोन्साल्विस और केन्द्र सरकार की ओर से पेश हुए विद्वान वकीलों को सुनने के बाद अदालत ने यह निर्णय दिया –

श्री कोलिन गोन्साल्विस ने एक विस्तृत ज्ञापन पेश किया है, जिसमें अदालत से कुछ दिशानिर्देशों का आग्रह किया गया है। खासतौर पर राष्ट्रीय मातृत्व सुरक्षा योजना और जननी सुरक्षा योजना के बारे में, जो कि आई.ए. नंबर 37/2004 और आई.ए. नंबर 54/2005 से संबंधित है। इस अदालत द्वारा नियुक्त किए गए आयुक्तों की रिपोर्ट और प्राप्त आंकड़ों के अनुसार यह स्पष्ट हो जाता है कि सवालों के दायरे में आई योजना के क्रियान्वयन के लिए व्यावहारिक रूप से एक भी कदम नहीं उठाया गया।

इसके अलावा, जैसा कि प्रस्तुत जवाब में कहा गया है कि पर्याप्त निगरानी के अभाव में योजना को उस तरह से संचालित नहीं किया जा सका, जैसा कि तय किया गया था। अब योजनाओं को धन उपलब्ध कराने वाली केंद्र सरकार को श्री कॉलिन गोन्वाल्विस द्वारा पेश किए गए सुझावों पर जवाब प्रस्तुत करना चाहिए। यह भी स्पष्ट हुआ है कि दिल्ली समेत कुछ राज्यों में योजना के क्रियान्वयन में भारी लापरवाही बरती गई है और वहाँ लक्ष्य के तहत योजना का लाभ प्राप्त करने वाले हितग्रहियों की संख्या शून्य है।

तालिका -5 राज्यों में आईसीडीएस कर्मचारियों की कमी (30 अप्रैल, 2004 में)				
राज्य	रिक्त पदों का प्रतिशत (सीडीपीओ)	रिक्त पदों का प्रतिशत (पर्यवेक्षक)	रिक्त पदों का प्रतिशत (आंगनबाड़ी कार्यकर्ता)	रिक्त पदों का प्रतिशत (आंगनबाड़ी सहायक)
आंध्र प्रदेश	25	40	2	1
असम	16	32	2	16
बिहार	61	92	54	57
छत्तीसगढ़	41	32	1	1
गुजरात	41	46	10	10
हरियाणा	28	26	1	0
हिमाचल प्रदेश	25	75	1	0
झारखण्ड	51	61	9	11
मध्य प्रदेश	26	19	4	5
महाराष्ट्र	23	12	9	10
उड़ीसा	16	39	5	2
राजस्थान	58	22	1	1
उत्तर प्रदेश	34	43	29	33
उत्तराखंड	30	34	11	14
पश्चिम बंगाल	32	5	9	10
भारत	29	33	14	18
टिप्पणी : रिक्त सृजित पदों का प्रतिशत				
स्रोत : indiastate.com				

इसके साथ ही उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, दिल्ली, झारखंड, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, असम, राजस्थान, उड़ीसा और जम्मू–कश्मीर को भी इस बारे में

अपना जवाब पेश करने का मौका मिलना चाहिए कि योजना के क्रियान्वयन में लापरवाही क्यों बरती गई। अपना जवाब पेश करते समय केंद्र सरकार को यह सूचित करना होगा कि राज्यों द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन में उसकी ओर से निगरानी की क्या व्यवस्था प्रस्तावित है और योजनाओं के क्रियान्वयन के काम में समन्वय की कमी को किस तरह से दूर किया जा सकता है। याचिका के जवाब में केंद्र सरकार को यह भी सूचित करना होगा कि यदि उसकी ओर से आवंटित धनराशि को सीधे ग्राम पंचायतों के अधीन कर दिया जाए तो क्या वह हितग्राहियों के हित में होगा, ताकि बिना किसी लेटलतीफी के हितग्राही योजना का लाभ सीधे ही प्राप्त कर सकें। योजना का उद्देश्य गर्भवती माताओं को पोषक आहार के लिए सहायता उपलब्ध कराना है। लेकिन आयुक्त की रिपोर्ट से यह मालूम होता है कि ग्रामीण इलाकों में योजनाओं के क्रियान्वयन में सबसे अधिक लापरवाही की जा रही है। अदालत की जानकारी में यह भी आया है कि जननी सुरक्षा योजना में भी कुछ बदलाव किए गए हैं, जो हितग्राहियों की जानकारी में नहीं लाए गए हैं। ऐसे में यह जरूरी है कि केंद्र और राज्य सरकार योजनाओं के बारे में हितग्राहियों की जानकारी बढ़ाने की दिशा में कदम उठाएं, ताकि उन्हें योजनाओं का लाभ दिलाया जा सके। इस बारे में केंद्र सरकार को तीन और राज्य सरकारों को चार सप्ताह के भीतर अपना जवाब पेश करना होगा। अपने जवाब में राज्य सरकारों को यह भी बताना होगा कि उन्होंने योजना के बेहतर क्रियान्वयन की दिशा में कौन से कदम उठाए और इस बारे में केंद्र और राज्य सरकार के बीच समन्वित प्रयास कैसे संभव हो सकते हैं।

अनुभवी वकील श्री कोलिन गोन्साल्विस को प्राप्त जवाबों का संकलन करने के लिए भी कहा गया है, साथ ही बेहतर नतीजों की दिशा में तरीके सुझाने को भी कहा गया है।

इस मामले की सुनवाई मार्च 2007 के तीसरे सप्ताह में होगी। अदालत द्वारा आयुक्तों के लिए मांगी गए बजट को नोट कर लिया गया है। इसकी एक कॉपी केंद्र सरकार के वकील को भी दे दी गई है। अब उन्हें आगे के निर्देश लेने को कहा गया है, ताकि सुनवाई की अगली तारीख तय की जा सके।

परिचय

बलराम

जयप्रकाश आंदोलन के जरिये सामाजिक जीवन की शुरूआत हुई। खाद्य सुरक्षा, मनरेगा, सूचना का अधिकार, चिकित्सा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, गृह विहीनों को आवास इत्यादि में सक्रियता रही। संस्थापक अध्यक्ष – झारखंड आरटीआइ फोरम। संस्थापक संयोजक – झारखंड मनरेगा वाच

खाद्य सुरक्षा पर माननीय सुप्रीम कोर्ट कमिश्नर के झारखंड राज्य सलाहकार के तौर पर वर्ष 2005 से कार्य का अनुभव। खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखंड द्वारा गठित राज्यस्तरीय वितरण–सह–निगरानी समिति में सदस्य नामित। झारखंड राज्य मनरेगा कौंसिल में विशेषज्ञ सदस्य नामित। भारत ज्ञान विज्ञान समिति से जुड़ाव रहा। समेकित बाल विकास परियोजना, सार्वजनिक जनवितरण प्रणाली, मातृ एवं बाल स्वास्थ्य तथा पोषण, मनरेगा, सहिया, पंचायती राज एवं स्थानीय स्वशासन इत्यादि का प्रशिक्षण दिया। जन्म– 10.08.1961

संपर्क - A-363, Road No 4B, Ashok Nagar, Ranchi - Jharkhand (834002) 9430753201, E-mail : balramjo@gmail.com

डॉ. विष्णु राजगढ़िया

निदेशक – झारखंड फाउंडेशन

पत्रकारिता की शुरूआत समकालीन जनमत से हुई। प्रभात खबर (धनबाद) में स्थानीय संपादक तथा प्रभात खबर इंस्टीट्यूट (रांची) में निदेशक के बतौर कार्य किया। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय, भोपाल में व्याख्याता तथा नई दुनिया के झारखंड प्रभारी के बतौर कार्य का अनुभव। चाइल्ड इन नीड इंस्टीट्यूट में संचार सलाहकार के बतौर कार्य किया। यूनिसेफ एवं सर्ड द्वारा स्थापित झारखंड पंचायत महिला रिसोर्स सेंटर के राज्य समन्वयक के अलावा झारखंड कौशल विकास मिशन सोसाइटी में संचार प्रमुख का दायित्व संभाला।

रघुवीर सहाय की पत्रकारिता पर शोध किया। पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर (स्वर्ण–पदक) एवं नेट (यूजीसी) उत्तीर्ण की उपाधि ली। सूचनाधिकार पर पुस्तकें लिखीं और इस आंदोलन में सक्रियता रही। जनसंचार के सिद्धांत, मनरेगा कानून तथा पंचायती राज पर भी पुस्तकें प्रकाशित। जन्म– 19.10.1965

संपर्क- 202, परमसुख अपार्टमेंट, पहाड़ी मंदिर लेन, रातू रोड, रांची – 834001 9431120500, 9308057070 vranchi@gmail.com

कुपोषित बच्ची और गिद्ध की नजर

यह फोटो सूडान के एक गांव की है। मार्च 1993 में फोटोग्राफर केविन कार्टर ने यह तस्वीर ली थी। भुखमरी से बेहाल देश सूडान की इस बच्ची के माता-पिता भोजन की तलाश में निकले हुए थे। एक गिद्ध को था इस बच्ची की मौत का इंतजार। केविन ने फोटो खींचने के बाद गिद्ध को उड़ा दिया। यह फोटो 26 मार्च, 1993 को न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी।

शीर्षक था- 'Metaphor for Africa's depair' यानि अफ्रीका में असमानता का दृश्य।

केविन कार्टर को इस फोटो के लिए प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार मिला। लेकिन इस फोटो के प्रकाशन के लगभग चौदह माह बाद व्यक्तिगत कारणों से कार्टर ने आत्महत्या कर ली।

ISBN NO. 13 [illegible]
9788190974578

GULMOHAR PUBLICATION